[Secretary]

of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Assam Appropriation (No.2) Bill, 1981, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1981, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

18.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
—contd.

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIONAL SERVICES MAINTENANCE (ASSAM) ACT, 1980 AND STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 2 of the Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980 as amended by the Essential Services Maintenance Act, 1981:

(i) Assam Government Notification No. PLA. 334/80/220 published in Assam Government Gazette dated the 10th April, 1981, declaring services in connection with the production, supply and distribution of water and electricity including the services under the Assam State Electricity Board constituted under the Assam State Electricity Supply Act, 1948, to essntial. services within the State of Assam for the purpose of the Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980.

(ii) Assam Government Notification No. PLA.583/81/10 published in Assam Government Gazette dated the 14th August, 1981 declaring services in connection with the production, supply and distribution of electricity including the services under the Assam State Electricity Board constituted under the Electricity Supply Act, 1948, to be essential services with in the State of Assam for the purpose of the Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980, as amended by the Essential Services Maintenance Ordinance, 1981.

(2) A statement (Hindi and English versions) giving reasons for delay in laying the Notifications mentioned at (1) above. [Placed *in Library See.* No. LT- 3261/81.]

18.02 hrs.

DISCUSSION RE: SITUATION ARISING OUT OF KILLING OF HARIJANS IN DEHOLI VILLAGE, UTTAR PRADESH

MR. CHAIRMAN : The House will take up discussion under Rule 193 on the unfortunate incident that took place in Deholi Villge. Now, there are so many Members who have made requests to participate in this discussion. Therefore, I would request the Members to be conscious about the time so that a maximum number may parti-

cipate and their views may be placed before the House.

There is no time limit. No time has been allotted. Now, it depends on the House. How long the House would like to sit and debate, it is up to the House.

The Minister of Parliamentary Affairs and Works and Housing is suggesting that initially, it may be for two hours. If necessary, then we can extend the sitting.

श्री सूरत भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, दबेली कांड का जिक्र आते ही मेरी जबान से बेसाख्ता उर्दू का एक शेर निकलता है :--

"क्यों उदास उदास हैं मंजिलें,
क्यों उदास उदास हैं रास्ते,
मेरे हमसफर जरा देखना,
कोई काफिला तो लुटा नहीं ।"

सभापति महोदय, आज इस सत्र का आखिरी दिन है और हम दबेली कांड पर डिसकशन कर रहे हैं । जिस दिन यह सेशन शुरू हुआ था, उस दिन भी दबेली कांड की चर्चा हुई थी । इस पूरे सेशन पर, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर, दबेली कांड की काली छाया है । मैं इस बारे में कुछ तफसील से बताना चाहूंगा ।

एक साल पहले दबेली गांव में एक डाका पड़ा और यही लोग, राधे, संतोषा वगैरह उस डाके के जिम्मेदार ठहराए गए । उनको गिरफ्तार किया गया और उनके घरों से नाजायज हथियार बरामद किए गए । इत्तिफाक से उस वक्त में उसी गांव के कुछ गरीब हरिजन, मिट्ठू, अंगनलाल, महाराओ और बालाशाह, को गवाहों के तौर पर पेश किया गया । यहां से शुरूआत होती है इस खूनी कहानी की ।

उन बेगुनाहों को झूठे केसों में उलझाया गया, गलत तौर पर कई जगह उलझाया गया और आखिर में नाजायज हथियारों के केस उन गरीबों पर बनाए गए । यही राधे, संतोषा पुलिस अफसरों के साथ गांव में आ कर उन गरीबों को पिटवाते थे । आखिर पिछले नवम्बर का महीना आ गया । 17 नवम्बर को उसी गांव के एक जमींदार के घर पर कुछ खाने की तैयारी होती है । 18 नवम्बर की सुबह गांव के कुछ लोग जमींदार से पूछते हैं कि क्या बात है कि शराब की बोतलें मंगाई जा रही हैं, मांस मंगवाया गया है । वह कहता है कि मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं । और वे मेहमान शाम के 4 बजे आ गए--वही डाकू, जिन्होंने यह खूनी कार्रवाही की ।

वे लोग तीन ग्रुप्स में आए । मुझे पता नहीं कि कितने माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि उनमें से एक ग्रुप ये नारे लगाता हुआ आया कि "विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद" । दूसरे ग्रुप ने उसको मना किया कि नारे मत लगाओ । लेकिन एक ग्रुप ने नारे लगाए । और 4 बजे से ले कर रात के 8½ बजे तक यह खूनी कांड होता रहा ।

सभापति महोदय, इस खतरे की सूचना महीनों पहले दे दी गई थी । गरीब हरिजनों ने हिफाजत मांगी, नहीं दी गई । उन्होंने हथियार के लाइसेंस मांगे, नहीं दिए गए । पी.ए.सी. की एक टुकड़ी वहां थी, वह भी हटा ली गई और उसके बाद जब 18 नवम्बर को वह गांव में आ गए, फिर वह कहानी शुरू होती है । उसमें नौ मर्द, छः औरतें और नौ बच्चे मरे हैं । यह सरकारी तौर पर बताया गया है, ज्ञानी जी के अपने बयान में है । केवल इतना ही नहीं, मुझे बताया गया, नहीं मालूम कहां तक दुरुस्त है कहां तक गलत है कि जो सात जख्मी हुए थे उनमें से बाद में एक की मौत हुई है । लेकिन अभी यह बात ठीक तरह मालूम नहीं है, वह तो ज्ञानी जी बताएंगे कि कोई जख्मी भी मरा है या नहीं । लेकिन कम से कम एक बात तो सही है कि मरने वाली एक महिला प्रेग्नेन्ट थी, जब उस का पोस्ट मार्टम हुआ तो उस के पेट से 8 महीने का एक लड़का और एक लड़की भी निकली । वे मासूम बच्चे आंखें खोलने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए, हमेशा के लिए उनकी आंखें बन्द हो गईं ।

इस ग्राम की शीला नाम की एक हरिजन लड़की थी, 16 साल की उसकी उम्र थी ।

[श्री सूरज भान]

उन डाकुओं के पास कितना समय था वे कितने निडर थे कि एक ड्रामा रचाया गया, लीला के साथ शादी की गई, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद उसे गोली से उड़ा दिया गया । एक दूसरी महिला जिसका नाम राजिन्द्री था, 18 साल उसकी उम्र थी । इत्तफाक से उस के पास दो बच्चे भी थे । एक बच्चा शायद दो साल का था और एक एक साल का था । वे डाकू गोली चलाते हैं, नीचे पास खड़ा हुआ बच्चा गोली से मरता है, दूसरे बच्चे को भी गोली लगती है, दोनों बच्चों का खून बह रहा है, वे मर चुके हैं । उसके बाद वे हैवान उस राजिन्द्री नाम की महिला से खून बहते हुए उन बच्चों की लाशों के सामने बलात्कार करते हैं और फिर उसे भी गोली से उड़ा दिया जाता है ।

सभापति महोदय, ठीक नवम्बर के महीने में 25 साल पहले केरल में तूतीकोरन एक्सप्रेस का कोई एक्सीडेंट हुआ था । किसी को ड्राइवर का नाम याद नहीं है, आज किसी को कांटा बदलने वाले का नाम भी याद नहीं है लेकिन लालबहादुर शास्त्री जी का नाम सब को याद है । वह रेल मंत्री थे। वह रेल के ड्राइवर नहीं थे, वह कांटा बदलने वाले भी नहीं थे । लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास करते हुए कि मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ा जाए, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । मैं पूछना चाहूंगा ज्ञानी जी से कि क्या इस वक्त मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ने की जरूरत नहीं है ? आज इस बात की जरूरत है कि दंवेली कांड की खूनी होली के बाद आप इस्तीफा दें ताकि इस मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ा जाय । नहीं तो, यह लम्बी कहानी है, पिपरा है, कफल्टा है, किल्वनमनी है, बेलची है, नारायणपुर है, ये होते रहेंगे । और मैं तो ज्ञानी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि —

तेरे रहते लुटा है चमन बागवां
कैसे कह दूं कि तेरा इशारा नहीं ।

आज गवर्नमेंट नाम की कोई हुकूमत यू.पी. में नहीं है । चार हजार से ऊपर शख्स केवल इस साल में कत्ल किए जा चुके हैं। उनमें कुछ पुलिस के आदमी भी शामिल हैं। डकैतियों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता । डिबेट को वहीं दिल्ली तक महदूद रखना चाहता हूं । जैसे मैंने अर्ज किया शुरू में, आठ साढ़े आठ बजे रात तक यह खूनी कांड होता रहा । उसी वक्त शुरू में ही पांच बजे के करीब एक असगर नाम का मुसलमान नौजवान भी कहीं वहीं खड़ा था । उसको भी गोली लगी हाथ पर, उसने चीख कर कहा कि मैं तो हरिजन नहीं हूं । उसके बाद उसको कहा कि तुम चले जाओ, भाग जाओ यहां से। वह था भी दूसरे गांव का । उस गांव में गया । वहां से एक आदमी को साथ लिया और केवल 8 किलोमीटर के फासले पर पुलिस स्टेशन है जसराना नाम का, उस आठ किलोमीटर के फासले पर रात को चलती हुई गोलियां भी सुनाई दे जायेंगी। उस आदमी ने थाने में जाकर कहा कि यह घटना हो रही है । थाने के सिपाही ने कहा कि थानेदार बी. डी. ओ. के घर पर गए हैं, क्योंकि बी. डी. ओ. बीमार हैं। वहां के एस. एच. ओ. का नाम खान है । चुनानचे वह जख्मी मुसलमान नौजवान बी. डी. ओ. के घर पर जाता है और बी. डी. ओ. की मौजूदगी में एस. एच. ओ. से कहता है कि यह घटना हो रही है । उसके बाद एस. एच. ओ. आकर कन्ट्रोल का वायरलैस मैसेज देता है, राणा नाम के पुलिस इन्सपैक्टर को इत्तला दी जाती है । यह इत्तला 18 तारीख को 6.30 और 7 बजे के दरमियान हो चुकी थी, लेकिन पुलिस अगले दिन 11 बजे आती है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है । आप यह तो कह सकते हो कि गोली मारने आ गया तो क्या करें उसका । हालांकि, उसके पहले भी मैंने कहा है कि इत्तला दी गई थी कि हमें गोली मारी जाने वाली है, फिर भी बन्दोबस्त नहीं किया गया और इत्तला देने के बाद भी बन्दोबस्त नहीं किया गया ।

सभापति महोदय, उन डाकुओं ने यह सब कुछ करने के बाद गांव के ही एक मन्दिर में रंग-रलियां मनाईं, शराब उड़ाई, मांस

खाया और इस बात का इन्तजार करते रहे, उन को डर तो था नहीं कि पुलिस आ जाएगी, यह उनको पहले से पता था, कि जो हरिजन बाहर गए हुए हैं, रह गए हैं, अभी वापिस आ जायें तो उनको भी मार दें।

ज्ञानी जी ने 23 तारीख को बयान देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह कोई हरिजन या गैर-हरिजन का सवाल नहीं है। उनकी यह रिपोर्ट है-ठाकुर ने रहनुमाई की, उसमें एक मुसलमान, एक नाई और एक तेली था, डाके को डालने में। 23 नवम्बर तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मैं अब ज्ञानी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह स्टेटमेंट किस आधार पर दिया है? किसने आपको बताया कि एक नाई, एक मुसलमान और एक तेली था? यह भी बताइए कि क्या मरने वाले सिर्फ हरिजन नहीं थे? कोई पकड़ा नहीं गया था, किसी ने बताया न था कि हमारे साथ कौन था, फिर आपने यह कैसे कह दिया कि उनके ग्रुप में ये शामिल थे?

कल देश की प्रधान मंत्री, मुझे हैरानी होती है इस बात को कहते हुए, ने अपनी पार्टी को एड्रेस करते हुए कहा कि-इट इज एन आर्डिनरी रिइवलरी। कोई कास्ट का सवाल नहीं है, हरिजन होने के नाते... **(व्यवधान)**... आप उसको कन्ट्राडिक्ट कर दीजिए, आज अखबार में छपा है।

एक माननीय सदस्य : यह एक इन्टर नेशनल फिनोमिना है।

श्री सूरज भान : मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि क्या ये एक किस्म की थोथी दलीलें नहीं हैं। किसी आदमी को कहा जाए कि यह भूख से मरा नहीं है। उसका पोस्ट-मार्टम किया गया और कहा कि इसके पेट में चावल के दाने निकले थे। यह सर्दी से नहीं मरा, यह कुछ और है, निमोनिया से नहीं कोई और बीमारी से मरा है। इस लिए उसकी गुरबत का कारण न बताते हुए और कुछ कारण बताए जाते हैं। आज हरिजन के खून के लिए हरिजन के बजाए कुछ और कारण देने की कोशिश की जा रही है।

सभापति महोदय, एक ड्रामा दिखाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एलान किया था कि एक महीने के अन्दर-अन्दर मैं इन सबको गिरफ्तार नहीं कर लूंगा, इनका सफाया नहीं कर दूंगा, तो इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद बताया गया कि सन्तोषा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा कन्ट्राडिक्टरी बयान अखबारों में छपा, 14 दिसम्बर को संतोषा को गिरफतार किया गया और कहा गया कि कानपुर में पैट्रोल पम्प के पास गिरफतार किया गया और पुलिस ने बताया कि वह स्कूटर पर था और उसके साथ एक और नौजवान था।

जब यू. पी. के होम मिनिस्टर से पूछा गया, अखबार वालों ने पूछा कि वह स्कूटर कहां है अब और वह नौजवान कौन था, तो उन्होंने अखबार वालों की मौजूदगी में आई. जी. पुलिस से पूछा कि वह स्कूटर कहां है और वह नौजवान कौन है? अखबारात में यह खबर पहले छप चुकी थी और यह अन्दाजा लगाया जा चुका था और वह असलियत भी है कि वह नौजवान यू. पी. के एक बड़े राजनेता का लड़का है।

एक माननीय सदस्य : कौन सा राजनेता?

श्री सूरज भान : यह तो आप अखबार वालों से पूछ लीजिए, अखबारों में आया है। स्कूटर का कोई पता नहीं है और आइ. जी. साहब से सुनने के बाद मिसेज बख्शी, वहां की होम मिनिस्टर कहती हैं कि उस को पैट्रोल पम्प से गिरफ्तार नहीं किया गया। उस को तो उस के घर के पास से गिरफ्तार किया गया न उसके साथ कोई और था और न कोई स्कूटर वहां था। इस तरह से मामला ही बदल दिया गया। संतोषा की बीवी से अखबार वालों ने पूछा, तो उस ने कहा कि वे तो सुबह से खाना खा कर बाहर गये हुए हैं और अखबार वालों ने खुद संतोषा से पूछा, वह जेल में था, तो उस ने कहा कि घर से नहीं, घर के पास से नहीं बल्कि उसी पैट्रोल पम्प के पास से उसे पकड़ा था और उस ने यह भी कहा कि वह स्कूटर कानपुर के एक दैनिक हिन्दी अखबार के कोरसपोंडेंट का है और जब अखबार वालों ने यह पूछा कि वह नौजवान

[श्री सूरज भान]

कौन था आप के साथ स्कूटर पर, तो उस ने कहा कि यह मैं हरगिज नहीं बताऊंगा । उसने यह भी कहा कि मैं ने एक प्लान बना रखी थी कि 20 दिसम्बर को मुख्य मंत्री के सामने अपने आप को पेश करूंगा और यू. पी. के बड़े राजनेताओं से बातचीत हो चुकी थी और यह तय हो चुका था लेकिन इत्तिफाक से मैं पहले ही आड़े हाथ आ गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया । वह यह भी कहता है कि 18 नवम्बर को जो कुछ हुआ, उस के बाद 21 नवम्बर से लगातार मैं कानपुर के अपने मकान में हूं। फिर अखबार वालों ने पूछा कि आप को मकान पर पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा, तो उस ने कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है । वह पहले कह चुका था कि नेताओं से उस की बात हो चुकी थी कि मैं 20 नवम्बर को अपने आप को आफर करूंगा अपने को सरन्डर करूंगा, तो फिर पकड़ने कौन जाता । उस ने अफसरों के नाम लिए हैं और डेजिगनेशन्स दिये हैं कि ये मेरे पे-रोल्स पर हैं ।जसराना का एस. एच. ओ. मेरे पे-रोल्स पर है और कुछ लोगों के नाम उस ने लिये । इन हालात में हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा । मैं तो यह समझता हूं कि संतोषा को यह कहा गया है कि तुम घबड़ाओ मत, अपने को आफर कर दो और तुम्हें अदालत से छुड़वा दिया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य : वह आप से मिला होगा और आप को बताया होगा ।

श्री सूरज भान : मुझ से वह नहीं मिला। कांग्रेसी नेताओं से मिलता है । जब आप बोलें तो जवाब दें दें । . . (**व्यवधान**) . . किलवेनमनी नाम के एक गांव में 1968 में 35 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया और जब मुल्जिमों के खिलाफ केस चला, तो वहां की हाई कोर्ट का यह फैसला है कि ये ऊंची जाति के आदमी हैं, अमीर आदमी हैं और ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते । तो क्या 35 हरिजनों ने अपने आप खेत को आग लगा ली थी? कुफल्टा में जहां हरिजनों को कत्ल किया गया था, उस में जो मुजरिम थे, उन सब को बरी कर दिया गया और दिल्ली में भी यही होने वाला है। वहां के खून में लथपथ कपड़े मेरे साथी राकेश जी ने यहां पेश किये थे । वे कपड़े ही पुलिस के अपने कब्जे में नहीं रहे, तो एविडेंस क्या है? डाकुओं के जूते वहां मौजूद हैं, खून से लथपथ चारपाइयां मौजूद हैं, तो फिर आप के पास एविडेंस क्या है। संतोषा ने यह कहा है और यह अखबार में आया है कि अगर रंगा-बिल्ला को फांसी नहीं होगी, तो मुझे कैसे होगी । . . (**व्यवधान**) . . अखबारों में यह छपा है, मुझ से पूछने की जरूरत नहीं है । उसने यह साफ लफ्जों में कहा है । केन्द्र अगर यह कहता है कि ला एण्ड आर्डर का मामला स्टेट का मामला है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान के मुताबिक हरिजनों, आदिवासियों की हिफाजत केन्द्र की जिम्मेदारी है । इसलिए केन्द्र इस मामले में खामोश नहीं बैठ सकता ।

सभापति महोदय, डा. अम्बेदकर ने एक बार कहा था कि छुआछूत एक ऐसा कलंक का टीका है, अगर इसे मिटाने के लिए कुछ जानें भी कुर्बान की जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये लगातार कुर्बानी हो रही हैं । चाहे वह कुर्बानी मराठवाडा में, बेलछी में कफाल्टा में, पिपरा में, धर्मपुरा में, गुजरात में कहीं भी हो रही हों, वे कुर्बानियां होती जा रही हैं । मुझे पता नहीं ये कुर्बानियां कितने दिन बाद रंग लायेंगी ।

सभापति महोदय, वह वक्त जरूर आ सकता है जब हिन्दुस्तान के हजारों साल से बेइंसाफी और गुरबत की चक्की में पिसे हुए आदिवासी और हरिजन समाज और हकूमत के ठेकेदारों से कहेंगे हमारे बेगुनाह मरने वालों के मिटे अरमानों, टूटी हुई उम्मीदों, जख्मी दिलों और बिगड़े हुए नसीबों की कीमत अदा करो और एक-एक जख्म गिन लो जो कि तुमने लगाया है । यह देश एक खूनी तूफान की तरफ बढ़ रहा है ।

मराठवाडा खिलवन में, देउली में खेली खूनी होली ।

मीनाक्षीपुरम रामानाथापुरम् की घटना इसका आसार है । आज हरिजन हिन्दू

समाज और सरकार से तंग आ कर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है । कल वह जम्हूरियत के ढांचे को तहस नहस करने की भी बात कर सकता है ।

देउली और दिल्ली के नाम मिलते-जुलते हैं । बहुत फर्क नहीं है । देउली में जो चिंगारी भड़की है, वह चिंगारी देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश में फैल सकती है । मैं इस सदन के जरिये देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश में हरिजन और आदिवासियों के साथ अमानवीय और इन्सानियत से गिरा हुआ सलूक बन्द कीजिए, वरना पंजाब और असम ही नहीं, पूरा देश अशांति की लपेट में आ सकता है ।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं, कोई मांग नहीं करना चाहता। पहली बात तो यह है कि जनता पार्टी के शासन में यह हिदायत जारी की गयी थी कि जहां कहीं हरिजनों और आदिवासियों पर ज्यादती होती है, उस जगह के कलेक्टर और एस. पी. को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्या वह इंस्ट्रक्शंस वापिस ले ली गयी है? अगर वे वापिस नहीं ली गयी हैं तो वे कहां हैं? यहां की पार्लियामेंटरी कमेटी वहां जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी जाती है तो उस गांव में वहां का एस. पी. उस कमेटी के सामने नहीं आता है। मिनिस्ट्री आफ होम की तरफ से उसको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं लेकिन एस. पी. नहीं आता है । वहां वह एस. पी. क्यों नहीं आया, एक असिसटेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस जो कि हरिजन था वह आया । वह कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं? चूंकि वह कमेटी हरिजनों की थी इसलिए वहां के एस. पी. का यह व्यवहार रहा । उज्जैन में श्री सत्यनारायण जटिया के साथ क्या व्यवहार हुआ, वह तो कोई बड़ी बात नहीं है? उज्जैन के एस. पी. ने कहा—तुम हरिजन संसद् सदस्य बनने के बाद अपनी औकात भूल गए हो ।

जहां मैं ने कुछ ज्ञानी जी से कहा है वहां मैं आदरणीय मकवाना जी से और वेंकट-सुब्बया जी से भी कहना चाहता हूं कि बेशक आपने सत्ता में आने के बाद कुछ अच्छे काम किये हैं लेकिन आपके माथे पर देउली और कफल्टा कांडों का भी कलंक का टीका रहेगा और आने वाली जेनरेशन आप से पूछेगी कि आपने क्या किया? मकवाना जी अब अगर आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं आपकी कलम रूक ही गई है तो आप इधर आ जाइये, यहां आ कर आपकी जुबान तो खुलेगी ।

वहां के बारे में मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि जो ऐसे सेन्सेटिव एरियाज हैं, उन एरियाज में हथियारों के सब के लाएसेंस कैंसिल कर दिए जाएं और जिनके पास नाजायज हथियार हैं वे उनसे निकलवा लिये जाएं । अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो फिर उन एरियाज के हरिजनों को भी लाएसेंस दिये जाएं, वे स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, सरकार तो नाकाम रही है उनकी रक्षा करने में ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस हरिजन परिवार का बड़ा आदमी मर जाता है, या कमाने वाला मर जाता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं । एक बड़ा आदमी जो होता है, अगर उसको अदालत सजा दे भी दे तो भी उस पर कोई असर नहीं होता । जैसा कि प्रेस में आया है कि संतोषा ने कहा है कि अगर मुझे दस लाख रुपये भी खर्च करने पड़े तो भी मुझे कोई कमी नहीं होगी । उसको अपने बच्चों की कुछ परवाह नहीं है, उसके पीछे हजारों बीघा जमीन है, जायदाद है ।ऐसे कातिलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनको सजा के अलावा उनकी जायदाद भी जप्त कर लेनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों को भी कुछ भूख महसूस हो सके ।

यू. पी. गवर्नमेंट को डिसमिस होना चाहिए । यह कोई कम जुर्म नहीं है जो देवली में हुआ ।

मैं आखिर में यह बात कह कर बैठना चाहता हूं कि भविष्य में इस किस्म की चीजें न हों, इसके लिए मुल्क को कुछ झटका देना पड़ेगा । इस किस्म के बयान कि एक नाई था, एक तेली था, एक मुसलमान था और प्रधान मंत्री कहें कि यह एक छोटी-

[श्री सूरजभान]

नरी रायबलरी थी, इससे गुजारा नहीं होगा । इसलिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिएं, ताकि हरिजनों के मन में विश्वास पैदा हो । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : माननीय सभापति जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि केवल इस सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, जल्कि हर हिन्दुस्तानी जिसके अन्दर थोड़ी सी भी राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्र-एकता की भावना है, वह इस काण्ड से इतना दुखी है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

श्री सूरजभान जी ने जो कुछ भी कहा है, उन मासूमों के प्रति, उन बेकसूरों के प्रति, जिनका नरसंहार किया गया, उससे मैं अपने आपको पूरी तरह से संबद्ध करता हूं और केवल मैं नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूं कि इस सदन का हर माननीय सदस्य अपने आपको संबद्ध करेगा ।

लेकिन श्रीमान् जहां एक ऐसी दुखद घटना है, ऐसी मार्मिक घटना है, उसमें अगर राजनीतिक पुट जोड़ने की कोशिश की जाए वहां चन्द बातों का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा ।

मैं हरिजन समाज की आज की केवल स्थिति नहीं कहता, बल्कि अगर हम पीछे की तरफ नजर डालें तो जो ज्यादतियां हुई हैं, जिस तरह से ना-बराबरी की गई है, उसके नतीजे में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रगति और विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें किसी को शुबहा नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, बल्कि यह कहें कि कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय नेता थे, उनके दिमाग में शुरु से ही यह बात पूरी तरह से उजागर रही और मैं यह मानता हूं कि अगर निष्पक्ष होकर, ठंडे दिल के साथ 1947 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना की जाए तो कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है । निश्चित ही परिवर्तन आया है, लेकिन हजारों साल की ये बेड़ियां जो पड़ी हुई थीं, जो सामाजिक और आर्थिक ना-बराबरी थी वह एक दिन में दूर नहीं की जा सकती । इस क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, उसके बारे में खुशी है, जितनी नहीं हुई है, उसके बारे में चिंता है और मैं यह समझता हूं कि हम में से हर सदस्य के मन में यह बात होगी, मैं केवल अपनी पार्टी की बात ही नहीं करता, इस दिशा में और तेजी से काम किया जाना चाहिए । लेकिन आम तौर से यह होता है, यह केवल हिन्दुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी देश पर नजर डालिए, जब कभी कमजोर और गिरे हुए तबके को ऊंचा उठाने की कोशिश होगी तो निहित स्वार्थ में पड़े कुछ लोगों के स्वार्थों पर इसका असर पड़ेगा । निहित स्वार्थ वाले ऐसे मौकों पर प्रतिक्रिया भी दिखाया करते हैं । मैंने यह बात श्री सूरजभान जी की बात के परिपेक्ष्य में कही है । देवली की घटना को मैं इससे कहीं मिली हुई नहीं पाता हूं । मैंने शुरू में कहा कि उन लोगों के प्रति जिन के साथ ज्यादती हुई है, जो मासूम थे, बेगुनाह थे मेरी पूरी हमदर्दी है । लेकिन मैं एक सवाल करता हूं । अगर ये मरने वाले 24 हरिजन न हो कर किसी दूसरी बिरादरी के रहे होते तो क्या अपराध की जघन्यता में कोई कमी आ जाती? तब भी यह अपराध उतना ही जघन्य होता, उतना ही खराब होता जितना आज है । इस प्रश्न को हरिजनों और ठाकुरों के साथ जोड़ दिया गया है । इस तरह से इस प्रश्न को जो जोड़ते हैं मैं समझता हूं कि वे न हरिजनों के साथ कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं, न देश की एकता को मजबूत करने की तरफ ही कोई कदम उठा रहे हैं । केवल यह प्रश्न इस हद तक जाता है कि कुछ लोग जो अपराधी प्रवृति के हैं उन लोगों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए चाहे वह किसी कारण भी झगड़ा हुआ हो----

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : दिल की बातें कहें । बेलची में क्या हुआ था?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने शुरू में कहा कि मरने वालों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है । मेरा कहना सिर्फ यह है कि मरने वाले मासूम थे, बेगुनाह थे और मारने वालों की खता को माफ नहीं किया जा सकता है, न समाज की दृष्टि से और न ही कानून की दृष्टि से । उसे बिरादरी का नाम देना ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि इस मामले में थोड़ा सोच समझ कर किसी बात को कहना चाहिये । केवल आवेश में आ कर कोई बात कह देना अच्छा नहीं होता है । जो मैं कहना नहीं चाहता हूं वह आप मुझ से कहलवा रहे हैं ।

सभापति महोदय : जो नहीं कहना चाहते न कहें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस वास्ते मुझे कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक पुट जोड़ा जा रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : डीरेलमेंट नहीं होना चाहिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा कहना इतना ही है कि किसी मासूम, बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हुई है तो उसके साथ बिरादरी का प्रश्न बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिये । आम तौर से मरने वालों के बारे में यह समाज का तरीका है कि कोई बात नहीं कही जाती । लेकिन अगर मेन-पुरी जिले का खास तौर से उस थाने का नम्बर 8 का रजिस्टर और उस में अंकित नामों की सूची माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में रख दें तो मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत सी भ्रान्तियां समाप्त हो जाएंगी । आगे मैं कुछ नहीं कहता । यह सच है कि मरने वालों में ऐसे लोग रहे जैसा कि अखबारों की रिपोर्टों में भी आया है जो मासूम थे । लेकिन यह भी अखबारों में आया है कि उस गांव के कई एक हरिजन संतोषा और राधे के गिरोह में वाकायदा शामिल थे । हो सकता है कि ऐसे कई लोग रहे हों जिन में माल के बटवारे या और किसी कारण से झगड़ा हुआ हो । इसके बावजूद मरने वालों में कई ऐसे लोग रहे और महिलायें भी रहीं जिन का माल के बटवारे का कोई झगड़ा नहीं था । लेकिन शुरूआत जरूर वहां से हो सकती है । लेकिन मैं उसे अपनी बात का बेसिस नहीं बनाना चाह रहा हूं । मैं केवल इस बात को कह रहा हूं कि इस मामले में इसी परिपेक्ष में देखें कि चन्द लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का काम किया । राजनीतिक आरोप लगा कर मैं यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि यकीन के साथ कह रहा हूं । शुरू में मैंने कहा कि इस सरकार ने हरिजनों और आदि-वासियों की प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए जो काम किए हैं, कांग्रेस शासन में जो कुछ किया गया है, वह सब किसी और के शासन में नहीं किया गया है ।

निहित स्वार्थों ने, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने हरिजनों के हित के खिलाफ काम किया है । माननीय सूरज भान जी कह रहे थे मकवाना जी को कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इधर उठ कर आ जाइये, कम से कम जबान ही खुल जाएगी । मेरा ख्याल है कि शायद खुद भी वह अपने दिल से यह बात नहीं कह रहे होंगे । मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि 1977 तक जितनी भी जमीनें बेजमीन हरिजनों को बांटी गई थी, या हरिजनों के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम किये गये थे, माननीय त्रिलोक सिंह जी उत्तर प्रदेश असेम्बली में सदस्य थे और बाद में मंत्री भी थे, और मैं भी सदस्य था, वह जानते हैं यह प्रश्न कितनी बार वहां के सदन में उठा ? मैं एक बार पहले भी यहां मांग कर चुका हूं सरकार क्या यह आंकड़े रखेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1977 से पहले जितनी हरिजनों को जमीन दी गई थी, 1977 से ले कर 1979 के आखिर तक, उसके बाद कितने हरिजनों को कबजे नहीं लेने दिये गये उन जमीनों पर? और कहीं की तो छोड़िये दिल्ली में ही इतने नजदीक गांव कंझावला में प्रति-क्रियावादी यह हिम्मत कर सकते हैं कुछ राजनीतिज्ञों के पनाह पर कि हरिजनों को दी गई जमीन पर कब्जा भी नहीं लेने देंगे, और हरिजन कबजा नहीं लेने पायें इसके लिए बोट क्लब पर बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करेंगे और एक विशेष राजनीतिक दल से

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

ताल्लुक रखने वाले माननीय सदस्य किसानों के नाम पर उनके फायदे की बात भी नहीं सोचेंगे, हरिजनों को दबाने की सोचेंगे, वह किस मुंह से इस सरकार पर लांछन लगाते हैं यह देख कर मुझे हैरानी होती है। उसके बाद हरिजनों को जमीन देने से इन्कार करने वाले सदस्यों की बात भी करेंगे यह और भी आश्चर्य की बात है। मान्यवर, बुनियादी तौर पर यह मानसिकता का प्रश्न है, सोच का प्रश्न है। मैं यकीन से कहता हूं कि 1977 के बाद उन निहित स्वार्थों को, प्रतिक्रियावादी ताकतों को जो बढ़ते हुए हरिजनों के उत्थान से परेशान थे कि उन्हें एक नई जिन्दगी मिले, 1977 में उस मानसिकता को बढ़ावा मिला। और 1977 से 1979 तक उस मानसिकता को खूब बढ़ाया गया। उसको कंट्रोल करने में, रोकने में यकीनन मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारी सरकार वह कर रही है। थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसा मैं उचित नहीं समझता हूं। हमारे सूरज भान जी बहुत उर्दू शेरों का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं:

चमन की पत्ती पत्ती मुन्तशर कर दी जिन्होंने,
गजब देखो वही नज्मे चमन की बात करते हैं।

यह स्थिति पैदा ही इसलिए हुई है, ऐसे लोगों की हिम्मत इसीलिए बढ़ रही है कि 3 साल तक उनकी मानसिकता को खूब मजबूत किया है। लेकिन मैं पूछूं, देवली कांड शर्मनाक है, इस सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है, चाहे केन्द्र का हो या प्रांत का, जो देवली गया हो और उन गरीबों की मजबूरी को देख कर न रोया हो। खुद प्रधान मंत्री वहां गयी थीं। मैं पूछता हूं कि बेलछी कांड के समय कौनसा प्रधान मंत्री वहां गया था। बाबू जगजीवन राम भी वहां नहीं गये, चौधरी चरण सिंह नहीं गये। इसके अलावा और जितने भी इस किस्म के कांड हुए कोई बड़ा नेता तत्कालीन शासक दल से संबंधित क्या वहां गया?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) प्रधान मंत्री कफालटा नहीं गयीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अगर प्रधान मंत्री देवली न जातीं तो आप खुद कहते कि प्रधान मंत्री वहां गयी भी नहीं। जहां तक आपने कफालटा की बात कही, तो मेरी आप से निवेदन है कि यहां इस समय चर्चा देवली पर हो रही है, कफालटा पर नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज यह देवली कांड हुआ है.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, उनकी बातों का जवाब न दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: श्रीमान्, मुझे केवल इतना कहना है कि यह बदकिस्मत वाक्या.... शर्मनाक वाक्या हुआ, इस पर जितना दुःख का प्रदर्शन किया जाये, वह कम है लेकिन केवल हर मामले से राजनीतिक चीजों को जोड़ देना, उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्मिस किया जाना चाहिए, कहा गया है मारते वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये गये, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं समझता हूं कि ना यह हरिजनों के साथ हमदर्दी है न समस्या के समाधान की कोशिश है, बल्कि समस्या को जटिल बनाने में इससे मदद मिल सकती है, समाधान में मदद नहीं मिल सकती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आदर्श का और अपने कर्तव्य को पहचानने का परिचय दिया है--वह देवली गये, वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता, यह जिम्मेदारी मेरी है। खुद उस वक्त उन्होंने कहा कि इस वक्त एक तरीका तो यह है कि मैं सरकार से हट जाऊं और दूसरा तरीका यह है कि अपने आप को कुछ समय दूं और इस समस्या का या यह जो समस्या है जहां बेगुनाह लोगों को मारा गया है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूं और उसके लिये उन्होंने अपने आप को एक महीने का समय दिया, यह एक आदर्श की बात है। अगर उस बीच में वह स्थिति पर काबू न पा सके तो उन्होंने खुद कहा कि मैं शासन से अलग हो जाऊंगा।

एक महीने के अन्दर, मैं अकेले संतोषा को पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल संतोषा को ही नहीं, 4 आदमियों को

दवेली कांड से संबंधित पुलिस के साथ मुठ-भेड़ में मार दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नाम मेरे पास हैं मैं बताता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : पूरे देश में जो मर रहे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके नाम प्रथम सूचना में दिये गये हैं । ऐसे 4 आदमी मारे जा चुके हैं, आप नाम जानना चाहते हैं, उनके नाम हैं—मुन्ना . . . .

श्री राम विलास पासवान : अखबार में पढ़ लिये हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पढ़ लिया है । बड़ी मुसीबत यह है कि अखबार में जो चीज आपके मतलब की छप जाये, वह सब सच, अगर हम उसी बात को कहेंगे तो वह आप कहेंगे कि अखबार में पढ़ लिया है । अखबार में तो बहुत सी बातें रोज पढ़ लेते हैं, फिर आप रोजाना 12 बजे हंगामा क्यों करते हैं ?

केवल अखबार में ही नहीं, सूरजभान जी ने संतोषा द्वारा कही गई, अखबार में छपी हुई बातों पर भरोसा कर के जिस तरह से एक-एक आदमी पर आरोप लगाये हैं, लगता है जैसे संतोषा नहीं, साक्षात . . . . मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता कि कौन बोल रहा है ।

क्या संतोषा इतना ही विश्वास लायक है कि उसके दिये गये हर वक्तव्य को इस सदन में सुनाया जाये ? क्या उसकी हर बात इस लायक है, तो उसकी दूसरी बातों पर भी यकीन कर लीजिये, जो कि मैं नहीं करूंगा। न मैं उसको उस बात पर यकीन करूंगा जहां उसने अपने मारने के सही ठहराने के लिए कारण बताया है, न उसके उस आरोप पर यकीन करूंगा जहां वह कुछ लोगों पर झूठे आरोप लगाता है या झूठे आरोप उसके द्वारा लगवाये जाते हैं । मैं दोनों में से किसी बात पर भी यकीन करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

यह भी कहना बड़ा आसान है कि यू. पी. के किसी राजनेता का बेटा संतोषा के साथ है । आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है । उत्तर प्रदेश की बात करूं, जरा याद कीजिये 1978 में "रविवार" ने छापा—मंत्री मवेशी चोर, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री अपने कालेज के प्रिंसिपल के हत्यारे । आज आप समझते हैं कि अगर यह आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चले तो असली समस्या की तरफ से हम हट जायेंगे । मैं समझता हूं कि दोनों बातें गलत हैं । न किसी पर आरोप लगाइए और न कोई दूसरा जवाबी आरोप लगाया (**व्यवधान**) अगर मैं दोनों को सही मान लूगां, तो फिर जैसा कि मैंने पहले कहा है, उन बेगुनाहों के साथ इन्साफ नहीं हो सकता, जिनके साथ दवेली में ज्यादती हुई है। संतोषा की बात आप मान सकते हैं, मगर कांग्रेस दल का कोई सदस्य नहीं मान सकता । वह आपके लिए विश्वास करने लायक हो सकता है, हमारे लिए वह बिलकुल विश्वास करने लायक नहीं हो सकता । जिस आदमी के हाथ गरीबों के खून से रंगे हुए हैं, हम उसकी बात नहीं मानने वाले हैं ।

यह एक जातिगत संघर्ष तो नहीं था, लेकिन एक विशेष बिरादरी के लोग इसमें मारे गए हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है । उस ज्यादती को हम कैसे अपने शब्दों में कह सकते हैं ? मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का वह फोटो, जिसमें वह दवेली के एक गरीब हरिजन परिवार के सदस्यों के साथ बात कर रही हैं, और अखबारों में छपा वह वर्णन कि किस तरह श्रीमती गांधी रो दीं, लोगों का दिल हिलाने के लिए काफी है । उसको जबान से बयान नहीं किया जा सकता । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वे अखबारी आंसू थे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप तो अखबारी आंसू भी नहीं दिखा सकते ।

मैं समझता हूं कि वह काफी है और उसने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासनिक मशीनरी को इतना प्रेरित किया कि आज उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासनिक मशीनरी दस्यु समस्या को हल करने और

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

हरिजनों पर अत्याचार की प्रवृत्तियों और निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष की भूमिका बहुत जोरों से निभा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकेगी---वह दस्यु समस्या को भी निपटा सकेगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी सक्षम कार्रवाही कर सकेगी, जिनके मन और मस्तिष्क में यह अपराधी विचार आता है कि वे हरिजनों का उत्पीड़न कर सकें ।

सरकार से मेरा आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि इस मामले में और भी ज्यादा चुस्ती आनी चाहिए, सरकारी मशीनरी और राज्य सरकारों को और ज्यादा सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि भले ही बिरादरी के नाम पर यह घटना न हुई हो, तो भी अव्वल तो अपराध रोके जाने चाहिए, लेकिन जहां कहीं अपराध गरीब, कमजोर और हरिजन वर्ग पर होते हैं, वहां सख्त से स्ख्त कार्यवाही यथाशीघ्र होनी चाहिए और जो कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में सुस्ती करता हुआ पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

इस के अलावा आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए, कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए, जो राजनीति से ऊपर हो । मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन गांव में एक मसल है कि अपने बिल में तो कीड़ा-मकोड़ा भी सीधा जाता है (**व्यवधान**) मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कहीं उसे अनपार्लियामेंटरी न कह दिया जाए । किसी का दर्द तो ऐसा होना चाहिए, जो सही तौर पर महसूस किया जाए । सिर्फ राजनैतिक प्रहार करने के लिए हरिजनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे मजदूरों की लाशों को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर के मंत्रिमंडल में बैठ जाने वाले लोग हरिजनों की लाशों को मंत्रिमंडल में बैठने के लिए इस्तेमाल करें ।

हरिजनों, गरीबों, कमजोर और पिछड़े हुए लोगों के दर्द को समझ कर ठीक तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए । इस प्रकार की बातें करने से जाति-संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा । क्या इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें इस समस्या का समाधान हैं ? जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल कर बैठें . . . (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अगर हरिजनों की हत्या होगी तो इस से ज्यादा उत्तेजनात्मक बातें होंगी । संघर्ष का परिणाम चाहे जो निकले लेकिन हरिजनों की हत्या होगी तो इस से भी ज्यादा उत्तेजनात्मक बातें होगी और इस देश में यदि गुजारा नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं है कि जब दूसरे देश की मांग होगी । . . . (**व्यवधान**) . . . आप कहते हैं उत्तेजनात्मक बात ?

सभापति महोदय : शांत रहिए ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, ऐसे लोगों को बुलवाइए जिन के दिल में हरिजनों के प्रति दर्द हो । . . . (**व्यवधान**) . . . आप क्या समझते हैं, 24 आदमी मारे गए हैं और उसके बाद यहां पर मोलम्मा चढ़ाया जा रहा है ।

सभापति महोदय : ठीक है, बैठिए आप ।

श्री राम विलास पासवान : हरिजनों पर जुल्म होगा तो दूसरे देश की मांग होगी ।

सभापति महोदय : प्लीज, रामविलास जी, आप बैठिए । आप ने अपनी बात कह दी ।

श्री राम विलास पासवान : यहीं तक मामला नहीं रहेगा । और यह सिर्फ मेरे ही पास नहीं है, आप के ही जो लोग दंवली में गए हैं वह बोलेंगे तो आप के मुंह पर तमांचा लगेगा ।

सभापति महोदय : ठीक है, आप ने अपनी बात कह दी । अब आरिफ जी, आप अपनी बात खत्म करें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब मुझे दो मिनट तो जरूर दीजिएगा ।

सभापति महोदय : नहीं, कोई यहां सवाल जवाब की बात नहीं है । आप बोल

लिए, मैं आपको 26 मिनट दे चुका हूं । आप की पार्टी के और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, सिर्फ दो मिनट ।

सभापति महोदय : अच्छा, ठीक है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ऐसे आदमी को बुलाइए जिस के दिल में हरिजनों के प्रति दर्द हो । मैं आप से केवल एक बात कहता हूं, किस मां के पेट से पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई यह समझे कि हरिजनों का किसी ने ठेका लिया हुआ है तो यह गलत है । आप से कम दर्द किसी के दिल में नहीं है । अगर आप के दिल में दर्द है तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : राम बिलास जी, आप ने एक बात उनको कही, उनको अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा निश्चित मत है कि अगर हरिजनों के लिए किसी के दिल में दर्द है तो वह चौधरी चरण सिंह को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकता है जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : अब आप फिनिश कीजिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब मेरे ऊपर आरोप लगाया तो . . .

सभापति महोदय : आप ने जवाब दे दिया । बस ठीक है ।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): He is taking our time.

MR. CHAIRMAN: Please do not make that point.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: He is taking our party time. (*Interruption*). You should be nautral.

MR. CHAIRMAN: I will not allow one Member to speak without time limit. There are several Members. He asked for two minutes, I have given him two minutes.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, आप का आदेश मेरे लिए मान्य है । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस विश्वास के साथ कि सरकार हरिजनों की सुरक्षा और अपराधों को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करेगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी, राज्य सरकारों को हरिजनों के प्रति उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में कहीं कोई कमी छोड़ी है । उनके खिलाफ यह सरकार सख्त कार्यवाही करेगी, राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि हरिजनों के उत्थान, उनके विकास और उनकी प्रगति के लिए समुचित कदम उठाए जायं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति महोदय : झारखंडे राय जी ने एक अनुरोध किया है कि उनका लड़का दुर्घटनाग्रस्त है और अस्पताल में है । वह अभी बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको टाइम दे रहा हूं ।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : सभापति महोदय, जहां तक घटनाओं के विस्तार का, उनके वर्णन का प्रश्न है पिछली बार भी और इस बार भी वह आ चुका है । प्रथम वक्ता महोदय ने जितने विस्तार से अपनी जानकारी पेश की है उससे अधिक कुछ पेश करना भी संभव नहीं है । इस तरह की घटनाएं आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर हुई हैं । इस में यह कहना कि कांग्रेस राज में नहीं हुई या जनता राज में नहीं हुई या लोक दल के 6 माह के शासन में नहीं हुई, आज दो वर्ष के कांग्रेस शासन में नहीं हुई हैं, ऐसी बात नहीं है । घटनाएं कमोबेश आजादी के बाद बराबर हो रही हैं । कभी बढ़ जाती हैं कभी थोड़ी कम हो जाती हैं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । इस के बाद मुझे टाइम देना है । मैं पासवान को कहूंगा कि सब को बोलने दें, उससे पता लग जायगा कि कौन हरिजनों के हक में है कौन उनके बरखिलाफ हैं ।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री सुन्दर सिंह : इस तरफ भी पता लगेगा कि कौन हरिजनों के हक में है और उस तरफ भी पता लगेगा कि कौन हक में है ।

सभापति महोदय : आप का समय आएगा तो आप बोलिएगा ।

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर, मैं बता रहा था कि ऐसी घटनायें बराबर हो रही हैं, जिनके मूल कारणों पर, घटना विशेष पर विचार होना चाहिए, यदि संभव हो तो प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए । उसके बारे में किसी प्रकार की कोताही सरकार को नहीं करनी चाहिये--न भारत सरकार को और संबंधित सूबे की सरकार को । लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी घटनायें आजादी के बाद बढ़ रही हैं या नहीं ? मेरा अनुमान है कि आजादी के बाद ऐसी घटनायें बढ़ रही हैं । क्यों ? मान्यवर, मैं क्यों पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं । कारण यह है कि हरिजन पहले बर्दाशत करता था, चुपचाप सह लेता था, रोता भी नहीं था अगर रोता भी था तो घर में बैठ कर चुपचाप रोता था । आज स्थिति बदल गई है, आजादी के बाद जो आजादी की भावना फैली, तरह-तरह के जन संगठन उनके बीच में काम करने लगे हैं । उनके प्रोत्साहन की भावना आई है, उत्साह की भावना आई है, हिम्मत आई है और साहस आया है, प्रतिरोध करने की भावना उनके अन्दर आई है, जो कि स्वागत योग्य है । जब ऐसी घटनायें होती हैं, तो उनका प्रचार भी होता है और प्रसार भी हुआ है । विधान सभाओं में उनका वर्णन किया जाता है और उसकी धमक लोक सभा तक पहुचती है और पहुचेगी । यह बदलता हुआ जमाना, प्रगतिशील क्रान्तिकारी जमाने की पहचान है, इसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है ।

हरिजन प्राचीन काल से कहा जाता है कि चले आ रहे हैं, हरिजनों या उसी तरह की कोई जाति । दास--दास का वर्णन हमारे पुराणों में है, वेदों तक में है और दुनिया के हर हिस्से में समय समय पर दास की प्रथा रही है । हरिजन उसी दास की प्रथा के अवशेष हैं । आज समाज में कोई है, तो वे वही हैं । शूरू से, प्राचीन काल से इस हिस्से को दबाया गया है और दबाया जा रहा था । मामूली युग में भी दबाया गया और आज के युग में भी दबाया जा रहा है । उनके अन्दर विद्रोह की भावना पैदा करना, रजिसटेंस की भावना पैदा करना, टकराव की भावना पैदा करना, क्रांतिकारी चेतना पैदा करने की आज जरूरत है, लेकिन सिर्फ आंसू बहाने की जरूरत नहीं है ।

देश के समाज सुधारकों ने, यदि भगवान बुद्ध से लिया जाए, तो किस ने हरिजनोंद्धार, हरिजन-सेवा, हरिजन उदारता की बात नहीं कही है । कौन सा हमारे देश का मनिषी है, समाज सुधारक है, राजाराम मोहन राय से लेकर विद्या सागर और महात्मा गांधी तक जिसने इस बात की चर्चा नहीं की है । इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ । अपेक्षित बात तो नहीं हुई । क्यों ? क्योंकि समाज को बदलने की बात नहीं की गई, केवल समाज को यथास्थिति कायम रख कर उसमें थोड़ा सुधार, थोड़ी उदारता, थोड़ी दया और दयालुता के भाव से ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया । इसी लिए थोड़े समय तक थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता रहा, लेकिन आज भी वह चल रहा है ।

आइसोलेशन की राजनीति भी हरिजनों के लिए खतरनाक होगी । हरिजनों के माने हुए नेता श्री जगजीवन राम जी यहां बैठे हुए हैं । मैं जो हरिजन बिरादरी में पैदा हुए हैं, उनकी बात करता हूं । यदि यह भावना हरिजनों में उनके नेताओं में, घर कर गई कि हरिजनों को आइसोलेटेड तरीके से रखकर ही उनका उद्धार किया जा सकता है, तो उससे भी नुकसान हो जाएगा । क्योंकि हरिजनों के ही समान अन्य जातियों में भी लोग गरीब हैं और सभी गरीब हैं, तो उन गरीबों का एक मोर्चा हो, एक संगठन बने, एक वर्ग संघर्ष हो, तो उद्धार की बात हो सकती है । यदि यह भावना हरिजनों में पैदा होती है, तो उसको रोका जाना चाहिए, वरना अगर स्वर्ण जातियों के साथ साथ गरीब भी इकट्ठे

हो गए तो कहर हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, एक सिविल वार हो जाएगी ।

19.00 hrs.

अगर जातिवादी युद्ध हो गया, कास्ट वार हो गई, तो सारा सत्यानाश हो जाएगा और सारा देश खंडित हो जाएगा । इसलिए मैं विनम्र शब्दों में एक चेतावनी अपने साथियों को देना चाहता हूं कि इस को रोका न गया, तो हमारे देश के सामने बहुत मुसीबत आ जाएगी । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मेरी निश्चित राय है कि इस समस्या का समाधान यह भी है कि पुलिस और तमाम आर्म्ड फार्सेज में हरिजनों को उन की जनसंख्या के आधार पर सेवाओं का मौका देना चाहिए । आर्म्ड फार्सेज में जब वे काफी संख्या में चले जाएंगे तो देश में इस चीज को रोकने का काम वह कर सकेंगे और एक रुकावट इस में आएगी ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि भूमि सुधारों का काम होना चाहिए । यह काम आजादी के बाद से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इस से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता और शासक पार्टी के लोग भी यह नहीं कह सकते कि भूमि-सुधारों का काम सम्पन्न हो गया है, परिपूर्ण हो गया है । भूमि-सुधारों में जमीन बांटना एक महत्वपूर्ण काम है और सही तरीके से इस पर सीलिंग हो। अगर जमीन बांटी जाती, तो सब से पहले हरिजनों को मिलती । अगर कहीं पर उन को जमीन मिली भी है, तो उस पर उन का दखल नहीं है और अगर कहीं दखल भी हो गया है तो बेदखली की तमाम घटनाएं हो रही हैं । यहां दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई हैं और देश के कोने-कोने में हुई हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों को जमीनें दी जाएं और उन को इस लायक बनाया जाए कि वे दो रोटी से महरूम न रहें । यह इस समस्या का सब से बड़ा समाधान है ।

मजदूरी कानून तो बहुत बने हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता । छोटे-छोटे फार्म या बड़े-बड़े खेत वाले हरिजनों, खेत मजदूर और दूसरे पिछड़े हुए लोगों को इस तरह से शोषण करते हैं, जिस का कोई अन्दाज नहीं लगा सकता । दो-दो और चार-चार आने पर उन से काम कराते हैं । यह सामाजिक उत्पीड़न केवल कानून के बल पर नहीं जाएगी, यह मैं मानता हूं और हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी भी इस बात को कहेंगे कि सामाजिक उत्पीड़न केवल कानून के बल पर नहीं जा सकती है । मैं समझता हूं कि इस को दूर करने के लिए सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक क्रान्ति की जरूरत है और उस के लिए क्रान्ति का मंत्र हरिजनों में, गरीब लोगों में, खेत-मजदूरों में और गरीब किसानों में फूंकना होगा और जब वर्ग संघर्ष की ज्वाला भड़केगी, तो जाति-संघर्ष भी पीछे हटेगा । अगर दमन किया जाएगा और कोई हमला सामंती और पूंजीवादी द्वारा होगा, तो बिना सहायता के वे प्रतिरोध करेंगे और उस प्रतिरोध में मुट्ठी भर लोगों को पीछे हटा देंगे । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो वर्तमान वर्ण-व्यवस्था है और वर्तमान वर्ग समाज है, यही सारा जिम्मेदार है हरिजनों की आज की दुर्गति का । मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है और मैं अधिक समय न लेते हुए एक दो बातें कह कर अपनी बात खत्म करूंगा ।

सुझाव के रूप में मेरी राय है कि हमारे जो यहां पर माननीय सदस्य और जो खास कर हरिजन बिरादरी के हैं चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के हों, उन को अगर मेरा सुझाव मान्य हो, तो मानें और वह यह है कि हरिजनों और सभी गरीबों को सामूहिक, मिला-जुला एक संगठन बनाना चाहिए और उन्हें अपने को हथियार बन्द करना चाहिए । जो हथियार कानून कायदे से मिले हुए हों और जिन में लाइसेंस की जरूरत न हो, उन हथियारों से उन्हें अपने को सुसज्जित करना चाहिए और उन का एक ऐसा जत्था बने जो सामंती और गुन्डई हमले का जम कर मुकाबला करे और अगर उन के 24 आदमी गिरते हैं, तो दूसरों के 48—50 आदमी गिरा दें । जब ऐसा होगा, तो ये चीजें अपने आप बन्द हो जाएंगी । अपनी रक्षा करने का काम उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, केवल सरकार के भरोसे पर काम नहीं चल सकता । मैं नाम नहीं लूंगा वरना मंत्री जी कहीं कुछ न कह दें, मुझे एक जिले के एक कलक्टर ने,

(श्री झारखण्ड राय)

जिस के यहां हम डैपूटेशन ले कर प्रदर्शन के बाद मिलने गये थे, वह कहा कि आप हो यह बताएं कि क्या मेरे लिए यह मुमकिन है कि एक कलक्टर की थोड़ी सी पुलिस हर हरिजन गांव में, गरीबों के गांव में हर हरिजन के पीछे बन्दूक ले कर घूमे और उस की रक्षा करे । उस ने हम को वहां से हटाने के लिए यह बात कह दी हो, यह हो सकता है लेकिन बहुत हद तक वह बात सही है कि जब तक स्वतन्त्र तरीके से एक भाव अपने अन्दर पैदा नहीं किया जाएगा और संगठन बना कर ऐसी चीजों का प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि निन्दा तो इस घटना की सारे देश ने की है, सारी पार्टियों ने, इस सदन ने और उस सदन ने की है और सभी ने इस का विरोध किया है और इस पर थूका है लेकिन अंत में यही कहूंगा माननीय ज्ञानी जैल सिंह से कि जो कुछ भी प्रशासनिक तरीके हैं, उस को जरूर अपनावे और अगर कहीं ऐसी घटना होती है और उस में पुलिस के वहां पहुंचने में ढील होती है या इंक्वायरी कराने में, जांच कराने में और कार्यवाही करने में कोई ढील होती है, तो जो अधिकारी सम्बन्धित हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए । अगर इसके लिए सत्ता में या कानून में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो तो वह भी करना चाहिए तब जा कर हरिजनों में विश्वास पैदा होगा और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारी रक्षा के लिए खड़ी है, जमकर खड़ी है । जब उनमें विश्वास जमता जाएगा तो धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं खत्म होती जाएंगी और ये ज्यादतियां भी समाप्त हो जाएंगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति महोदय, देउली की घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं । यह एक ऐसी शर्मनाक घटना है कि हम सब का तथा इस देश के हर नागरिक का सिर शर्म से झुक जाता है ।

जैसा कि हमारे अभी पूर्ववक्ताओं ने इस घटना के बारे में विस्तार से विवरण दिये हैं और अपने ढंग से इस घटना को बताने का प्रयास किया है; यह बात सही है कि इस घटना में 24 हरिजन मारे गये । परन्तु आज जो बुनियादी प्रश्न इस देश के सामने है उसके बारे में हम सब को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा । इसके लिए अब वक्त आ गया है । यह सवाल हमारी गवर्नमेंट का या किसी और की गवर्नमेंट का नहीं है । सवाल इस देश में अमीरी और गरीबी, सबल और निर्बल और बलवान और कमजोर के बीच जो लड़ाई है उस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, यह महत्वपूर्ण समस्या है ।

अभी हमारे भाई सूरज भान साहब ने प्राइम मिनिस्टर के किसी स्टेटमेंट के बारे में कहा । पता नहीं वह किस अखबार में आया था, मैं नहीं कह सकता । परन्तु इस घटना के बाद ही हमारे बहुत से संसद् सदस्य उनसे मिलने गए थे । हमने उनसे केवल पांच मिनट मिलने का समय मांगा था लेकिन हमारी करीब आधे घंटे तक प्रधान मंत्री जी से चर्चा हुई । यह बात कहने में मुझे आज भी कोई सन्देह नहीं है कि आज भी इस देश का जो कमजोर वर्ग है, उसकी प्रधान मंत्री जी और उनके नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था है ।

झारखण्डे राय जी ने जैसा कहा, बुनियादी समस्या है कि जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है इसको कौन खत्म करेगा । हमारे देश में जो सामाजिक बुराई और दोष है, इसको अगर आप कहें कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ही इसको दूर करे, यह तो मैं नहीं मान सकता । जब तक इस देश का समाज मिल कर आगे नहीं आयेगा, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे सभी वर्गों के लोग हों जब तक वे आगे नहीं आयेंगे तब तक यह संभव नहीं है । यह ठीक है कि आज देउली में वह हुआ, लेकिन पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और आने वाले समय में भी हो सकती हैं । हम यह सोच कर बैठें कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही उसे दूर करेगी तो मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं है । सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार साधन हो सकती है

लेकिन वह साध्य नहीं हो सकती है । उसके लिए तो इस देश के समाज को ही आगे आना होगा । नहीं तो कभी भी इसका अन्जाम बुरा हो सकता है ।

हमारे सूरज भान जी ने मीनाक्षीपुरम् और रामानाथापुरम् का नाम लिया यह भी उस अन्जाम का एक इशारा है। हमारी सरकार को इस देश से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के बारे में गंभीरता से सोच कर रास्ता निकालना चाहिए । सारे राजनीतिक दल इसको सोचें कि किस ढंग से स्थिति से निपटना चाहिए ।

दंवेली की घटना बहुत दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं है । तीन-तीन घंटे तक वारदात होती रही, यह समझ के परे है । पुलिस की सहायता 16-17 घंटे बाद पहुंची, यह भी समझ में नहीं आता । इसलिए इस संबंध में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा । खासकर के पुलिस की स्थिति को देखें । एक अखबार वाले ने जब एक कांस्टेबल से पूछा तो उसका जवाब था कि "यहां तो हर गांव दंवेली है ।" आज थाने की स्थिति देखिए और नहीं तो गृह मंत्री जी से निवेदन है कि दिल्ली के थानों की स्थिति को ही देख लें । आज सिपाही, हवलदार और थानेदार की क्या हालत है । उनके वेतन-मान और सुविधाएं क्या है, इन बातों पर गौर करने का वक्त भी आ गया है । जो समाज के रक्षक हैं, उनकी आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बारे में भी सोचना होगा । इसके बगैर समाज की रक्षा नहीं हो सकती । आज सबसे कम वेतन पाने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं । दंवेली में सिपाही ने कहा कि थानेदार ही सस्पेंड क्यों हुआ । कोई भी बात होती है तो सबसे ज्यादा हम लोगों को ही भुगतना होता है । इस बारे में भी हमें ध्यान देना होगा । उनकी भावनाओं को भी समझना होगा । मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको दी जाने वाली सुविधाएं और वेतनमान आदि के संबंध में विचार किया जाए ।

खासकर जो बुनियादी समस्याएं हैं, जितने भी अत्याचार हुए हैं, उनको अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आर्थिक पक्ष जरूर सामने आता है । दंवेली में स्वर्ण वर्ग इसलिए हरिजनों से नाराज हुआ क्योंकि हरिजनों को जमीन दी गई ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लैण्ड रिफार्म हैं, उनके बारे में भी फिर से सोचने की आवश्यकता है । जैसा कि अभी आरिफ भाई ने कहा कि जमीन दे दी गई पर कब्जा नहीं मिला । इसके लिए सरकार को यह करना चाहिए कि पहले कब्जा स्वयं ले और फिर दो-तीन साल बाद वह जमीन हरिजनों को दी जाए । इसलिए लैण्ड रिफार्म्स के बारे में भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है । केवल पेपर ट्राजिक्शन से काम नहीं चल सकता, समस्याएं बनी रहेंगी । मूल समस्या गरीबी हमारे बीच बनी रहेगी ।

19. 15 hrs.

[SHRI GULSHER AHMED *in the Chair*]

दूसरी बात माननीय गृह मंत्री महोदय ने हथियार देने के बारे में कही । मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 है, उसके संबंध में फिर से विचार करने की आवश्यकता है । जो हरिजन क्षेत्र हैं या जो अत्याचार पीड़ित क्षेत्र हैं उनका सर्वे करा कर हथियार देने के बारे में कंट्रोल करें और हरिजनों को हथियार देने के बारे में उदारता की नीति अपनाएं । इंडियन आर्म्ज एक्ट में अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वह भी किया जाना चाहिये ।

मैं श्री आरिफ मोहम्मद से सहमत हूं कि किसी न किसी के ऊपर इस लापरवाही का उत्तरदायित्व डाला जाना चाहिये । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे इस समस्या को कंट्रोल करने में, इसको सीमित करने में आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी जिले के कलक्टर, या एस. पी. या किसी दूसरे पुलिस के अफसर के ऊपर आपको जिम्मेदारी डालनी होगी । ऐसा आपने किया तो आगे के लिए दूसरे लोग विजिलेंट रहेंगे, सतर्क

[श्री अरविन्द नेताम]

रहेंगे इन क्षेत्रों की ओर देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

हमारे विरोधी दल के साथियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक नाटक किया है । मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे कि कम से कम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है कि वह नाटक करते हैं । उन्होंने सरकार से बाहर जाने की जो बात कही है वह नाटक नहीं है । बहुत सोच समझ कर उन्होंने यह बात कही है और उसका नतीजा भी निकला है, इस में भी कोई शक नहीं है । राज्य सरकार और खास कर प्रधान मंत्री जी के दौरे के बाद तो कम से कम तत्काल रिलीफ देने की बात की गई है । हर पीड़ित परिवार को वह दिया गया है । इसके लिए हम सभी को प्रधान मंत्री और राज्य सरकार का आभार मानना चाहिये कि उन्होंने तत्काल रिलीफ का पैसा दिया है ।

उत्तर प्रदेश की समस्यायें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है । सूरज भान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ठाकुर हैं और इस वजह से ठाकुरों को बढ़ावा मिल रहा है । उन्होंने यह भी कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे । मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में से केवल दो डी. एम. ठाकुर हैं और नौ डी. एम. हरिजन और आदिवासी हैं । बारह कमिश्नरों में से एक भी ठाकुर नहीं है और पांच शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के हैं । 57 एस. पी. जिन में पांच ठाकुर हैं और नौ हरिजन और आदिवासी हैं । फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत बुरी यह घटना हुई है । मैं समझता हूं कि इन लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है । यह आत्मविश्वास उन में पैदा नहीं हुआ है। इस घटना के बाद वहां आप कुछ अफसर लाए हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट्स ट्राइब्ज के हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है उसके बाद लाने से कोई फायदा नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो पीड़ित क्षेत्र हैं उनका आप सर्वे करवाएं और ऐसे चुने हुए शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के तथा दूसरे भी अफसर आप भेजें जो वहां इन लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सकें और इनकी सुरक्षा कर सकें । यह आरोप लगाना कि एक विशेष वर्ग का चीफ मिनिस्टर होने की वजह से अत्याचार बढ़ रहे हैं सही नहीं है ।

श्री सूरज भान : आरोप नहीं लगाया है । डाकुओं ने नारा लगाया था । यह मैंने कहा था ।

श्री अरविन्द नेताम : हो सकता है, मैं इन्कार नहीं करता हूं । लेकिन जिन का यह कहना है कि इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, यह गलत है । मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देंगे ।

अन्त में मैं गृह मंत्रीजी से कुछ कहना चाहूंगा । अभी तक जितनी भी वारदातें हुई हैं उसकी फिगर्स मेरे पास हैं, 1976 में 6197, 1977 में 10,879, 1978 में 15,053 1979 में 16,014, और 1980 में 16,009 यह अपराध हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ हुए हैं। इनमें कोई कमी नहीं हुई है। हालांकि पिछले दो,तीन साल में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, परन्तु साथ ही कमी भी नहीं हुई है। जितने भी अपराध अदालत में जाते हैं मैं जानना चाहूंगा क्या आज तक कितने अफसरों को पनिशमेंट मिला है, खास कर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसरों को ? इतने जो अपराध हुए हैं, कितने ट्रायल हुए हैं और कितनों को सजा मिली है, और कितने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सजा मिली है ?

जो घटना शर्मनाक हुई पूरा सदन उसके प्रति शरमिन्दा है । और ऐसी घटना न ही और देश में पिछड़े समाज में आत्म विश्वास हो उसके लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं । कम्पोनेंट प्लान इस देश में बहुत देर से आया। उसके अलावा आज भी कम्पोनेंट प्लान की जो राज्य सरकारें इमप्लीमेंट कर रही है मुझे कम से कम उस बारे में संतोष नहीं है,

आपको भले ही हो सकता है। उसको इमप्लीमेंट कैसे किया जाय इस बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों से पिछड़े समाज का धीरे-धीरे विश्वास उठ रहा है और सब लोग केन्द्र की ओर ही देख रहे हैं। यह जो आत्म विश्वास कम हो रहा है इसके लिए आप कोई रास्ता निकालें ताकि राज्य सरकार के प्रति पिछड़े समाज का विश्वास बढ़े और विश्वास पैदा हो। इस बात के लिए कोई ठोस कदम उठायें।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : माननीय सभापति जी, आज यह सदन एक बड़े ही जघन्य अपराध के विषय में चर्चा करने बैठा है। ऐसा अपराध जिससे राष्ट्र का सिर शर्म से झुक गया है उसकी जितनी भी कठोर शब्दों में निन्दा की जाय थोड़ा होगा। कुछ दिन पहले देलवो, नारायनपुर, कफालटा और आज यह इतने निन्दनीय अपराधों के वातावरण में हम अपने को पाते हैं। वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि न मालूम इन अपराधों का अन्त कब होगा। माननीय दंडवते जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि जब हम लोगों को इस बात की चर्चा करनी पड़ती है तो उस समय राजनीति को कहीं दूर रखना चाहिए। बड़ा अच्छा उपदेश है। लेकिन जब इस की चर्चा उठती है तो राजनीति से ही शुरु की जाती है और उसी में इसका अन्त हो जाता है। अभी हमारा सदन जो इतने दिन चला उसका शून्य प्रहार इस बात का साक्षी है कि एक ग्रुप विशेष या जाति विशेष ने अपना अधिकार समझ रखा है कि हमारे ही शार से सारे जघन्य अपराध बन्द हो जायेंगे। मैं उन से कुछ विनम्र प्रश्न करना चाहता हूं।....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जाति विशेष से क्या मतलब है?....

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जाति से मतलब जन्म जाति नहीं है।

श्री रणवीर सिंह : मेरा मतलब ग्रुप विशेष से है।..

(व्यवधान)

मैंने कह दिया ग्रुप विशेष।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज आप फिर देख रहे हैं कि कितनी शांति है इस सदन में, कितनी चिन्ता लोगों को इस विषय पर चर्चा के लिये है और कितनी कितनी उतावली है? जो मूल समस्या है, वह पीछे रह जायेगी। हमारे दोनों के आपस के जो आदान-प्रदान विचारों के हैं, उसमें समस्या खो जायेगी।

(व्यवधान)

सही का ठेका आपने ही ले रखा है, हमने नहीं ले रखा है।

सभापति जी, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आपने जब बात शुरु की तो 3, 4 प्रश्न आपने किये, उनका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। आपने पहली बात यह कही कि आप हरिजनों के प्रति क्या कर रहे हैं?

क्या बेलछी के समय आपने अपने प्रधान मंत्री को या अपने उस हरिजन नेता मसांहा को बेलछी जाने के लिये प्रेरित किया था? क्या आपने उस प्रदेश के मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग की थी? क्या आपने उस गृह-मंत्री से जो उस समय था, उससे यह कहा था कि कि हरिजनों पर उत्याचार हुआ है? आप यह कुछ नहीं कह सके थे। उस समय के गृह मंत्री ने आपकी सारी मांग को दो टूक जवाब देकर बर्खास्त कर दिया था और कहा था :

[श्री रणबीर सिंह]

This is a class between two dacoit groups.

उन्होंने आपकी जारी मांग को खत्म कर दिया था। आज एक बात मैं और पूछना चाहता हूं। आपने तमाम साधारण नियमों को बालाए-ताक रख दिया था, जब हमारी अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी वहां जाना चाहती थीं, तो आपने वह सुविधा भी उन्हें प्रदान नहीं की थी जो कि एक मामूली नागरिक को दी जाती है, जो कि वहां हरिजनों की कराह को सुनतीं, उनके आंसुओं को पोंछतीं। लेकिन आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद भी हमारी नेता का वह साहस था कि वह वहां पर गईं।

आपकी हरिजनों की नीति के विषय में परिवर्तन होता रहता है, जब कि हमारी नीति इस बात का प्रमाण है कि हमारी नीति में निरन्तरता है, हम चाहे प्रशासन में रहें और चाहे शासन के बाहर। हमारा पक्ष हमेशा गरीबों का पक्ष है, निर्बलों का पक्ष है। आपने कब इसका उदाहरण दिया है?

मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं मैं दंडवते जी की बात अक्षरतः मानता हूं, मैं केवल इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आप यह समझें कि मैं बेलछी को बड़ी सराहना कर रहा हूं, उसकी निन्दा नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी निन्दा करता हूं आज के कांड की भी निन्दा करता हूं। लेकिन यह सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि आप जान लें कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आपके स्टैंडर्ड क्या होते हैं जब आप कुर्सी से चिपके होते हैं और उस वक्त क्या स्टैंडर्ड होते हैं जब आप कुर्सी से अलग हो जाते हैं? क्या हो जाता है, उन हृदय को जो हमेशा पिघलते दिखाई देते हैं। बड़े-बड़े नेताओं को मैं देखता हूं कि भारत की सरिता के जल में आग लगा देने की वाणी बोलते हैं।

मैं नहीं जानता था कि उनकी वाणी का आक्रोश कहां था, उनकी वाणी में सत्य कहां था, उनके हृदय का पिघलना कहां था, जब वह शासन में थे। अगर मैं यह समझूं कि उनके शासन में यह जादू था कि जब वह शासन में रहते हैं तो उनकी नीति कुछ दूसरी होती है और जब बाहर आ जाते हैं तो नीति कुछ और हो जाती है?

देवली का कांड हुआ, फिर एक मौका मिला। मैं सोच रहा था कि सारे लोग बैठेंगे, टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, जिन गुटों में कुछ भिन्नता है, उनको एक साथ लायेंगे, लेकिन देहली का उत्तर, जानते हैं कहां दिया जा रहा है, एक भूतपूर्व मंत्री के घर में। यह फिर इकट्ठे हो रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि कुर्सी करीब है, इसको हथियाने का टाइम आ गया है, फिर एक हो जाओ। हरिजनों के लिये नहीं कुर्सी के लिये।

मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में मृग-मरीचिका मृग-तृष्णा बड़े-बड़े साधुओं, नेताओं और भगवान को भी पीड़ित करती रही है। आप अगर फिर मृग-मरीचिका की तरफ जायेंगे तो फिर मृग की तरफ दौड़ेंगे।

सीता के साथ क्या क्या हुआ था राम के दौड़ जाने पर? आज एक नेता फिर वोट-क्लब के पास पड़े हुए हैं कैकयी हट के साथ। उनका हृदय पिघल रहा है हरिजनों पर दया, से दुनिया भर की परेशानियों से पीड़ित हैं। कितने दिनों तक पिघलता रहेगा उनका हृदय, वोट क्लब के नेता का हृदय कितना द्रवित होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन

अब उसी की एक कड़ी वह है कि अगर तमाम मोती बिखर गये हैं तो फिर हम एक होकर निपटा डालें, हरिजन कहीं जायें, कुर्सी हमारी होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि देवली कांड की सब से पहली प्रतिक्रिया विरोधी दल पर यह हुई है कि उनके द्वारा टूटे हुए दिलों को मिलाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने स्वार्थ और कुर्सी की बात हो रही है। यह है जवाब उस ज्वलंत प्रश्न का, जो आज भारत के सामने है।

सभापति जी, अभाग्य से मैं जाति का क्षत्रिय हूं, इस लिए कुछ कष्ट हो रहा है यह बात कहने में श्री सूरज भान को देवली में एक अजीब बात सुनाई दी। उनकी श्रवण शक्ति बड़ी तीव्र है। मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें ऐसी श्रवण-शक्ति भी दे, जिससे वह कोई ऐसी भी बात सुन लें, जिससे राष्ट्र-हित हो।

श्री सूरज भान : वहां के हरिजनों ने बताया है।

श्री रणबीर सिंह : माननीय सदस्य धैर्य रखें। मैंने बड़ी धैर्य से उनकी बात सुनी है।

अगर वह यह सुनते रहें कि वहां ठाकुर नेता की जय बोला जा रही थी, तो क्या वह मुझ से यह अपेक्षा करेंगे कि बेहमई में जहां ठाकुर मारे जा रहे थे, मैं दूसरी जाति की जय बोलते हुए सुनता ? क्या वह मुझसे अपेक्षा करेंगे कि अगर बिहार में महतो मारे जा रहे थे, तो मैं चौधरी की जय बोलते हुए सुनता ? मैं ऐसे शब्द न सुनता हूं और न सुनने का आदी हूं। मैं विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसी बात सुनी भी है, तो उनको इसका निराकरण करना चाहिए, वहां जा कर स्थिति को निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि जो आरोप वे लगा रहे हैं, क्या वह सही है।

जहां तक हमारे मुख्य मंत्री का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि भारत में वह एक धवल-कीर्ति का व्यक्ति है। इतने दिनों के कार्य-कलापों में उस के दामन पर कोई कालिख का धब्बा नहीं लगा सकता। क्या विपक्षी दल के सदस्य अपने मुख्य मंत्री से यह वादा ले सके थे कि अगर सरकार कोई काम नहीं कर सकी, तो हम शासन से इस्तीफा दे देंगे ? उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, दांव पर लगा दिया। वहां की गृह मंत्री दिन रात दौड़ रही हैं। हमारे जवान जूझ रहे हैं और काफी तत्परता के साथ हम ने इस समस्या का निराकरण किया है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का निराकरण हमारी आने वाली सरकारें करती रहीं, तो यह कुकृत्य करने वाले लोगों को साहस नहीं होगा कि वे इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकें। इस लिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सदस्य ने कहा कि वहां ठाकुर की जय बोली गई। सब कुछ ठाकुर के मत्थे मढ़ दिया गया। अब तक क्षत्रियों की जितनी उपलब्धि थी, वह सब शायद राधे और संतोषा के आचरण में घुल जानी चाहिए। राणा सांगा, राणा प्रताप और शिवाजी आदि सब को भुला देना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों ने देवली में कुछ किया है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : जयचन्द भी तो हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री रणबीर सिंह : जब आप बोलेंगे, तो मैं आप की बात सुन लूंगा।

मैं यह सोचता हूं कि विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण दूसरा होना चाहिए था। उन्हें यह कहना चाहिए था कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती—न वह ठाकुर होता है, न हरिजन होता है, न मुसलमान होता है, बल्कि वह शैतान होता है। अगर उन्हें सचमुच समस्या का समाधान करना है, तो उन्हें यह

[श्री रणवीर सिंह]

कहना चाहिए था कि कोई ठाकुर नहीं मरता है, कोई हरिजन नहीं मरता है, कोई ब्राह्मण नहीं मरता है, मात्र इन्सान मरता है। क्या इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता ? वे वर्ग-संघर्ष की बात क्यों उठा रहे हैं ? मैं कहता हूं कि उन की वाणी में शक्ति है, वे संपद-सदस्य हैं, वे शक्तिशाली वक्ता हैं, अगर वे इस तरह की बात करते रहे, तो उन के इस प्रकार से हमारे राष्ट्र और समाज पर ऐसे घाव हो जाएंगे, जिन का उपचार हमारे पास नहीं होगा। इस लिए उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहियें।

हमारे एक वयोवृद्ध नेता ने बड़ा जोरदार भाषण दिया और शायद उन्हें यह वहम हो गया कि मैं फिर देश का नेता हो गया हूं। उन्हों ने चुन लिया आलोचना के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को। मैं अपने क्षेत्र में गया। वहां मुझ से कुछ प्रश्न किए गए। उन प्रश्नों के उत्तर उन वयोवृद्ध नेता से जानने का साहस तो मुझे नहीं होगा, लेकिन मैं आप के माध्यम से पूछना चाहूंगा। वे केवल तीन प्रश्न हैं और बहुत साधारण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जब हरिजन जल रहा था, उस को आहुति हो रही थी, तब कुर्सी पर बैठे रहने वाले मसीहा ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। दूसरा प्रश्न था कि क्या कभी उन्हों ने यह सोचा है कि हरिजन वर्ग अपने समाज के अन्य वर्गों से अलग थलग हो कर जीवित रह सकता है ? कोई भी वर्ग जीवित नहीं रह सकता। समाज का जो अंग अलग हो जायेगा उस को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। समाज हमारा एक बड़ा भारी सरिता की धारा की भांति है, उस के साथ जब तक सब जुड़ कर नहीं चलेंगे तब तक देश नहीं चल सकेगा। बाद में एक प्रश्न और किया उन्होंने बड़ा मसखरा सा कि हमारे हरिजन नेता से पूछिएगा, हरिजन नेता उन्होंने कहा, आप को आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्हों ने कहा कि जो हरिजन नेता वहां बैठते हैं उन से एक प्रश्न का जवाब और लेते आइएगा कि जब बड़े नेता हो जाते हैं तो क्या वह हरिजनों से घृणा करने लग जाते हैं ? हमारे परिवार में शादी ब्याह क्यों नहीं करते हैं, अन्यत्र क्यों करने लगते हैं ? क्या हम घिनौना लगने लगते हैं ? इस प्रश्न का जवाब भी मैं चाहूंगा।

दो बातें और कहूंगा। मैं यह समझता हूं कि इस समस्या का निदान असमानता को दूर करने से हो सकता है। अगर हम ने असमानता नहीं दूर की तो बार बार इस तरह के कांड होते रहेंगे। एक बात और साफ कर देना चाहता हूं आप हमारे ऊपर आरोप कुछ भी लगाएं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज का हरिजन मात्र आप से सहयोग चाहता है, आप की दया नहीं चाहता। आप उस को दया का पात्र न समझें। वह केवल आप का सहयोग चाहता है। आप उस के पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं लेकिन यह मत भूलें कि उस के भी अपने ज्ञान चक्षु हैं, वह भी अपना मार्ग कहीं सही देखता है।

एक बात और कहना चाहता हूं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को तत्परता से काम करने के लिए बधाई देते हुए अपने उन तमाम जवानों के लिए जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए हैं हमारे आन्दोलन को सफल बनाने के लिए, हरिजनों में आस्था जगाने के लिए, उनके विश्वास को अडिग करने के लिए, उन जवानों के प्रति नतमस्तक होता हूं और उन का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन यहीं एक बात कहना चाहता हूं अपने तमाम प्रेस वालों से कि जब प्रेस वाले अपनी तमाम शक्ति लगा देते हैं किसी एक डकैत को हीरो बनाने के लिए तो उनको समय मिलना चाहिए कि दो लाइन उन जवानों के लिए भी लिख दें जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए इस तमाम अभियान में।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि हम में अदम्य शक्ति है, हम ने तमाम नरसंहार देखे हैं, छोटी घटनाएं भी और बड़ी घटनाएं

भी लेकिन हम में अवश्य शक्ति है उन घावों को भरने की और मुझे पूरी आशा है कि ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे देश को अलग थलग न कर के उसे एक अखण्ड धारा में चलने देंगी और वह बूढ़ा जिस के पास हम लोग आज जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जो कहता है कि हमें जाति नहीं, जल चाहिए उस की शक्ति से इस भारत की अखण्ड सरिता फिर एक शक्तिशाली सरिता में परिणत हो कर बहेगी।

सभापति महोदय : श्री सत्य साधन चक्रवर्ती।

श्री सुन्दर सिंह : सभापति महोदय; आप ने मुझे ठीक मौके पर टाइम दिया....

सभापति महोदय : अभी आप तशरीफ रखिए। ... (व्यवधान).... सुन्दर सिंह जी, बैठ जाइए। इन के बाद आप बोलिएगा।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, today we are discussing the case of atrocities perpetrated on the hapless Harijans in a village in U.P. I think, Mr. Chairman, you remember that on the very first day i.e. on 23rd of November, this House had discussed the same atrocities and we wanted to draw the attention of our Home Minister as well as the Government of U.S. to the happenings for which, I am sure, all the Members irrespective of political parties, are ashamed. This is a shame to our society. You will agree with me that in the last two years we have discussed this issue, the atrocities on the weaker sections, the oppressed classes, the Harijans, times without number. It shows that it is already a diseased society. The causes are deep in the society itself. It is no use taking the holier-than-thou attitude. Whenever these things happen, if the ruling party adopts the policy of "we are helider than the previous government", they will not be able to analyse the real causes and take appropriate action.

The fact remains that in Deholi many people died. If you say that the criminals are criminals, it is a good thing, but if you do not demarcate that in all clashes it is the weaker sections of the society who generally die, you would not be able to find the real causes. Suppose in Bihar Sharief there were communal riots, the members of the minority community died and the people who killed them are criminals, worst criminals, would you not demarcate that the minorities are insecure, their life and property are not secure ? Unless you accept this, you will not be able to find out the correct policies.

These incidents reveal two aspects. Firstly, the law and order condition in UP is far from satisfactory. When I say it, I do not have in my mind either this government or that Government. In any State is it not the responsibility of the State Government to protect the lives and property of the people? We all agree that after killing these people brutally the criminals entered the precints of the temple. Where was the law and order enforcing machinery ? I have been told, and I would request the Home Minister to check it, that in certain areas even the armed personnel are afraid of going out of the police station after dusk. What type of law and order we find ourselves in ?

Secondly, after this incident, the Chief Minister of Uttar Pradesh stated that "if I fail to bring the criminals to book, I shall resign" and he took one month. What has happened ? One person, who is the main or ring leader has been arrested; very good. Many persons have been killed in the encounter. I would ask all the Members of this House,

[Shri Satyasadan Chakraborty]

is it permissible ? Can the police kill people only on the basis of suspicion ? Are they sure that they were criminals ? Or is it possible that the police, to save their skin, managed to kill innocent persons in fake encounters, to prove that they have done something ? I do not say that they have done it. But I say so many encounters in U.P. are taking place. You will see in paper that every day in Bihar hundreds of people are getting killed and many of them are members of the oppressed classes particularly the landless harijans, agricultural workers. Are these encounters real ? Are we to believe the police version, that is a question ? The danger is this—if you do not go into it, it may so happen that taking advantage of the condition the police may kill innocent people and say these are encounters.

I was reading a newspaper. There it was stated. I do not know how far it is true. It is for the Home Minister to determine whether this is true or not but there are stories where even your policemen seeing the decoits do not enter into encounter. They simply run away for life. It is for your information that in certain parts of U.P. the criminal gangs use wireless set, machine gun, sten-gun. My question is from where do these things come. How are they openly using wireless set ? How is it that they are moving with the wireless sets in trucks ? These are serious things which the Central Government, particularly the Home Minister, should take not of. But then I come to the main question. Who are these people—Harijans, scheduled castes and others ? They are our brothers and sisters. But, for many centuries in our stratified society the stratification was sanctified by religion—Brahmin, Kshatriya, Vaish and Shudra. That was sanctified. Many well-known social reformers fought against it. Gandhiji did it. I remember one poem by Rabinrdra Nath Tagore where he said:

"If you keep these people behind
these people will pull you behind.
you cannot go ahead."

They are our brothers and sisters. What type of work they do ? They do all sorts of work which generally other people hate. Why is it that in our Constitution our Constitution-makers made a special provision regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ? It is because of their backwardness. Why is it that they are backward ? It is because of their economic helplessness. Why is it that are economically helplesss? It is because they own nothing. You go to any village. I can tell from my own experience—go to the house of any Harijan, see the property that they own. It would not be more than worth Rs. 5 or Rs. 6. In many families you go and see the state of poverty. What is the source of their livelihood ? They have no land, but they produce food for us. Most of them do so and for their living they have to depend on land-owners. Generally the land-owners belong to the higher caste. How many rapes do you think come in the paper ? How many members of the weaker section are bold enough to bring it to light ? Most of them suffer. They do not speak because they know, if they speak boldly, to morrow they will lose their bread. That is the condition in our country. We accepted in our Directive Principles of State Policy that there would be some sort of economic equality, there would be no concentration of wealth, illiteracy will go and some sort of agalitarian society and a base would be there. What is the state of conditions now ? I would ask our Ruling party Members. You ask yourself. It was Pandit Nehru who said in one of your Party Congresses that in India 99 percent of the problems were related to the land. And that is why even the Indian National Congress advocated radical land reforms. I would ask all of you to go through the records and the findings of the Planning Commission, What is the fate of the land reforms ? The land-owners

have completely vetoed and completely bypassed the law. They have been able to retain a major portion of their land. These are the prople who have taken advantage of all the money that you have spent for agriculture either in cooperative bank or in the State Bank or anything. This section of the rural gentry has monopolised it. No theory is necessary. You go to the village. You will see the persons who own land, who have their transistors and who are all well-fed. They send their sons and daughters to the school. Go and see in the village how many Harijans have been able to send their sons and daughters to the schools. You have made a provision for reservations, How many of them taken advantage of resevations ? How many of them passed the secondary stage and applied for medical college or the university ? You go and take the statistics. They cannot, because of their economic backwardness. I know that all the Parties agree. Even the Ruling Party agrees that there should be land reforms. Until and unless that is done, there will be no upliftment. If the landless Harijans do not get their land, do not get adequate wages for the work they do and if their sons and daughters are not brought into the educational institutions there would be no upliftment. But this has not been done. I can quote statistics. Even from the Planning Commission, you go to the Sixth Plan document—go to the earlier Plan documents. You will find more and more people have lost their lands. They have been evicted; there has been greater concentration of land and you will find the persons who have been evicted belong to the weaker sections and the oppressed classes. And that is the thing.

Now, I would ask. For how long we will go on debating it ? Again this will come. Again there will be atrocities. Why ? Because these people are not only poor but there is none to protect them ? Why is there none to protect them ? Because the police officers, the persons in the administration, because of their training, because of their position and because of their links, would not protect these people. The people who kill have greater access to the law-enforcing machinery than these people. That is why they openly flout the law. They know how our judicial system is against the poor people. They know how the local Thanas can be easily ribed. They know the administration. They can control.

Now the question is how this can be done ? It is a geat problem. We will have to think over this. But the suggestions have been made to the Government. The Government has not accepted. If they have accepted they have not implemented those suggestions.

Pious wishes we have many. We can shed tears for years and years together. But we must have the political will to implement what we think will go to ameliorate the conditions of the people. That political will is not there. Why is the political will not there? It is because the persons who are committing these crimes are the power-base of most of the political-parties. That is the main question.

May I draw the attention of the hon. Members on the Treasury Benches why is it that in West Bengal there is no oppression of Harijans? Why is it there are not atrocities committed on Harijans? It is just because of the fact—you take it from me—that we have declared that even if there is any oppression on a single minority or any Harijan, the policemen first of all will be suspended and the Government will take action. We are trying to implement land reforms giving guarantee to the *bargdars* and really seeing that the lot of these poor people is really uplifted. It is the will that we have.

The last question is this. Until and unless these poor people organise themselves, they cannot have liberation. I consider it to be

[Shri Satyasadan Chakraborty]

a very wrong theory that the caste poeple should unite. Thereby you will only alienate your friends and create artificial division in society. All the poor people who are oppressed should unite because primarily, the basic question is economic exploitation and the struggle against this economic exploitation.

To end, I would say, yes, you have spent money for the welfare of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. But how many of them have benefited? The moneys are spent. Has the advantgge reached the poor Harijans? You have created a minority, a microscopic minority, among the oppressed classes, who are taking advantage of what you are spending and what you are doing. Some of them forget their own people. Just as in the days of the British raj, a section of the the Indian people took advantage of the moneys spent and they were cooperating with the British raj, what you are doing to day, what are spending in the name of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, I can tell you that 90 per cent of them are not getting the advantage. You should take proper measures to see that the advantage reaches all the poor Harijans and for that, an alertness on the part of the administration is necessary.

Are you sure that in all the States, even though there is the quota for Harijans and SC, ST people, that is being fulfilled? No. Are you sure that whatever you are doing, at least what you are trying to do, in all the States they are implementing it? In all the States, they are not implementing it just because of the fact that the people who are in the administration, the people who are wielding power say it but they do not believe in it. That is the trouble

That is why, I would say that today is the concluding day of the winter session and I would ask you, let us go deep into the matter. Let there be no mud-slinging. Let us analyse the reasons for all these atrocities. Let us come to the scientific conclusion and have the political will to do that. But I am sure I am crying in the wilderness. I am sure you will not do it because in the States, in India, you are depending for your political power on the landed gentry, the persons who perpetrate all the atrocities, those who are the village Kulaks, and those who are the village land-owners. And if you do that, you will never be able to solve the problems.

श्री कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी (इलाहाबाद) : देवली कांड पर बहस हो रही है । इस में भाग लेते हुए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं और उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे लगा कि विपक्ष के साथियों में से माननीय झारखंडे राय और श्री चक्रवर्ती साहब ने कुछ रचनात्मक सुझाव इस सदन के सामने रखे हैं जबकि और कुछ विपक्षी सदस्यों ने कीचड़ उछालने के अलावा जो मूलभूत समस्या है वह कैसे हल हो, उसके बारे में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है । यह मामला पूरे राष्ट्र से सम्बन्ध रखता है । श्री सूरज भान जी ने कहा कि वहां मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे जब देवली में कत्ले आम हो रहा था । मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के वह मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने राजनीति में आने के पहले 1957 में इलाहाबाद में अपनी समस्त सम्पत्ति भूमिदान में दान कर दी थी और आज उस पर हरिजनों और—आदिवासियों का कब्जा है उनके पास एक मकान के अलावा कोई भी लैंडिड प्रापर्टी नाम की एक भी बीघा जमीन नहीं है (व्यवधान) मैं चलेंज करता हूं कि सदन के अपोजीशन मैम्बरों की एक कमेटी बना दी जाए

और अगर वह पाए कि उनके पास जमीन है और उन्होंने भूदान में दान नहीं की है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

वर्तमान सरकार के वहां 1980 में बनने के पहले 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार थी। तब हरिजन कल्याण विभाग पर इनके राज में 29 करोड़ सालाना खर्च होता था जबकि वर्तमान सरकार ने एक अरब 29 करोड़ रुपया एक साल में हरिजन कल्याण विभाग पर खर्च करने का फैसला किया है और वह हो रहा है।

चक्रवर्ती साहब ने भूमि सुधारों की बात कही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश शायद हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों से आगे है जहां 18 एकड़ की सीलिंग लागू की गई है और आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि जिन हरिजनों को पट्टा मिला हुआ है और जनता शासन में जिन हरिजनों को बेदखल कर दिया गया था उनको फिर से कब्जा दिया जाए और जिन्होंने अनधिकृत कब्जे किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार हरिजनों, गरीब पिछड़े वर्गों मजदूरों के लिए जितनी सचेष्ट है उतनी शायद बहुत कम सरकारें हैं और शायद बंगाल की सरकार भी उतनी नहीं है।

20.01 hrs.

[MR. DEPUHY SPEAKER *in the Chair*]

एक और बात आप देखें। उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं। उनमें नौ में हरिजन कलैक्टर हैं। बारह कमिश्नर हैं जिनमें से पांच हरिजन हैं। 57 ऐसे भी हैं जिन में से नौ हरिजन हैं। यह भी कहा जाता है कि हरिजनों को उत्तर प्रदेश में नजरन्दाज किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है।

देवली कांड को आप लें। सभी इस कांड की भर्त्सना कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। उससे राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। 1977 से 1980 तक जो सत्ता में थे और जो आज विभिन्न गुटों में बंट कर विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके शासनकाल में क्या हो रहा था। 1977 के पहले जिन हरिजनों को, गरीबों को, भूमिहीनों को पट्टा मिला था 1977 के बाद उनको बेदखल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और तब लैंडिड लोगों ने कहा था कि तुम्हारी नेता इंदिरा गांधी अब सत्ता में नहीं है। और उस समय के लोग यहां बैठे हुए हैं जो उस समय सरकार में थे, उनके कान पर जूं नहीं रेंगी थी। और जब 1980 में कांग्रेस सरकार बनी तब कांग्रेस सरकार ने उनको सुरस्थापित करने का प्रयत्न किया।

आज विरोधी दल के लोग, कुछ विरोधी दल के, सब नहीं, और खास तौर से दो विरोधी दल के लोग जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह दुमुही राजनीति कर रहे हैं। 1980 में लोक सभा के चुनावों की जब घोषणा हुई थी तो इटावा जिले में, उस समय उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे, वह सभा कर रहे थे। उससे पहले जिस गांव में डकैती पड़ी थी उस घर की एक लड़की उस सभा में बैठी थी और उस लड़की ने कहा कि नेताजी के पास जो मंच पर बैठा हुआ है वह डकैत है। 4 महीने पहले एक दल के नेता हटाये गये थे और पोथी तथा महावीरा गैंग का अंगनू नामक डकैत उनके साथ जीप में बैठा था। यह खबर "नवभारत टाइम्स" में छपी है। यह दुमुही राजनीति करने वाले विरोधी दल के लोग, एक तरफ कहते हैं कि अराजकता है, और

दूसरी तरफ़ जब उन अराजक तत्वों के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है तो शोर मचाते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। यह दोनों चीजें नहीं चलेंगी।

उत्तर प्रदेश में इटावा, मैनपुरी, फ़र्रुखाबाद आदि जिलों का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहती हूं कि 200, 300 वर्ष पहले से यह एक अशान्त क्षेत्र रहा है जहां पिंडारी रहे हैं और चाहे जो भी सरकार रही हो वहां उत्पात होता रहा है, उन लोगों को प्रश्रय मिलता रहा है। यही 5 जिले इससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से वहां के मुख्य मंत्री को जिसने यह हिम्मत की कहने की कि अगर 24 दिसम्बर तक यह लोग नहीं पकड़े जायेंगे तो वह इस्तीफ़ा दे देंगे। यह कलकुलेटिड रिस्क था। अगर वह लोग न पकड़े जाते तो इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन जितने नामजद लोग थे, एक राधे को छोड़ कर; सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी सचेत है मुख्य मंत्री जी के इस बयान और झटके के बाद। और यह हिम्मत बिरले लोगों में होती है। एक मित्र ने लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण का जिक्र किया। लेकिन उस उदाहरण का जिन मित्र महोदय ने कहा उसका न उनके दल और न नेता ने पालन किया। जब जनता पार्टी में झगड़ा चल रहा था तो नेता जी ने कहा था कि अगर 6 महीने में एकता न करा सका तो मैं सरकार छोड़ दूंगा। लेकिन झगड़ा नहीं मिटा, जनता पार्टी टूटी और उनके नेता जो सरकार में रहे। तो वचन भंगी लोग, दुमुखी राजनीति करने वाले लोगों से, इस देश का ला नहीं होने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः भर्त्सना करता हूं। और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी सचेत है गरीबों की रक्षा करने में उतनी कोई नहीं है। वहां हरिजनों और आदिवासियों के लिए सरकार ने 18 परसेंट रिजर्वेशन किया हुआ है। और अगर उस क्लास के लोग नहीं मिलते तो जब तक नहीं लोग मिलते वह जगह खाली रखी जायगी। और क्लास 3 और 4 में जितनी भी वेकेन्सी हैं उनको कैरी फ़ारवर्ड करके फिर से नौकरी दी जायगी। कहीं कहीं तो सर्विसेज में उत्तर प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों को 40, 50 परसेंट तक नौकरी मिल रही है क्योंकि उनका कोटा बाकी है।

मैं फिर भर्त्सना करता हूं उस आक्षेप का और विरोध पक्ष से कहता हूं कि इसको राजनीति का मुद्दा न बनायें तथा इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी साहब ने गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ की है। बात यह है कि

Follow the truth wherever it may lead you. Carry your ideas to the utmost logical conclusion. Be not cowardly and hypecritical and you shall surely succeed.

यू0 पी0 के प्रताप सिंह की आपने बड़ी तारीफ की है, मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह काफला लुटा कैसे, इधर उधर की बातें न कर के यह बताया जाये। मुझे राहजनों से गर्ज नहीं, पूरी रहबरी का सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि आदमी 24 कैसे मारे गये? यह मैं नहीं कहता कि इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है जैसे अपोजिशन के मेम्बर श्री चक्रवर्ती ने लैंड रिफार्म की बात कही थी। ये लैण्ड रिफार्म का नारा लगाते रहे,

लेकिन किया कुछ नहीं। वह क्रेडिट की बात नहीं, जो अपने आप को ठीक करेगा —

Be in good cheer and believe that we are selected by lord to do great things and we will do them. Hold yourself in readiness, that is, be pure and holy and love for love's sake, love the poor, be miserable, be downtrodden and God will please you.

यह बात क्या हुई कि ज्योंही झूठ बोलते जायें और जो जुल्म हुआ है, उसे अपने ऊपर नहीं लेना है; यह कैसे हो सकता है ? जब आप शीशा ठीक रखोगे तो पता लगेगा कि कौन आदमी हरिजन के हक में है। जम्मू काश्मीर में लैंड रिफार्म हुई है। किस वजह से हुई थी, पं० जवाहर लाल नेहरू के वक्त 95 फीसदी वगैर मुआवजे के दे दी गई। हमारे डोगरा साहब कहते हैं कि लैंड रिफौर्म होनी चाहिए। इसमें कोई सवाल छूदछात का नहीं है, गरीब का सवाल नहीं है। हरेक को गरीब को बांट दो।

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेरे दोस्त थे। पंजाब से जो मेम्बर हो गये, उनको वह इस तरह काबू रखते थे कि वह डिवाईड एण्ड रूल करते थे। वह कहते है बहुत अच्छा किया, चाहे मर जायें जाते ही। एक बार पं० जवाहर लाल नेहरू जी से मैंने कहा—

There is no justification for remaining as Minister there.

वह मेरे पीछे पड़ गये और कहने लगे कि क्या बात है चौधरी साहब। मैंने कहा कुछ नहीं है, तो कहने लगे नहीं है तो खामखाह आपकी नाराजगी से कुछ नहीं हो रहा है।

जमीन मिली थोड़ी बहुत हरयाणा में और पंजाब में भी। कोई जाट आ कर बतलाये, हम उसको उसी वक्त ठीक कर दें। वहां मार खाते हैं और दुहाई देते हैं, सारे आंसु बहाते हैं, लड़ाई कोई करता नहीं है। कहते हैं हरिजन को दे दो। कौन देगा ? ताकत उनके हाथ में है, क्या हरिजन के हाथ में है ? कलेक्टर, रवेन्यु आफिसर, तहसीलदार वगैरा सब उनके हैं, जमीन कौन देगा ? यह प्रचार जरूर करते हैं कि जमीन दे दो, मगर देता कोई नहीं।

मीर सिंह जी ने कहा है कि ठाकुरों की जांत पांत का सवाल ही नहीं है। ठाकुर का सवाल टेढ़ा सवाल है। जमींदार जो हैं, वह बैकवर्ड बन रहे हैं, हरियाणा में भी और यहां भी हैं। कपुरी ठाकुर ने कहा कि जो जमीन दी, उनको बैकवर्ड बना दिया। हमारी तरफ भी बैकवर्ड बनते हैं। कोआपरेटिव बैंकों से पैसा भी यही लोग लेते हैं। कहते हैं कि लैण्ड रिफ़ार्म की बात न करो। जिनके पास जमीन है, वही लैण्ड रिफ़ार्म करने वाले हैं। उनके हाथ में सब कुछ है। सब बड़े बड़े जमींदार बैकवर्ड बन रहे हैं। हरिजनों के मरने पर वे जाहिरा तौर पर अफ़सोस करते हैं और आंसू बहाते हैं। अगर उनके 24 आदमी मर जाते, तो पता चलता। आज हमें पता लग रहा है कि कौन हमारे हक में है। जिस आदमी में जान है, हरिजनों पर होने वाले जुल्म को देख कर उसका खून उबलता है। सिर्फ़ हरिजनों का सवाल नहीं है, अगर किसी भी इनोसेंट आदमी को मारा जाता है, तो आदमी को उसके ख़िलाफ़ आवाज उठानी चाहिए। बड़े बड़े लैक्चर किए जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाता। इन लोगों की कानशंस कहां चली गई है ? आदमी को अपनी कानशंस के मुताबिक चलना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हरिजनों पर जुल्म हुआ है।

[श्री सुन्दर सिंह]

क्या यू० पी० में कोई ला एण्ड आर्डर है ? जानो जो पंजाब में पांच साल तक चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं। क्या वहां हरिजनों पर कभी जुल्म हुआ है ? यहां आ कर उनको क्या हो गया है ? उन्होंने जिस तरह पंजाब में काम किया था, उसी तरह यहां भी करें। बिहार में हरिजन एम० एल० एज० को जूते पहन कर नहीं जाने दिया जाता। श्री तिवारी जी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह जनता पार्टी की हुकूमत का नतीजा है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। रीएलिटी को देखना चाहिए। जनता पार्टी ने सिर्फ ढाई साल हुकूमत की है। फिर भी कहा जाता है कि सारी ग़लती उसी की है। कांग्रेस तो 34 साल तक हुकूमत करती रही है।

मेरे हमेशा जीतने की वजह यह रही है कि मैं अपने हल्के में अपनी सारी कमजोरी बताता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया ; पता नहीं, आप कैसे बेवकूफ़ हैं कि आप मुझे वोट देते हैं। इस पर वे कहते हैं "चौधरी सुन्दर सिंह ज़िन्दाबाद" हमारे लोगों की यह कमी है कि वे अपनी बहुत तारीफ़ करते हैं। अगर हमने मजबूत बनना है, तो हमें अपनी ग़लतियां मालूम करनी चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है। मुझे कोई लैण्ड रिफ़ार्म नहीं करने देता था। उस वक्त प्रताप सिंह गवर्नमेंट में था। मैं पंडित जी से मिलने के लिए गया। मैंने उन्हें लोगों की हालत बताई। मैंने कहा कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, एक कमरे में बारह-बारह आदमी रहते हैं, क्या यह डेवेलपमेंट है। मैंने कहा कि इस हालत में मेरे मिनिस्टर बने रहने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वह मुझ से नाराज़ हुए। मैंने कहा कि प्रताप सिंह लैण्ड रिफ़ार्म्ज नहीं करने देता है। उसके बाद लैण्ड रिफ़ार्म्ज हुई थीं। हरिजनों को थोड़ी बहुत जमीन मिली थी। दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको छीनना शुरू कर दिया। जम्मू काश्मीर में 95 फ़ीसदी लैण्ड रिफ़ार्म्ज हुई हैं। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। मैं आप को बता दूं और यह जो मैंने काम किया था पंजाब में लैण्ड रिफार्म का वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां कर दिया। नहीं तो ये मेरी कोई लीडरशिप नहीं बनने देते, हरिजनों की क्यों कि इन को खतरा होता है कि कहीं इन के आगे कोई न निकल जाय। यह सारा सिलसिला जो खराब हो रहा है, हमें तो पता है कि हरिजनों का क्या हाल है। और किसी को क्या पता हो सकता है ? सब जवानी बात करते हैं। कोई सच तो बोलता नहीं है। सब गलत बातें करते हैं। ये कहते हैं कि कर दो जी। ठीक कर दो। कर दो क्यों ? करो। तुम्हारे आदमी हैं ये सब, तुम करो। यहां हरिजनों के तीन चार फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर होने चाहिए जिस से गांवों में लोग डरें कि वह फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर बैठे हैं, वह मारेंगे। यहां क्या आप ने बठा रखे हैं ? यह कोई यतीमखाना है क्या ? इससे क्या बनेगा ?

देखिए, मैं आप को बता दूं, खुद ही अपना नुकसान आप कर रहे हैं। हरिजनों को आप तगड़ा करेंगे तो उनके वोट मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो भट्ठा बैठ जायगा, यह मैं आप को बतला देता हूं। इसलिए जबानी जमाखर्च से काम नहीं चलेगा। यह करना पड़ेगा। लैण्ड रिफार्म करता कोई नहीं है, सारे उस की बातें करते हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं हर एक का जवाब देना चाहता हूं। यह जो है [illegible] [illegible], यह भी हमारे

आदमी हैं, इन का जवाब मैं दूंगा। यह भी बहुत अच्छे आदमी हैं। यह कहते हैं कि कोई मामला नहीं है, सब लोगों का भला होना चाहिए। चाहे कोई अन्धे कुएं में गिर जाय, सब का भला होना चाहिए। कत्ल तो हम होते हैं तो भला किन लोगों का बता रहे हैं? कत्ल तो हम हों, वोट हम दें और भला किन का हो? वोट भी हम दें और कत्ल भी हम हों, यह बड़े हैरानी की बात है। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि बात बड़ी वार्निंग की है। यह कोई न समझ ले कि मैं मखौल कर रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। जो सीधी बात है उस को मान लेना चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे उन की हो या हमारी हो, आप को कोई वैल्यू होनी चाहिए जिस पर हमें चलना है। जो गरीब हैं उन का नाम ले कर आप पैसा जमा करते जायें और जमीन उन को मिले नहीं। कहां लैंड रिफार्म हो रहा है? यह कहते थे कि जमीन 18-18 एकड़ दे दी गई है। मैं बताऊं आप को कि यहां जो बैठे हुए हैं उन में से कितनों के पास दो-दो हजार एकड़ जमीन है जिस के फार्म उन के बने हुए हैं। दो दो हजार एकड़ जमीन उन के पास है। परमात्मा यह देखता है, वह सब को देखता है। इस को भी आप को ठीक करना चाहिए। यहां जो बड़े बड़े लैंड लार्ड बने हुए हैं हमें उनसे खतरा है, शहर से हमें खतरा नहीं है। उन का हम मुकाबिला कर लेंगे। ज्ञानी जी, आप को पता ही है, मैं कहता हूं कि ये बड़े चोर हैं, ये मार देंगे हमें। आप को सख्ती से काम करना चाहिए।

No man can get his right by request. Rights are wrested from unwilling hands.

मैं तो हरिजनों से कहता हूं, यहां ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें दो टी एम्लोएस मिल गए हैं, दूसरी तरफ से चाहे सब मर जायें। उनकी आप कोई फिक्र नहीं है। आगे

वह मर जायें चाहे रहें। देवली में मरे, और जगहों में मरे। अब हम बाकी हैं। अब हमारी बारी है। इसलिए मैं आप को कहूंगा यह जो है हरयाना, यू पी, बिहार इन सब में बुरा हाल है। वहां इन को कोई पूछने वाला नहीं है। हरिजनों का बुरा हाल हो रहा है। इस को ठीक करने के लिए कोई आदमी का बच्चा हो वह आगे आवे। कोई अच्छा आदमी होना चाहिए जिस को फीलिंग हो। बताइए, 24-24 आदमी मर जाते हैं और आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि पकड़ लिया है, यह कर लिया है, यह कोई बात हुई? यह बहुत बुरी बात है यह तो किसी का अपना लड़का या लड़की मरे तो वह समझ सकता है कि क्या बात हुई। मैं देवली नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि वहां जा कर रोना पीटना है और क्या है? कई जाएंगे, उन से सुन लूंगा। इसलिए मैं वहां गया ही नहीं। जैसा इन्होंने बताया है कि सामने लड़के लड़की सभी मार दिए जायं, यह कोई गवर्नमेंट होती है? कहते हैं मुख्य मंत्री कि इस्तीफा देंगे पर देते नहीं हैं। क्या उन का मुंह रहेगा? कहते हैं बड़ी कुर्बानी की है, कुर्बानी की तो यह दशा है? उस को पकड़ा क्यों नहीं अब तक? 66 का नाम लेते हैं तो उस को पकड़ा क्यों नहीं अब तक। कई जगह नहीं पकड़े हैं और जब नहीं पकड़े जाते हैं तो मिनिस्टर को बदल दो। कोई और मिनिस्टर लगा दो। चाहे अपना लगा दो चाहे मैं कहता हूं कि जनता का लगा दो। अब मैं आप को और क्या कहूं? कई आदमी बोले हैं। एक-एक आदमी का नाम मैंने लिखा हुआ है जो बोले हैं। कई लोगों ने बहुत गलत बात कही है।

जिन आदमियों ने बोला है, मैं ने एक-एक आदमी के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने बहुत सी गलत बातें कही हैं। यहां पर जो कुछ मिल

[श्री सुन्दर सिंह]

रहा है, जमीदारों को मिल रहा है, च को-आपरेटिव हो, चाहे कोई फार्म हो। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 95 फीसदी प्राब्लम लैण्ड के मुताल्लिक है। यह उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, आपने कहां करना है। पंडित जवाहर लाल नेहरू से मैंने पहले भी कहा था कि हर एक स्टेट में हमारा होम मिनिस्टर होना चाहिए, अगर होम मिनिस्टर न हो तो आई० जी० होना चाहिए, जो सब को कण्ट्रोल करे। पुलिस पर हमारा कब्जा हो, लेकिन पुलिस में हम अपने आदमी लाते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब में लड़ाई की क्या वजह है—वहां 90 फीसदी दूसरे आदमी हैं। दूसरे मारने वाले उनको मारते हैं, उनको कौन पकड़ेगा। वहां हरिजनों को बना दो। 50 फीसदी हिन्दू और हरिजन हो जाए तो मसला हल हो जाता है। पहले युनाइटेड पंजाब में यही हालत थी तमाम मुसलमान थे, उन्होंने हिन्दुओं को निकाल दिया था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं लैण्ड रिफार्म का मसला पहले हल करो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, it is now 8.30 p.m. and we must complete this. How long are we going to sit?

SHRI R. N. RAKESH: Upto 12 O' clock.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think the Minister has got to reply. Otherwise this discussion has no meaning. Every one after speaking goes away and there will be thin attendance. Therefore, I would suggest that no speaker should take more than 7-10 minutes. Unless it is a repeation you can complete your speech within 7-10 minutes. I will ring the bell as soon as 7 minutes are over. Shri D. P. Yadav.

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली कांड, बहमाई कांड या बेलची कांड—ये सारे के सारे कांड जो हुए हैं यदि इन पर सन्जीदगी से विचार करें तो ऐसा लगता है कि समाज में एक नई उथलपुथल आई है। इस नई उथलपुथल की प्रक्रिया में जो वर्ग अपने को शासक समझते थे, वे शासन करने की प्रवृत्ति के लिए लड़ रहे हैं और जो वर्ग शासित हैं, वह इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि अब हम शासित रूप से नहीं रहेंगे—मेरी इसी पर निष्कर्ष है।

मैं ज्ञानी जी से निवेदन करूंगा, श्री मकवाना जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, इन सारी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और असलियत के दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल इस पक्ष ने उस पक्ष पर या उस पक्ष ने इस पक्ष पर कोई आरोप-प्रत्यारोप कर दिया, तो इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि देवली कांड में हरिजन मारे गए हैं, बहमाई कांड में ठाकुर मारे गए हैं और कुछ गांव के पिछड़ी जातियों के लोग मारे गए हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात और नोट करने की यह है कि जिओलाजीकल जोन्स से बन गये हैं, जहां पर ऐसी बातें होती हैं और इस के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। कटक, एटावा, मैनपुरी होते हुए मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना तक एक जोन है और दूसरा इलाका आप का गंगा के किनारे का है और यह हमारे रोहतास

जिला, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों का है । इस जोन में काफी सोशल एवेकनिंग हुई है । जो क्लास आपरेस करना चाहता है शासक वर्ग उस को तरजीह दे कर कुछ क्रिमिनल्स को, कुछ असामाजिक तत्वों को उभार रहा है और कहता है कि तुम इस सामाजिक व्यवस्था को चलाते रहो और इस में हम शासन की ओर से मदद करेंगे ।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहूं । कुछ बातें हूं जो सच हैं, जिनको मैं यहां कहना चाहता हूं । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूं । वे मेरे साथ डिप्टी मिनिस्टर थे । वे एक भले आदमी हैं, इस में दो राय नहीं हैं लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्य मंत्री बनने के बाद, इटावा, एटा और मैनपुरी में जो निर्दोष लोग हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, उन को उन की बिरादरी के लोगों ने मारा है; उन के मारने में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया है । यदि ऐसी बात है, तो क्या यह कोई शासन चलाने की बात है । मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि आप के दल के श्री विजेन्द्र पाल जी जो सदस्य हैं, वे आज सुबह मुझ से यह कह रहे थे कि केवल इटावा जिले में करीब करीब 250 नौजवानों को चुन कर दिन में पकड़ लिया, रात को थाने में उन को रखा जाता है और सुबह होते ही उन की हत्या की जाती है और कहा यह जाता है कि एन्काउन्टर में मारे गये हैं । यह अखबार में निकला है और मेरा लिखा हुआ अखबार नहीं है । नीरज राय ने कुछ आर्टीकिल्स लिखे हैं, जिस में उन्होंने लिखा है :

"In UP Dacoits' Den I—Poised for a caste war in Manipuri.

In UP Dacoits' Den II—Government 'persecuting the Yadavas.

In UP Dacoits' Den III—Wives sold to buy guns."

ये सारे के सारे समाचार अखबारों में अक्तूबर महीने से निकल रहे थे और दिहुली में नवम्बर में यह घटना हुई । इस का मतलब यह है कि अक्तूबर से पहले यह सब हो रहा था जिस से इस प्रकार का कुकर्म हुआ । सामाजिक रचना के कारण यह अन्याय हो रहा है और एक वर्ग संघर्ष करने को तैयार है । आज मान लीजिए कि एक जाति का आदमी मुख्य मंत्री हो गया, तो मुख्य मंत्री होने के कारण, उन के व्यक्तिगत कारण से नहीं, उस की जात-बिरादरी होने के कारण, एस०पी० उसी जात-बिरादरी का, दारोगा उस की जात-बिरादरी का, अगर लोग यह सोच लें कि किसी को परसीक्यूट कर देंगे और जात-बिरादरी के नाम पर किसी का सर्वनाश कर देंगे, तो यह सही बात नहीं है । मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस को कोई चुनौती न समझे कि कोई आदमी जिन्दा होता है तो उसे एकबार ही मरना है और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति रही कि पिछड़े हुए लोगों को दबाया जाए, उन को मारा जाए, तो एक ऐसा रेवोलूशन होगा, जिस को बहुत देर तक आप रोक नहीं सकते । आप की बन्दूकों से वे डरने वाले नहीं हैं । जितने आप के पास लाइसेंस्ड आर्म्स हैं, अब उन के पास गैर-लाइसेन्स्ड आर्म्स हो गये हैं । आर्म्स कहां से आ रहे हैं, यह पता नहीं लेकिन कहीं न कहीं से तो मंगा रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए । दिखाने के लिए तो कहा जाता है कि अब कोई बात नहीं है और समाजवाद आएगा और लैंड रिफार्म्स होंगे, लोगों को जमीनें दी जाएंगी और पूरा विकास होगा लेकिन मैं यहां पर कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि अब तक

[श्री डी० पी० यादव]

क्या हुआ है। मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में यह बताया गया है। मैं ने पूछा था कि पिछले दस साल के दर्म्यान देश में सिंचाई की कितनी योजनाएं सैंक्शन हुई हैं और कितनी लागू हुई हैं। मैं इस को पढ़ना चाहूंगा :

"(a) The names of the major and minor irrigation schemes which have been cleared by TEC of the Planning Commission in the last ten years' and

(b) the date of sanctioning amount sanctioned for each scheme; escalated cost due to delay; and the quantum of work done in each case."

किसी मित्र ने कहा कि योजना की राशि जो रखी है, गरीबों के, हरिजनों के पास नहीं, वह बड़े अधिकारियों की खीर-भोजन के लिये जा रही है। उसमें इंजीनियरों का खीर भोजन होता है। दूसरे लोगों का खीर भोजन होता है। मुझे क्षमा कीजिये, हमारे यहां कहा जाता है कि पहले यू० एस० डालर था, उसके बाद पैट्रो डालर आया और वह सिंचाई योजना में हाइड्रो डालर आ गया है। यह हाइड्रो डालर कहां जा रहा है ? यह न हरिजन के पास और न गरीबों के पास जा रहा है।

एक करनार स्कीम थी जो 16-5-75 को 8 करोड 3 लाख की स्वीकृति हुई थी, वह बढ कर अब 16 करोड की हो गयी है और अब तक काम कुछ नहीं हुआ। दूसरी दुर्गावती स्कीम 16-5-75 को 25 करोड़ की मंजूर हुई थी, अब वह 50 करोड की हो गयी है और उसमें भी काम कुछ नहीं हुआ। इनमें काम सारे का सारा मिल है।

अगर आप हरिजन को और आदिवासी को सिंचाई की सुविधा नहीं दीजियेगा, सड़क नहीं दीजियेगा तो वे क्या करेंगे। आप हरिजन और आदिवासी को खाने को भोजन नहीं दीजियेगा, रहने को जमीन नहीं दीजियेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? पटना के इलाके में नक्सलाइट्स के नाम पर एनकाउंटर किये जा रहे हैं। इसमें असल क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। आप वहां से नक्सलाइट्स की लिस्ट मंगवा लीजिये, उससे आपको पता चलेगा कि मरने वालों में कितने नाम नक्सलाइटस के हैं। मरने वालों में एक दो आदमी ऊंची जाति के हो सकते हैं, अधिकतर मरने वालों में हरिजन और आदिवासी लोग हैं।

बालेश्वर राम जी आप तो रूरल रिफार्म्स और रूरल डवलपमेंट विभागों को देखते हैं। कृपा करके वहां जाइये। वहां जा कर आपको पता चलेगा कि वे औरतें जिनके घर में दाल नहीं है, कच्ची अरहर की फली तोडने के लिये खेत में जाती है, पेट की ज्वाला मिटाने के लिये जाती हैं। अगर खेत वाला कोई मनचला युवक है तो वह औरतों के साथ बलात्कार करता है, उस औरत के साथ करता है जो भूख की ज्वाला मिटाने जा रही है। आप विकास की बात कर रहे हैं।

आपकी सारी की सारी योजनायें लैन्ड रिफार्म की योजनायें छपी पड़ी है, लेकिन उनसे गरीब लोगों का भला नहीं हो रहा है, उसको काम नही मिल रहा है। एक हरिजन और आदिवासी को अगर आप काम नहीं देंगे, तो खाने को भोजन नहीं देंगे, रहने को जमीन नहीं देंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। अगर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, या किसी और चीज की आवश्यकता

है तो सरकार को पक्का इरादा करना होगा, संजीदगी से सोचना होगा ।

मैं इस दल में या उस दल में, या उस राज में या उस राज में क्या हुआ, इसका जिक्र नहीं करना चाहता। में यह भी नहीं कहना चाहता कि इस नेता ने या उस नेता ने क्या कहा था । जब तक उन की और मन की भूख नहीं मिटायी जायेंगी तब तक शांति नहीं होगी । जब तक दरिद्र की भूख नहीं मिटेगी तब तक शांति नहीं होगी । ज्ञानी जी किसी भी हालत में उस भूख को दबा नहीं सकेंगे । यह होगा कि अभी यह मारा जायेगा, कभी वह मारा जायेगा । कभी उच्च जाति के लोग मारे जायेंगे कभी दरिद्र लोग मारे जायेंगे । इस सब को रोकने के लिये समाज के बडे लोगों को सोचना होगा और अपने मन को बदलना होगा । जब तक आप मन को नहीं बदलियेगा तब तक समता नहीं होगी । अगर आप बन्दूक की नोक पर या किसी मुख्य मंत्री की ताकत पर शासन करने की बात सोचते है तो आने वाले समय में काम नहीं चलने वाला है ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनपुरी का देउली गांव मेरे क्षेत्र में आता है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र जिला मैनपुरी है । देउली में हुई इस घटना से पूरी मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है । वहां जो अत्याचार और अन्याय हुआ है वह मानव जाति के माथे पर एक कलंक है ।

मैं माननीय ज्ञानी जी को खास तोर से बतलाना चाहता हूं कि 17 नवम्बर को मैं लखनऊ में गया था और मैंने वहां के मुख्य मंत्री को पत्र दिया था कि देउली गांव के आस पास बदमाश रह रहे हैं, वहां पी० ए० सी० को लगाया जाये ।

लोउर गंगा कैनाल के किनारे-किनारे बबूल की झाडियां खडी हैं । उनमें डाकू छिपे रहते हैं ।

परन्तु मेरे उस पत्र पर कोई कार्य-वाही नहीं हुई । इससे पहले 4 नवम्बर को डी० आई० जी० हैड क्वाटर इलाहाबाद को एक पत्र लिखा, उसमें जसराना एस० एच० ओ० के संबंध में लिखा और जो गुन्डागर्दी बढ़ रही थी उसके संबंध में जिक्र किया था और इसके पहले जुलाई या अगस्त के महीने में मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा, उसमें एस० एच० ओ० जसराना, श्री एम० एस० खान के विरूद्ध लिखा था और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया है और जो गुन्डागर्दी और डाकुओं का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपक क्षेत्र में कभी शांति रहती ही नहीं है तो मैंने कहा कि कम से कम जिन्दा रहने लायक स्थिति तो बनाइये । स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है । रसैनी गांव जो वहां से एक मील दूर है वहां डाकू रहते हैं, इस लिये पी० ए० सी० की एक प्लाटून तैनात करवा दीजिये, परन्तु मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया नहीं तो यह घटना रुक सकती थी । 17 नवम्बर को यह दुर्भाग्यिपूर्ण घटना घटी । चार बजे लैटर दिया था और मुख्य मंत्री से बात भी हुई थी, परन्तु हम लोग अपोजीशन के हैं, इस लिये हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।

मैं संतोषा डाकू के संबंध में बतलाना चाहता हूं । यह कहा जा रहा है कि यह कोई बडा डाकू नहीं है । मैं बतलाना चाहता हूं । संतोषा ठाकुर का ससूर पदमबीर डाकू है, इसीलिये अपनी

लड़की की शादी इस के साथ की है। पदमवीर ग्राम नवादा, थाना जसराना का रहने वाला है। संतोषा की जमीन ग्राम जाख थाना ओंछा, जहां इसकी ननिहाल है वहां पर भी है और देवली में इसकी जमीन है। संतोषा डाकू ने ग्राम विक्रमपुर थाना ओंछा के कुंवरलाल यादव को दंगल में गोली मार दी थी। वह बहुत कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इसने उसको मार दिया। इसके बाद नाटकीय ढंग से गायब हो गया। इसके गिरोह में सभी ठाकुर हैं। ये लोग जगह जगह हरिजनों को लूटते और मार पीट करते हैं। इसके गिरोह में राघे, बहादुर, कप्पान, युधिष्ठर आदि हैं और दो-चार लोग देवली के भी हैं। इनको पूरे जिले के कांग्रेसी ठाकुरों का संरक्षण प्राप्त है।

**

इन सबका समर्थन इनको मिला हुआ है। इनकी योजना मेरे कत्ल कराने की भी थी, लेकिन मैं तो सावधानी के साथ रहता हूं, इसलिए ये कामयाब नहीं हो सके। बेचारे गरीब और साधनहीन जाटवों को इन्होंने मार डाला।

वहां के ठाकुर जमीदारों के बारे में बतलाना चाहता हूं। ये पंजाब या हरियाणा जैसे जमींदार नहीं हैं। ये लार्ड कार्नवालिस के जमाने के जमींदार हैं। ये सब अपराधी हैं। हम लोग भी जब वोट मांगने जाते हैं तो हमारे साथ थी मिस-बिहेव करते हैं और जीप पर धूल आदि फेंकते हैं।

सन 1961 में ठाकुर फतेह सिह प्रधान का चुनाव जीते थे। उसके बाद जाटवों के सहयोग से नाहर सिह लोधी 1971 में प्रधान का चुनाव जीते। तभी से ये जाटवों से रंजिश मानने लगे। नाहर सिह ने हरिजनों को जमीनों के पट्टे भी दे दिए, इससे रंजिश और अधिक बढ़ गई।

1969 में जब विधान सभा के चुनाव चल रहे थे उस समय जसराना थाने के थानेदार लाल सिह से वहां के ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मिलकर जाटवों के बी. ए. एम. ए. में पढ़ने वाले लड़कों को थाने में बन्द करा लिया। जब मैं जाजूमई के पुल से पार हुआ तो मुझे इस घटना के संबंध में उस दिन करीब 12 बजे बतलाया। मैं चार बजे जसराना कस्बे में पहुंचा। तब अंगनलाल, जो शिवदयाल मारा गया, उसका पिता है वह मेरे पास आया। मैं शाम को चार बजे थाने पहुंचा। मैंने अंगन लाल जाटव को बी० डी० सी० का मैम्बर बनवाया था, ब्लाक समिति का मैम्बर बनवाया था। इन्होंने मुझे कहा कि थाने में चार पांच लड़के बन्द हैं। मैं थाने गया। उनको खाना खिलाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सैशन जज की कोर्ट में केस गया। मैंने एम०एल०ए० की हैसियत से सफाई पक्ष की तरफ से बयान दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रिहा करवाया। ठाकुर और ब्राह्मण बुरी तरह परेशान कर रहे थे। जगदीश, राम भरोसे लीलाधर, करधम का साला छुटन लाल आदि को मैंने छुड़वाया। जगदीश आगरा की तहसील एतमादपुर में टाउन एरिया में नौकरी करता था। तब उसने शिव दयाल को भी तहसील में चपरासी लगा लिया था। दीवाली के अवसर पर शिव दयाल घर दीवाली मनाने के लिए आया, मौत उसको भी वहां ले आई। ज्ञानी जी वहां का करुण दृश्य देख कर आए हैं। उसको देख कर आंसू बहने लगते हैं। शिव दयाल को भी किवाड़ तोड़ कर

**Expunged as ordered by the Chair.

मार डाला गया । मौत उसको यहां ले आई थी । दो-दो साल के बच्चों को मार डाला गया । उन कुत्तों को जिन्होंने बन्दूक की आवाज सुन कर भौंकना शुरू किया था, उनको भी डाकुओं ने नहीं छोड़ा और जान से मार दिया । संतोषा ने 16 तारीख को फरीदपुर गांव से पांच बन्दूकें लोधियों के यहां डाका डाल कर चुराई और पांच सौ कारतूस भी ले गए । 18 ता० को इन्हीं बन्दूकों से उन्होंने गरीब जाटवों को मारा । पंचम सिंह के पुत्र मुंशी सिंह के यहां उन्होंने खाना खाया । उसी दिन पंचायत की। यह एक कास्ट वार थी । मारने वाले भी ठा र और प्रश्रय देने वाले भी ठाकुर थे । मारने वालों में एक दो तेली, धानव आदि भी शामिल हो गए थे । उनको इन्होंने अपने गैंग में मिला लिया था । जबर्दस्ती, उनको गांव में रहना था तो उनके गैंग में मिलना पड़ा । 1980 का चुनाव हुआ । तब एटा, मैनपुरी और इटावा में तीन जगह जाटव या शैडयूल्ड कास्ट के एस० पी० थे । आज उनमें से एक भी नहीं है । बुद्ध चन्द को मेनपुरी से** इन लोगों ने ट्रांसफर करवा दिया । वह गरीबों और हरिजनों और पिछड़े वर्गों की मदद करता था । इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया । उनके वक्त में जिले में काफी शान्ति थी । वह गरीबों की सुनता था । किसी तरह का आंतक तब नहीं था--

MR. DEPUTY SPEAKER: You took too much of the time. Please you complete your speech.

SHRI R. N. RAKESH: Sir, we will sit here up to 12 of the Clock.

MR. DEPUTY SPEAKER: I know that. Please leave it to me. Everybody speaks and goes away. There would be no quorum.

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : यह मेरे क्षेत्र का मामला है । अगस्त का महीना था । उत्तर दक्षिण में तो नहर बहती है और पूर्व पश्चिम में नदी और बिल्कुल किनारे पर देवली गांव स्थित है तब अगस्त में धन सिंह ने पुलिस का जो मुखबिर था पुलिस को सूचना दी कि संतोषा, राधे, कप्तान वगैरह का गैंग देवली गांव में डेरा डाले हुए हैं । पुलिस मौके पर पहुंची । राधे तब टट्टी करने गया हुआ था । तब बरसात का मौसम होने के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी । राधे भी टट्टी करने गया हुआ था । जब इन दोनों को पता लगा तो ये नदी क्रास करके निजामपुर की तरफ भाग गए । इस केस में अगन लाल मिट्ठू, आदि जाटवों को पुलिस ने गवाह बना लिया । तब से ये लोग बहुत रंजिश मानने लगे और इन्होंने प्रण कर लिया कि हम सबूत खत्म करने के लिए उनको जान से मार देंगे । जब इनकी राइफलें आदि छीन ली गई पुलिस द्वारा तो** निवासी धाधऊ थाना जसराना के यहां कांग्रेसी ठाकुरों--की मीटिंग हुई जहां पर चन्दा करके समी आटोमेटिक, आटोमेटिक राइफलें खरीद कर उनको दी गई और इन से उन्होंने देवली पर हमला किया और हरिजनों को मारा । ठा० शिवराज सिंह जो मेरा कार्यकर्त्ता है उसके भाई साहब सिंह को पंचायत में बुला कर और शराब पिला कर 1,000 रु. तय करा लिया । पिछले शनिवार 2, 3 दिसम्बर को बदमाशों ने हथियार खरीदने के लिये थाना जसराना के अधिकारियों की सहायता से शिवराज सिंह को पकड़ लिया और डराया धमकाया । उसने कहा बदमाशों को हथियार खरीदने के लिये

**Expunged as ordered by the chair.

[श्री रघुनाथ सिंह वर्मा]

पैसा नहीं देंगे, ठाकुर जायें भाड़ में । ठाकुरों में सबसे ज्यादा पैसे वाले शिव राज सिंह और साहिब सिंह हैं इसलिये उसको पकड़ कर ले आये । आप इन तथ्यों की जांच करायेंगे । संतोषा, कुंवर लाल को मारने के बाद, करीब 6 महीने गायब रहा, ठाकुरों ने कहा कि संतोषा मारा गया, जब कि वास्तव में बहादुर मारा गया था, और लाल जी** करहल के यहां शेल्टर पाता रहा क्योंकि जसराना में ठाकुर कम हैं और करहल क्षेत्र में ज्यादा हैं** । आप भयाना, तहसील करहल के रहने वाले हैं । वहां खटीक ज्यादा हैं। संतोषा को नाटकीय ढंग से सरेंडर कराया गया** । वर्तमान आई० जी० इसको पकड़ कर ले गये और मलखान सिंह के गैंग से जमुना किनारे से ले जाकर इसको सरेन्डर कराया जब यह आया कि मुख्य मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा । **गरीबों के प्रति गलत व्यवहार है और अत्याचारी बड़ा जमींदार रहा है । एक खटीक के लड़के की पकड़ करा ली वह शराब की दुकान करता है, 90,000 रु० उस लड़के के छुडाने, के लिये इन्होंने लिये हैं, ऐसी ग्राम चर्चा है ।

पुत लाल लोधी निवासी टोडापुर तोथडी थाना जसराना के लडके को संतोषा गैंग पकड कर ले गया और इनके दलालों ने 20,000 रु० ले कर छोड़ा । संतोषा हमेशा पिछडे वर्ग और हरिजनों की पकड और डकैती करता है । हमारे मैनपुरी जिले में इस समय 4 सर्किल अफसर हैं जिनमें से 3 ब्राहमण हैं । मैंने कई बार लिख कर दिया कि इतने ब्राहमण नहीं रहने चाहिये जानबूझ कर हरिजनो को एनकाउन्टरर्स में पिछडे वर्ग के लोगों को मार रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी एनकाउन्टर्स पुलिस के हो रहे हैं वहां पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मारा जा रहा है । एक **सी० ओ० है, वह चरित्रहीन आदमी है उसने एक के भाई को पकड़ा कर ले जा कर मार दिया जो पुलिस में इंस्पैक्टर्स का लडका है । आप देखें इन एनकाउन्टर्स में अहीरों, लोधियों, जाटवों, काछियों और गडरियों को ही मारा जा रहा है । जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक गरीब शोषित और पीडित लोग परेशान रहेंगे और यह सरकार उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती । लगता है कि जाटव भाइयों को तो निकाल ही दिया जायेगा देवली गांव से ।

जब गृह मंत्री जी देवली गये थे उस समय दो ढाई मील की दूरी पर ग्राम दनहोली गोरबा में जहां रामे की साली ब्याही हुई है । वहीं पर संतोषा ठहरा हुआ था और वहां के पढ़े लिखे लडकों को धोंस दे रहे है कि देवली जैसा तुम्हारा भी हाल कर देंगे । जब राघ की ससुराल वालों को पकडा गया तो **

वह रात घर वालों को छुडवा गये राघे के इसी तरह से असगर अली जो प्यारे जाटव के यहां जूतों की मरम्मत करावने आया था उस को घायल कर दिया। आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करवायें खास तोर से क्योंकि गुन्डे और बदमाश तथा पुलिस दोनों उस पर दबाव दे रहे हैं कि वह अपना बयान बदलें और वह बयान नहीं बतला रहा है। उसको मारने के चक्कर में है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था यहां से करायें उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई विश्वास नहीं है और वह सबूत न दे सके इसलिये उसे मार डालेंगे । उसके बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं ।

जो 4 मरे हुए बतलाये जा रहे हैं— मुआ कल्लू वगैहरा, इस समय एन-काउन्टर कर रहे हैं। जो मिल जाता है उसी को दिखला देते हैं। कुतुबुद्दीन उसमें हैं। एफ० आई० आर० में हैं। पहले रिपोर्ट ही सही नहीं लिखी गई, 20 25 आदमी डकैती डालने आये, उसमें लिखा गया। कुतुबुद्दीन उसमें नामजद है। अजीज जो कि बागिया का है जहां असगर अली है, उसके गांव का है, उसको छोटा सा बदमाश कह दिया और मार दिया और कहा कि यह भी देहुली कांड में हैं। पुलिस जिसे पकड रही है, उसे बतलाती है कि वह देहुली कांड में हैं। जो असली मुल्जिम हैं, वह बचे हुए हैं और उनको शैल्टर देने वाले ठाकुर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहे वह किसी भी कोम के हों।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि जब कोई ठाकुर मर जाये बहमई में तो एक एक को 50, 50 हजार रुपये दिये जायें और अगर कोई जाटव मर जाये तो 5, 5 हजार यानी एक-दसवां भाग, कोई हरिजन मर जाये तो एक-दसवां भाग। 9 आदमी जाथई में मर गये, 9 आदमी फाजिलपुर जरेलो में लोधी मारे गये। मेरा कहना हैं कि शिड्यल्ड कास्ट के लोगों को भी उतना ही दीजिये जितना ठाकुरों को दिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि उनको 50,000 कैसे दिया गया हैं।

जो सूचना आई खबर भी है जसराना थाना, आपने जो पिछले बयान में कहा था कि देहूली गांव रेल सडक से बहुत दूर है। यह हमारे घर से 3 मील दूर है, 4 मील पर जसराना थाना है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थाना और सडक 4, 5 मील पर है। उस वक्त पी० ए० सी० मुस्तफाबाद के पुल पर पडी थी, उसको भी खबर थी, जसराना थाने को भी थी शाम के 6 बजे थे लेकिन कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस के दो सिपाही और एक थानेदार को गश्त के लिये भेजा गया। जब इतनी बड़ी घटना थी तो यह योजनाबद्ध थी। पुलिस के एम०ओ० खां एस०ओ० हैं, उनकी सलाह से सब कुछ हुआ है, यही नहीं बदमाशों ने जाटवों के घरों से घी और आटा लेकर पूड़ियां बनवाई और खाई और तब गये वहां कि पुलिस और जसराना थाने के लोग उनसे मिल लिये थे। अपराध के बाद बदमाश फौरन भागते हैं लेकिन वहां पर वे वहीं रहे, जाटवों के घी और आटे से पूड़ियां बनवाकर खाकर गये है। दारू तो सब ने पी ही है।

यह जाति संघर्ष है, इस बात को जगह-जगह यहां भी कहा है और जगह भी कहा है। अपराध संतोषा डाकु और राठे ने किया है। जो माननीय प्रधान मंत्री का कथन है वह गलत है। वह कहती हैं, कला सवार है कास्टवार नहीं है। यह सब मारने वाले ठाकुर है और मरने वाले जाटव हैं। चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं। पूरे क्षेत्र में आतंक छाया हुआ है। गरीबों को, पिछड़ों को, हरिजनों को ही जानबूझ कर मार रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि यहां के लोग देहुली के लिये सड़क जसराना थाने से जो कच्ची हैं, उसको पक्का कराया जावे जिससे यह जो पेबल एरिया हो जाये और पुलिस वहां जा आ सके। दिनौली गोरवा में पढ़े-लिखे जाटव हैं और इस गांव के भी पढ़े-लिखे लड़के सी०ओ०डी० में नौकरी में लग गये हैं, वहां के ठाकुर यह नहीं चाहते कि लोग हमारी बराबरी कर सकें, कपड़े साफ पहन सकें और घूमें। वहां पर सन्तोषा राठे जब

[श्री रघुनाथ सिंह वर्मा]

रूके, दिनौली कोरवा में तो वहां भी भौंस दे गये हैं। वहां भी खतरा है। वहां की भी व्यवस्था करें जिससे वह सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिये और सरकार को डिस्मिस किया जाये।

2.00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I would request hon. Members from the Ruling party to be brief; and since they are more in number, **they will be allowed only 5 minutes.** Mr. Panika, you must help me; kindly conclude your speech within 5 minutes.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले आपने एक रिमार्क ज किया था कि हम लोगों को पालिसी पर बोलना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा उन बिंदुओं और नीतियों पर चर्चा करने की, जिन के कारण देवली जैसी शर्मनाक और हृदयविदारक घटनाएं घटती हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले सदस्यों और सारे देश की जनता को इस लोमहर्षक हत्या-कांड पर दुख है। मैं समझता हूं कि यदि किसी को इन पर दुख नहीं है, तो शायद वह इंसान नहीं होगा।

मैंने श्री रघुनाथ सिंह वर्मा के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। उनके भाषण से साबित है कि उन लोगों और हत्यारों में काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। सरकारी वर्शन से भी यह पता लगता है कि उन दोनों में दुश्मनी चली आ रही थी। यह कोई ऐसी घटना नहीं है, जो शासन-व्यवस्था की किसी कमी के कारण घटी है, बल्कि वर्षों से आपस में जो दुश्मनी चली आ रही है, उसकी वजह से यह घटना घटी है। लेकिन उसके बाद देश की सरकार और विशेषकर राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो कार्यवाही की, हम उसको जरूर आंकें। मुख्य मंत्री वहां जाते हैं और करुणा की अनुभूति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह अपने मुख्य मंत्रित्व को भी दांव पर लगा देते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तत्काल इस्तीफा दे दूं। लेकिन उनके दिमाग में उनके कर्त्तव्य की बात थी, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि 24 दिसम्बर तक इन हत्यारों को पकड़ने और उस इलाके के मुख्य दस्यु गैंगज को खत्म करने में सफलता न मिली, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने जो दृढ़ संकल्प और व्रत लिया, उसका नतीजा क्या हुआ? आपने देखा कि 19 दस्यु प्रकाश में आए थे, जिनमें से 5 पकड़े गए, 3 ने समर्पण किया और 4 मार दिए गए, अर्थात् 19 में से 12 को सरकार ने किसी न किसी रूप में अपने कब्जे में करने में सफलता प्राप्त की। जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, इस प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि देवली कांड के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा की जाए। भूतकाल में भी ऐसे बहुत से कांड हुए हैं : बेलछी, नारायणपुर, बाबू जगजीवन राम के क्षेत्र में, जो हरिजनों के नेता हैं, ऐसा कांड हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि तत्कालीन सरकार ने हरिजनों की सुरक्षा के लिए क्या किया था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री मोरार जी भाई, बेलछी नहीं गए। जगजीवन बाबू के क्षेत्र में हरिजनों को जलाया गया था। वह मंत्री थे, लेकिन वह भी नहीं गए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम गए थे।

श्री राम प्यारे पनिका : आप बाद में गए होंगे।

जैसे ही यह घटना घटी, मुख्य मंत्री मौके पर पहुचे । माननीया प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, संसद-सदस्य श्री राजीव गांधी और बहुत से अन्य संसद-सदस्य मौके पर पहुंचे ।

कहा गया है कि बेहमई कांड के मृतकों के परिवारों को पचास हजार रुपये दिए गए थे, जबकि देवली कांड में मरे लोगों के परिवारों को कम रक़म दी गई है । यह सत्य से परे है । हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मरने वालों के परिवारों को दस दस हजार रुपए दिए । इसके अलावा प्रधान मंत्री के कोष से पांच पांच हजार रुपए दिए गए । क्या यह तारीफ के काबिल नहीं है ? बेहमई की घटना में मुख्य मंत्री की अपनी बिरादरी के लोग मारे गए थे । तब उन्होंने इस्तीफा देने की बात नही कही थी । लेकिन जब देवली में 24 हरिजन मारे गए, जिनमें 9 पुरुष, 6 महिलाएं और 9 बच्चे थे, तब द्रवित हो कर उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

21.05 hrs.

[Shri Chandrajit Yadav in the chair]

और संकल्प लेते हैं उन की सहायता करने के लिए । क्या यह सही बात नहीं है । हमारे बहुत से साथी मौके पर गए थे, वह जानते है कि इधर उन के पुनर्वास के लिए हमारी प्रदेशीय सरकार मे व्यवस्था की है । आज वहां बिजली लग गई, पेय जल की व्यवस्था हो गई, जो कच्ची सड़क थी वहां ईंटों से पक्की सड़क बनाने का कार्यक्रम चल रहा है । जो व्यवस्था सामने है वह आप देखें । यही नहीं, जिन को चोट आई थी उन को चार हजार रुपया प्रदेशीय सरकार ने दिया और प्रधान मंत्री कोष से उन को दो दो हजार रुपया दिया गया । तो इस घटना के बाद, जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वह व्यवस्था सरकार ने की है । क्या ऐसी व्यवस्था पहले हुई है ? यदि ऐसी व्यवस्था पहले नहीं हुई है तो निश्चित तौर से हमारी सरकार और मुख्य मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं ।

बहुत से लोगों ने ला ऐंड आर्डर की बात की । क्या यह बात सही नहीं है कि विभिन्न अपराधों के यदि आप तीन चार सालों के आंकड़े देखें तो उस में गिरावट आई है । मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं । डकैतियों में देखें तीन वर्षों में 20.69 प्रतिशत की कमी हुई है । रावरी में 18.4 प्रतिशत की कमी हुई है, रायट में 12.03 प्रतिशत की कमी हुई है । बरगलरी में 18.25 प्रतिशत की कमी हुई है और टोटल में 5.7 परसेंट की कमी हुई हैं । इस तरह से हर क्षेत्र में गिरावट आई है । क्या यह वहां की ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था मे सुधार होने की बात नहीं है ?

आप दो साल के अंदर देखें किस तरह से लोग साम्प्रादायिक दंगे फैला रहे थे, उस पर हम मे कब्जा पाया । किस तरह से विद्यार्थियों को बहकाया जा रहा था, उन से हम ने परीक्षाएं दिलवायी । प्रदेश भर में इस प्रकार से यह बात हुई है ।

एक बात मैं मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूं कि जो विकास के काम हैं जिन के न होने के कारण मे घटनाएं घटती हैं उन कारणों को दूर करना होगा । आप को जमीन के रिफार्म के काम करने होंगे । अभी बावजूद तमाम प्रयासों के 25-30 साल में जितनी 15-16 लाख हेक्टेयर जमीन प्राप्त हुई थी उस का केवल आधा

[श्री राम प्यारे पनिका]

बांट सके हैं और वह ऐसी जमीन बंटी है बहुत से लोगों के कब्जे जिन पर नहीं हो पाए हैं। इसलिए यह काम आप को करना होगा। आप को देखना होगा कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की जो नीति है उस का पालन हो। बैंकों से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर आप रेकार्ड उठा कर देखें तो हरिजन आदिवासी खेतिहर मजदूर और गरीबों को उस में बहुत कम प्रतिशत में हिस्सा मिला है, केवल तीन चार प्रतिशत ही वह सुविधाएं उन को मिलती हैं। बाकी समाज के जो बड़े लोग हैं वे उस को हड़प लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो छोटे बड़े की लड़ाई है उस को समाप्त करने के लिए निश्चित तौर से आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया जाए। यह आप को करना होगा। साथ-साथ जो प्रधान मंत्री जी ने एक घोषणा की थी और यही नहीं हर एक स्टेट को डायरेक्टिव दिए थे जैसे ही दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली थी कि किस तरह से हरिजनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, उस को देखना होगा, कि हर स्टेट उस उस का पालन करे और जमीन की वितरण की व्यवस्था हरिजनों में हो। इस में भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक अनुकरणीय काम किया है। आज जमीनों के आबंटन के लिए हर स्टेट में अलग अलग कानून बने हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा किए हुए हैं उनके सजा की व्यवस्था पिछले वर्ष कानून के अंदर कर दी गई है। यही नहीं, आदिवासी और हरिजनों के बारे में अभी केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है लेकिन अपने स्तर से ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के 13 आदिवासियों को आदिवासी मान कर उन के विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही नहीं, अभी भाई तिवारी जी 1957 की बात बता रहे थे, वह जानते है कि विश्वनाथ प्रताप जी किस घराने के हैं, उस समय वह भूदान मूवमेंट में आए, गरीबों के प्रति उनकी क्या भावना है उस का पता इसी से चलता है कि अपनी जो सब से अच्छी जमीन थी उसे उन्होंने गरीबों में बंटवा दिया। इस के अलावा ललिता शास्त्री जी का जो गरीबों और हरिजनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है उस के लिए उन्होंने अपने महल का आधा हिस्सा दे दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल एक बिरादरी का नाम ले कर, एक जाति का नाम ले कर इस तरह से सदन में बात करना ठीक नही है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या हैं और राट्रीय परिप्रेक्ष्य में उससे देखने की बात होनी चाहिए। लेकिन जब भी कभी उस के बारे में यहां बात होती हैं तो उसे राजनैतिक पुट दिया जाता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीया प्रधान मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंटस को भूमि आबंटन के संबंध में और हरिजनों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में डायरेक्टिव दिए हैं उन का पालन किया जाना चाहिए और उस के लिए चाहे वह कम्पोनेंट प्लान हों चाहे आदिवासियों के सब-प्लान हों इन सभी को कार्यान्वित करना चाहिए अन्यथा, पचास प्रतिशत से ऊपर जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन को ऊपर उठाने की जो बात छठी योजना में आप ने रखी है वह पूरी नहीं हो पाएगी। उसे पूरा करने के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाने होंगे और

उनकी कार्यान्वित करना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसे देखना होगा। विभिन्न स्तरों पर इम्लीमेंटेशन कमेटी बनानी पड़ेगी। चाहे उत्पीड़न की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो चाहे विकास की समस्या हो और चाहे कुरीतियों को दूर करने की बात हो।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं पुनः आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में विचार होना चाहिए। मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री को धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफल हुए हैं, अपने कार्यक्रमों में, आपको इस्तीफा देने की बात नहीं करनी चाहिए। एक कर्मठ और एक योगी की तरह आप प्रदेश का कल्याण करें, जिससे कि गरीबों का उत्थान हो सके।

MR. CHAIRMAN: Shri Jagjivan Ram.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I have also been sending slips to the chair and have been waiting for a long time to speak.

MR. CHAIRMAN: You are a young Member and can wait.

DR. SUBRAMANIIAM SWAMY: I should have been told in advance so that I could have arranged my programme accordingly.

MR. CHAIRMAN: Are you leaving today by train?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am already hard pressed for time. I will sit down as you have already called Shri Jagjivan Ram, but I must protest.

MR. CHAIRMAN: No question of protesting; I am taking note of what you have said.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Notice is not enough; it should be implemented.

MR. CHAIRMAN: Shri Jagjivan Ram.

श्री जगजीवन राम (सासाराम): सभापति महोदय, देवली कांड के बारे में बहुत से विस्तार के विषय आ चुके हैं, मैं उस विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। बहुत बड़ी समस्या आज हिन्दुस्तान के अनुसूचित जातियों की है, उसको भी उठाना नहीं चाहूंगा। वह समस्या धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। कुछ लोगों ने कहा कि उनको आइसोलेशन में (दूसरों से पृथक) नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि उन को आइसोलेशन (पृथक) में रखा गया है। उन के जाने का प्रश्न नहीं है। उनको आइसोलेशन में (पृथक) रखा गया है। वे मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है।

दिल्ली शहर में कोई अनुसूचित जाति वाला हिन्दू के मकान में किराये पर नहीं रह सकता है। उस को या तो मुसलमान के मकान में रहना पड़ता है या गैरहिन्दू के मकान में रहना पड़ता है। इस प्रकार वह मुख्य धारा में आवे कैसे। यह दल का सवाल नहीं है। मैं यह नहीं मानता हूं कि डाकू जब आक्रमण करता है, तो सोच लेता है कि गैर-कांग्रेसी है और इस के ऊपर करना चाहिए। सबके लिए मिली-जुली समस्या है।

इसमें सन्देह नहीं कि आजादी के बाद उनके (अनुसूचित जातियों) अन्दर जागृति आई है। शिक्षा का फैलाव हुआ है, इस में सरकार का अंशदान रहा है। साथ ही साथ समय के साथ भी परिवर्तन हुआ है। उन में आत्म-सम्मान की भावना आई है। अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध करने की भावना आई है, और जैसे-जैसे यह भावना जागृत होगी, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। मैं यह आशा

[श्री जगजीवन राम]

नहीं कर सकता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह कह सकेंगे कि अब देवली जैसा कांड नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ऐसे कांड होंगे और होना- मैं मानता हूं कि सामाजिक क्रान्ति का एक अंग होगा। सामाजिक क्रान्ति आने वाली है और आ रही है। सवाल यह हो जाता है कि सरकार की तरफ से क्या किया जाए। मैं आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के व्यक्तित्व को भी मैं बहस में नहीं डालना चाहता हूं कहा जाता है कि वे सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। इसलिए मैं उनके बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। यदि ऐसा कहा जाय कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुरवाद को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके साथ अन्याय, करना होगा। लेकिन ठाकुर मुख्य मंत्री बन जाए, तो ठाकुरों के अन्दर ऐसी भावना आ जाती है, इसको कौन रोक सकता है। इसके लिए सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोषी नहीं कहा जा सकता है। ताज्जुब यह होता है जब लोग कहते हैं कि इसको (देवली काण्ड को) मान लिया जाए कि यह अपराधियों का काम है। मेरे सामने एक ज्वलन्त समस्या है, प्रधान जी, कि जब हिन्दू-मुसलमानों का दंगा हो, तो उसे कम्युनल राइट (साम्प्रदायिक दंगा कहा जाएगा, साम्प्रदायिक दंगा कहा जाएगा, जब पूंजीपतियों और श्रमिकों का संघर्ष हो, तो उसे वर्ग संघर्ष कहा जाएगा लेकिन जब बेचारे अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ ऐसी घटना हो, तो इसे अपराधियों का काम कहा जाएगा। यह एक विडंबना है। इस का अर्थ यह है कि आप वस्तु-स्थिति का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वस्तु-स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह जी से मैं कहूंगा कि मुझे बताया गया कि उन लोगों को (देवली वालों को) डर था, उनको खतरा था और पुलिस को सूचना दे दी गई थी और बंदूकों के लिए वे लाइसेन्स मांगते थे और थाने वालों ने उस को ऊपर भेज दिया था और यह आप को देखना चाहिए कि किस ने उस को रिजेक्ट नामंजूर किया।

एक माननीय सदस्य : कलक्टर ने रिजेक्ट किया।

श्री जगजीवन राम : मैंने जब कहा कि अनुसूचित जातियों के लोगों को हथियार देने चाहिए, तो लोगों ने कहा कि इससे सिविल वार (गृह युद्ध) हो जाएगी। ठाकुरों और यादवों को दिया जाए, तो सिविल वार नहीं होगी। अगर बंदूकों के लाइसेन्स देने से सिविल वार होने को हो, तो सब के (बन्दूक) जब्त कर लेने चाहिए। साधारण बुद्धि का तकाजा यही है।

मैंने एक सुझाव और दिया था कि अवैध हथियार जितने लोगों के पास हैं, उन को जब्त करना चाहिए। आप कहेंगे कि जब्त नहीं होंगे और मैं कहूंगा कि पुलिस की जानकारी के बिना किसी के पास अवैध हथियार नहीं रहता है। जहां हथियार बनाए जा रहे हैं, उन कारखाने वालों को पकड़िए। आप कहेंगे कि पकड़ना आसान नहीं है। बहुत चीजें आपके लिए आसान हैं। आपका खुफिया विभाग है। आखिर उसमें कुछ दक्षता लाने की जरूरत है। देश में शान्ति और व्यवस्था रखना है तो ऐसा करना जरूरी है। अवैध हथियारों को आप नहीं रोकेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए जो आपसे लाइसेन्स मांगता है, उसको आप लाइसेन्स नहीं देंगे, तो उसके सामने रास्ता क्या है; वह भी अवैध हथियार हासिल करेगा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति का कोई जवान किसी दूसरे से कमजोर है। जब वह देखेगा कि मरना ही है, तो वह मारने के लिए

तैयार होगा। वह स्थिति न आवे, इसका आपको इन्तजाम करना होगा।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। इशारतन कहा गया कि वहां जाटव भी डाकुओं के गिरोह में शामिल थे। डाकुओं के गिरोह बहुत हैं लेकिन कोई यह बता सकता है कि किसी गिरोह में सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं? दूसरे भी रहते हैं और दिहुली के बारे में यह कहा गया कि एक तेली था और एक नाई था। तो क्या एक साधारण बुद्धि वाला आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि जब डाकू एक तेली से, एक नाई से कहेंगे कि आओ हमारे साथ चलो और (जाटवों के) घर का पता बताओ, तो क्या उनकी हिम्मत होगी कि वे वहां न जाएं। क्या वे उस घर को नहीं बताएंगे? यह एक साधारण बुद्धि की बात है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था लेकिन वस्तु-स्थिति वही है कि यह ठाकुर और जाटव संघर्ष था। एक कास्ट वार (जाति-संघर्ष) हिन्दुस्तान में चल रही है और ना कह देने से वह बन्द नहीं होगा। मैनपुरी की स्थिति यह है कि वहां कमजोर वर्गों की बात कौन चाहे, वहां के ब्राह्मण भी देहात के मकान छोड़ कर शहरों में आ चुके है। शायद इस की आप को जानकारी होगी। तो शान्ति और व्यवस्था की स्थिति वहां बिगड़ी है। बहुत से कांग्रेसी मेम्बरों के लिए जनता पार्टी - आदर्श है लेकिन मैं यह नहीं कहता कि जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा हो गया था। अनुसूचित जातियों पर अत्याचार सामाजिक संघर्ष हैं। चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, या आपकी सरकार रहे या किसी और की सरकार रहे, इस दोष से किसी को मुक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह संतोष हो सकता है कि अत्याचार किसी साल कम हो जाता, किसी साल ज्यादा हो गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कम हो रहा है। मैं यह नहीं मानने वाला हूं कि यह कम होने वाला है। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी एक बहुत बड़ा वर्ग सर्वहारा समुदाय है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं। उन पर भी आज उत्पीड़न है। जिस स्थिति में वे रखे गये हैं, उस स्थिति से वे निकलना चाहते हैं। अगर आसानी से निकल सकें तो आसानी से निकलेंगे, संघर्ष करके निकल सके तो संघर्ष कर के निकलेंगे।

जब सर्वहारा वर्ग उठने लगता है तो निहित स्वार्थ उसको दबाता है। यह दुनिया का नियम है। यह हरेक मुल्क में हुआ है, यहां भी होगा और वह प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। उसका विश्लेषण आपको करना चाहिए। आपके सचिवालय को, उसके लिए एक महकमा खोलना चाहिए।

यह सिर्फ अनुसूचित जातियों का ही सवाल नहीं है। माइनोरिटीज (मुसलमानों-ईसाइयों सिखों) के साथ क्या हो रहा है? आज वे अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर रहे हैं। यह आपके लोक तंत्र के लिए चिन्ता का विषय है।

मैं फिर कहता हूं कि मैं आरोप, प्रत्यारोप करना नहीं चाहता। आपकी कांग्रेस की कुछ नीतियां रही हैं। आपने सेक्युलर नीति को अपनाया, आपने जातिपांत को मिटाने का यत्न किया। मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई अन्तर्जातीय विवाह करे तो, आपके दल से तानाकशी की जाय, यह आपके मौलिक सिद्धान्तों पर आघात है। (व्यवधान) आप अगर करना चाहते हैं तो, कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह मान लेना पड़ेगा कि आपका आचरण सेक्यु-

[श्री जगजीवन राम]

रिज्म और एण्टी कास्ट प्रकिया से हट चुका है। यह आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, देश के लिए भी चिन्ता का विषय होना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता था कि यह कहा गया कि लाटूरी का बेटा जिसके खान्दान को समाप्त कर दिया गया, डाकुओं के गिरोह में था। यह भी कहा गया कि चोरी के माल के बटवारे पर झगड़ा हो गया। बहुत से लोग लाटूरी के घर गये होंगे। उसका घर विपणता का प्रतीक है। उसके यहां कितनी गरीबी है। डाकुओं के गिरोह में रहने से कुछ तो आमदनी होती। यह छोटी बात नहीं है, मैं चाहूंगा जानो जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के मातहत न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लाटूरी का बेटा डाकुओं के गिरोह में शामिल था या नहीं था। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि आई० जी० ने कह दिया यह मारकाट पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ। यह न्यायालय तय कर दे कि पुरानी दुश्मनी से हुआ है या नहीं। पुलिस अधिकारी यह कह दें वह क्षम्य नहीं है। यह तो न्यायालय को तय करना है। अगर यह न्यायालय सामने सिद्ध होता है तो अपराधी की सजा कम हो जाती है। यह किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कहा जाए तो शुबहा होने लगता है कि शायद देवली के अपराधियों का भी वही होगा जो कफल्ता वालों का हुआ। सभी के सभी अपराधी छोड़ दिये गये। फिर गरीबों के लिए रास्ता क्या रह जाता है? आपकी पुलिस से उनकी सुरक्षा नहीं। आपकी हथियार देने की नीति में कहीं कहीं यह पूछा जाता है कि आपका मकान पक्का है या नहीं जिसमें कि बन्दूक सुरक्षित रह सके। कितने अनुसूचित जातियों के मकान पक्के हैं? इस तरह तो उनको हथियार ही नहीं मिलेंगे। मैं वहां देवली गया तो लोगों ने कहा कि हमारे पास बन्दूक होती तो हम भी अपने बचाव में लड़ते। मैं यह मानता हूं कि किसी की भी हत्या हो, यह निंदनीय है, उसके लिए हमको अफसोस करना चाहिए, लेकिन एक कमजोर-वर्ग की होती है और एक मजबूत वर्ग की होती है—इसमें अन्तर है। मजबूत वर्ग की होती है तो उसमें रीटेलिएशन (बदले लेने) की शक्ति है। यहां कहां रीटेलिएशन (बदला लेने) की शक्ति है? इसलिए यह कह देना कि सभी अपराधों को बराबर मानना चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समानता का अर्थ इक्विटी (न्यायपूर्ण समानता) होता है, हर मामले में सिमिलेरिटी (एक रूपता) नहीं होता। इस अन्तर को समझने की आवश्यकता होती है।

बहेमई में भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि और ऐसी-ऐसी घटनाएं हुए हैं, सब के बारे में कह रहा हूं। सिर्फ अनसूचित जाति के लिए ही नहीं, ठाकुरों और ब्राह्मणों के लिए भी, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तय कर लिया जाए कि जिस परिवार में सीमित साधन हों, उन सभी बच्चों के लिए आप एक पब्लिक स्कूल शुरू कीजिए। बच्चों का कोई अपराध नहीं है। यह काम आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं होगी, और होगी तो किसी के परिवार की रकम खर्च नहीं होगी, हिन्दुस्तान की जनता की रकम होगी। यहां देवली में आपने भी देखा होगा कि जिस व्यक्ति के दो जवान बेटे मारे गये, वह टी० बी० का मरीज है। कोई भाई गिना रहे थे कि 10 हजार उन्होंने दिए, 5 हजार उन्होंने दिए, 2 हजार उन्होंने दिए तो आप हिसाब कर लीजिए कि इस पैसे को फिक्स डिपाजिट में रख दिया जाए तो कितनी आमदनी होगी और क्या उसके परिवार का गुजारा हो जाएगा? क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि उनकी इतनी

आमदनी बना दी जाए कि जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो सके और क्या हिन्दुस्तान की जनता उसके लिए एतराज करेगी कि हमसे जो रवेन्यू (टैक्स और कर) ले कर खजाने में रखी है उसका गलत उपयोग कर रहे हैं ?

एक हवाई-जहाज का पैसेंजर मरता है तो उसको एक लाख मुआवजा देते हैं और इस तरह के लोग मर जाते हैं, जिनका अर्जन करने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है, उनके लिए इतना तो कीजिए कि उसका गुजारा हो सके ।

एक बात और कहूंगा कि यह वर्ग-संघर्ष नहीं है, यह जाति-संघर्ष है । झारखण्डे जी ने कहा कि अनुसूचित जातियों के साथ सभी गरीबों को आना चाहिए । मैं भी चाहता हूं कि सभी गरीब साथ आएं, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन दोहरी चाल, दुरंगा है । कारखाने में काम करने वाला ब्राह्मण मजदूर के साथ जाता है, लेकिन गांव में आ कर वह मजदूर के साथ नहीं जा सकता । इस चीज को आप कैसे भुला सकते हैं । जब गांव में संघर्ष होगा तो ऊपर की जाति वाला ऊपर की जाति वालों के साथ और नीचे की जाति वाला नीचे की जाति वालों के साथ जाएगा । अनसूचित-जाति वाले आइसोलेट (अकेले) नहीं हैं । सर्वहारा का एक बड़ा समुदाय उनके साथ रहेगा, इसमें संदेह नहीं है । सर्वहारा में हिन्दू होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है — चल रही है और इसको समझने की आप कोशिश करें । इसके रेशमी रूमाल से बांध देने की कोशिश मत कीजिए नहीं तो कैंसर बढ़ता जाएगा । उसको खोल कर देखिए । देवली उस शृंखला की एक कड़ी है जो शृंखला आरम्भ हो चुकी है । शोषितों का, लांछितों का, पद-दलितों की मुक्ति का जो श्रीगणेश हो चुका है आप अगर इस में मदद करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जिस बात का दावा करते नहीं थकती हैं उसकी पूर्ति होगी । अगर इस में आप घबरा गए और आपने यह समझ लिया कि कमजोर वर्ग को शक्ति देने से संघर्ष होगा तो आप हिन्दुस्तान में कोई सामाजिक क्रान्ति नहीं ला सकेंगे, हिन्दुस्तान की समाज को आप आधुनिक समाज नहीं बना सकेंगे । तब यह वही परम्परा-वादी समाज रह जाएगा जिस के कारण हमारा पतन हुआ है । मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता । तब बहुत सी कड़वी बातें कहनी पड़ेंगी जो मैं कहना नहीं चाहता । कम से कम जो अनुसूचित जाति के लोग मारे गये हैं, उनके परिवार पर जो लांछन लगाया जा रहा है, उस लांछन की सफाई तो आप कर दें । उस लांछन की सफाई उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन (सरकार) की जांच से नहीं होगी क्योंकि वह पुलिस द्वारा कराई जाएगी । पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है । इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए ।

आप लाइसेंस देने की नीति को देखें । मैं नहीं कहता हूं कि सभी अनुसूचित जाति के लोगों को आप हथियार दे दें । लेकिन जहां जहां इस तरह के कांड हो रहे हैं, या होने की सम्भावना है क्या वहां उनकी सुरक्षा का इन्तजाम करना आपका कर्त्तव्य नहीं है ? क्या वे इसी तरह से निरीह मरते रहें ? एक तरफ लाठी और दूसरी तरफ आटोमैटिक राइफलें, दोनों की समानता नहीं हो सकती है । इसलिए जिन के पास लाठी है उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ।

यहां आंकड़े दिखाए गए हैं । यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इतने डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं । मैं आप से कहूं, जो

[श्री जगजीवन राम]

ही पूछना चाहता हूं कि छः महीने पहले कितने थे और आज कितने हैं, इतना तो आप बता दें। आपने यह बता दिया तब असली मामला खुल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और उसने एक कदम नीचे उतर कर स्टेशन हाउस अफसर जो होता है या थानेदार जो होता है, उन में कितने इन जातियों अर्थात् अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग छः महीने पहले थे और आज कितने हैं, इतना भर ही आप बता दें और साथ ही साथ यह भी बता दें कि जनरल लाइन से हटा कर साइड लाइन में कितनों को लगा दिया गया है इस बीच। आंकड़े मैं देना नहीं चाहता। लेकिन जिस का कोई औचित्य नहीं है, वे आंकड़े यहां दिए गए हैं। मेरे पास भी कुछ आंकड़े आ जाते हैं। यह आंकड़ा आप ही दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी तरफ से मैं देना नहीं चाहता।

मैंने दो तीन सुझाव दिए हैं। जिन के परिवार के लोग मारे गए हैं— आपने देखा होगा, आप मुझ से पहले वहां पहुंचे थे— उनको इन लोगों ने मारा ही नहीं उनके घरों में जो कुछ भी था उसको भी वे लूट कर ले गये और जो आटा नहीं भी ले गए उसमें भूसा मिला दिया ताकि उसको ये खा न सकें। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मदद मिलने में कुछ समय लग जाता है। मदद आप उसी को दे रहे हैं जिस के परिवार में कोई मरा है। लूटे वे भी गए हैं जिन के परिवार में कोई मरा नहीं या सौभाग्य से उस वक्त वे घर में नहीं थे। तीन दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिल सका था। आपके अधिकारी वहां लिस्ट तैयार कर रहे थे। लिस्टें तयार हों और फिर मदद आवे, इस में समय लग जाता है। आप तो जानते ही हैं कि क्षुधा की ज्वाला मानती नहीं है। आगे से आप यह भी इन्तजाम करें कि ऐसी घटना हो जाए, चाहे किसी के साथ भी हो, मानवता का यह तकाजा है कि समय पर उनको कुछ राहत पहुंच जाए। ऐसा प्रबन्ध आपकी तरफ से होना चाहिए।

बच्चों की पढ़ाई की बात भी मैंने आप से कही है। इस पर जरा सहानुभूति से सोचें क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनको आप इस लायक बनाएं कि वे समझें कि हमारा पिता मारा गया लेकिन हम किसी लायक बन गए। आप क्यों नहीं उनके लिए पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल शुरू करते हैं?

आप मुआवजा भी ठीक तय करें। हवाई जहाज की दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को एक लाख दिया जाता है। डकैतों द्वारा निरीह मारे जाएं तो उनके परिवार वालों को भी एक लाख मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? यह आप दें।

हथियारों के मामले में दुरंगी नीति को आप समाप्त करें। क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर जिस तरह से बैंकों से कर्ज मिलता है उसी तरह से क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर आपके हथियार भी मिलने लगें तो गरीबों का फिर समाज में गुजर नहीं होगा। देश में गरीबी ज्यादा है।

मैं किसी के ऊपर लान्छन लगाना नहीं चाहता। लेकिन आपके मातहत खूफिया विभाग है। उत्तर प्रदेश में आम चर्चा क्या है, इसका भी पता आप लगा लें खासकर इस एनकाउंटर (पुलिस डाकू मुठभेड़) के बारे में। आम धारणा है कि यह सब बनावटी एनकाउंटर्ज हैं। इसकी भी आप न्यायिक जांच कराइये। अगर आप बुरा न मानें तो एक लिस्ट दे दीजिए कि किन किन

जातियों के लोग इन एनकाउंटर (मुठभेड़) मारे गये हैं। मामला साफ हो जाएगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहता, कीचड़ भी नहीं उछालना चाहता हूं। जिनका दिमाग छोटा होता है वह कीचड़ उछाला करते हैं। उनका दिमाग उनको मुबारक रहे, इतना ही मैं कहूंगा। जो देवलो में चला गया वह तो चला गया, आगे से इस तरह की घटनायें रुक जायें, वह तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर आक्रमण हो वह कुछ मुकाबला करने की स्थिति में ही जायें इसके लिए आप कुछ कदम उठा सकें तो देश का सर्वहारा समुदाय आप को धन्यवाद देगा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): सभापति जी करीब 6 बजे से यहां दिहुली जैसे शर्मनाक कांड पर बहस प्रारम्भ हुई है। मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों के बहुत से साथियों के विचार सुनने को मिले हैं। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसको मुख्तलिफ यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी को माननीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत से साथी इस घटना पर भी विचार करते समय पार्टी पौलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाये। यह सही है कि दिहुली कांड एक अत्यन्त ही गम्भीर और दिल दहला देने वाली घटना है। जैसा कि हमारी सरकार ने पता लगाया है और बहुत से निष्पक्ष लोग जो राजनीति के आवरण के उतार कर वहां गए हैं उस से एक बात सही सामने आती है कि इसके पीछे कारण कुछ और भी रहे हों लेकिन यह सही है कि इसके पीछे आपसी रंजिश ही एक प्रमुख कारण थी। मैं केवल दिहुली की बात नहीं करता हूं, जब से देश आजाद हुआ है तब से करोड़ों की तादाद में रहने वाले अनुसूचित जातियों और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में दो मिनट लेना चाहता हूं। देश की 35 वर्ष की आजादी के बाद भी देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अमानवीय अत्याचार होते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर जुल्म होते हैं तो इस पर हम को गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

चलिए, दिहुली कांड तो रंजिश का कारण है, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन आये दिन यह देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि अछूतों की स्त्रियों को नंगा कर के हल में चलाया जाता है, नौजवानों को पेड़ों पर लटकाया जाता है। आज भी इस मुल्क में ऐसे गांव और देहात हैं जहां अछूतों के बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों को अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिए जाते, उनको चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता उनकी बारात नहीं चढ़ाने दी जाती, कुंए से पानी नहीं पीने दिया जाता। यह ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम को यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हैं?

मेरे जैसा एक शोषित समाज का व्यक्ति यह कहने में हिचकिचायेगा नहीं कि इन सारी कुरीतियों और अव्यवस्था के पीछे हमारी वर्ण-व्यवस्था है और वह समाज है जिसका आज से हजारों साल पहले निर्माण हुआ था जिसको मनु ने बनाया था। इस समाज को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 कैटेगरी में बांटा गया था। उस समय जातियां बांटी गई थीं कर्म के आधार पर जो विद्या पढ़ते पढ़ाते थे, वे ब्राह्मण थे, जो युद्ध के मैदान में लड़ते थे वे क्षत्रिय थे, जो व्यापार करते थे, वे वैश्य थे और जो सेवा करते थे वे शूद्र थे। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समाज के उन लोगों को, जो कर्णधार हैं, जो

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको आज हजारों साल के बाद, किस तरह से विधान-सभा और लोक सभा के चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, उसी तरह से फिर उनका चुनाव कराया जाये तो उन ठेकेदारों ने जो समाज की दुर्गति की है समाज को बिगाड़ा है, मुझे विश्वास है कि अगर कर्मों और अक्ल के आधार पर इस समाज का फिर चुनाव कराया जाये तो निश्चित रूप से उन में से बहुत से सवर्ण जाति के लोग शूद्रों की कैटेगरी में आ जायेंगे और बहुत से शूद्र ऐसे होंगे जो सवर्णों की कैटेगरी में चले जायेंगे।

21.42 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair].

देहुली मेरे नजदीक पड़ता है, मेरे गांव से करीब 35, 40 मील की दूरी पर होगा। देहुली कांड के बारे में मेरे बहुत से साथियों ने बताया और उसकी पृष्ठभूमि में बहुत से लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। यह कांड ऐसे समय पर हुआ जब कि बदमाशों ने, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, उन्होंने ऐसे समय को चुना जब कि जाड़े का वक्त था, शाम के 4, 5 बजे थे, न दिन का टाइम था, न रात का टाइम था, ऐसा वक्त था जब कि जिस समाज के लोगों पर हमला करने का उन्होंने प्लान बनाया था, उस समय उस समाज के पुरुष और नौजवान लोग वहां नहीं थे, बल्कि अपने-अपने खेतों पर काम कर रहे थे या दूसरी जगहों पर काम करने गए हुए थे। वहां पर केवल निरीह स्त्रियां बच्चे थे। आपको ताज्जुब होगा कि इस हत्याकांड में 8 महीने से लेकर 70 साल तक के लोगों की हत्या की गई। हत्यारे कत्ल के बाद बड़े आराम से रात को वहां एक मंदिर है, उस में सोये, जश्न मनाया, खाना खाया और फिर धौंस देकर चले गए फिर आयेंगे।

उसकी पृष्ठभूमि में एक बात यह भी है कि 2, 3 जाटवों ने संतोषा और राघे, जिन पर मुकदमा चल रहा था, उनके खिलाफ कुछ कहा था और उस वक्त जब हमला करने वे आये तो वह लोग जिन से उनकी मुख्य रंजिश थी, वह वहां नहीं थे इसलिए वे लोग वहां पर धौंस देकर गए कि फिर आयेंगे।

मैं तो शुक्रगुजार हूं इस देश की प्रधान मंत्री का जिनके ऊपर इस देश के शोषित समाज में के लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं, दूसरे दिन हमारे माननीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह हमारे प्रदेश की की गृह-मंत्री एवं मुख्य मंत्री सब वहां पर पर गये और उन्होंने वहां जो कुछ भी लोगों की सहायता की, ढाढस बन्धाया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब बेलछी में इन्दिरा जी गईं। आज भी अपनी सरकार होते हुए भी इतने बेशकीमती समय में से समय निकाल कर वह दिहुली गईं, भाई राजीव गांधी भी गए और उन्होंने वहां के लोगों की तसल्ली दी।

मैं शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की समस्याओं के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बहुत से साथियों ने उन समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उनको दोहरा कर इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सब से पहली बात यह है कि शिडयूल्ड कास्टस

और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हेय समझे जाते हैं। ऊंची जाति के लोग उनको छोटा और दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। सब से बड़ी बात यह है कि लोग गरीबी के शिकार हैं, उनकी आर्थिक हालत सही नहीं है। उनका आर्थिक शोषण भी होता है। 1975 से 1977 तक श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के कर्ज माफ कर दिए। उनको जमीनें दी गई थीं, लेकिन बहुत से लोगों का आज भी जमीनों पर कब्जा नहीं हुआ है। गांवों के छोटे छोटे कुटीर उद्योग-धंधों में उनको साझेदारी नहीं है।

जैसा कि कई साथियों ने कहा है, सरकार को लैंड रिफार्म्ज पर तेजी से और गंभीरता के साथ अमल करना चाहिए। उनको आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें छोटे छोटे कुटीर उद्योग-धंधे खुलवाने में सहायता देनी चाहिए। भारत सरकार और सूबों की सरकारों ने शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के उत्थान के लिए बहुत बड़ी धनराशि रखी है और बहुत सी सुविधाएं दी हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका पूरा लाभ इन वर्गों तक नहीं पहुंच पाता। सरकारी मशीनरी सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है; पुलिस भी सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है। अगर सच्चे मानों में पुलिस में पचास फीसदी शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज की भर्ती हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होंगे। आज भ्रष्टाचार का सब से बड़ा अड्डा है पुलिस का थाना। मैं स्वयं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत से लोग मुझ से यह शिकायत करते हैं कि जब शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के साथ छुआछूत या मारपीट की घटनाएं होती है और वे थाने जाते हैं, तो उन्हें फटकार दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर पुलिस वालों को ज्यादा रकम आ जाए, तो वे कहते हैं कि लिख कर दे दो। वे पैसा मांगते हैं और सही रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि शिडयूल्ड कास्टस पर होने वाले अत्याचार और उनके नर-संहार को देखते हुए पुलिस में पचास फीसदी शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि इस तरह के जुल्म और अत्याचार न हों।

यह एक ऐसा नासूर है, जो इस वक्त लाइलाज हो चुका है। सरकार को बहुत सतर्कता और मुस्तैदी के साथ इन समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि छठे प्लान पर पुनर्विचार किया जाए। छठी पंच-वर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 100 रुपये में से केवल 86 पैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सुविधाओं और भलाई के लिए रखे गए हैं। इस देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की आबादी कम से कम 25 से 30 परसेंट है। 70 करोड़ में करीब बीस-पच्चीस करोड़ ये लोग हैं। लेकिन सिक्स्थ प्लान में 100 रुपये में से केवल 86 पैसे उनकी भलाई के लिए रखे गए हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे।

भारत सरकार ने रिजर्वेशन किया है, लेकिन वह कहीं पूरा नहीं हुआ है। न सेंट्रल सरकार की नौकरियों में हुआ,

[श्री चद्रपाल शैलानी]

न सूबे की सरकार की नौकरियों में हुआ। इस लिए मेरा अनुरोध है कि सरकार एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाये कि कब तक, एक साल में, दो साल में, पांच साल में या दस साल में जितना रिजर्वेशन है उस को वह पूरा कर देगी।

तीसरी बात—या तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपनी जान व माल की रक्षा के लिए हथियारबन्द किया जाय और नहीं करते हैं तो केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर सब आदमियों के हथियार जब्त कर लिए जाएं। तभी इन लोगों को सुरक्षा हो पाएगी।

मैं आप से पुन: निवेदन करूंगा कि आज भी इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शुड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के दिलों में और उन के मन में एक ही भावना है, और वह यह कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही उनके दुखों को दूर कर सकती हैं, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दुखों को दूर नहीं कर पायीं तो आज इस मुल्क में न तो ऐसा कोई नेता पैदा हुआ है और न निकट भविष्य में पैदा होने वाला है। उधर बैठे साथियों की तो मैं क्या कहूं कि उनके नेता क्या हैं और क्या करते हैं? मैं पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठ कर अपनी बात रख रहा हूं।

अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि इस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग एक अपाहिज की तरह बने हुए हैं। वह इस देश की आबादी के एक बहुत बड़े अंग हैं। अगर इस अंग को मजबूत नहीं बनाया गया, इनको सींचा नहीं गया, इनके साथ हमदर्दी नहीं की गई, इनकी भलाई नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि एक दिन यह भी आ सकता है कि इनके मन में भी इस तरह की भावना पैदा हो जाएगी कि आज हमारा इस देश में कोई नहीं है।

मैं अन्त में पुन: सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहली कांड के जितने भी शातिर बदमाश हैं, अपराधी है, उनकी किसी प्रकार भी न छोड़ा जाए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस के लिए बीड़ा उठाया था। मेरी उन से बातचीत हुई थी। मैं ने कहा कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय युद्ध में लड़ कर मर सकता है लेकिन पीठ दिखा कर युद्ध से भाग नहीं सकता। आप को इस्तीफा देने की जरुरत नहीं है। हम ने कहा मुख्य मंत्री जी से, उन से निवेदन किया कि पुलिस को जरा टाइट कीजिए, बी० एस० एफ० को बुलाइए, पी० ए० सी० की फोर्स को बढ़ाइए और डाकुओं का डट कर मुकाबिला कीजिए इस्तीफा देने की इस में कोई जरुरत नहीं है, वरना लोग क्या कहेंगे? उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए वह भी बधाई के पात्र हैं।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is almost approaching 10 O'Clock. This is a very important debate. I must congratulate Mr. Suraj Bhan for having taken the initiative to raise this discussion. But, I think, the importance is being sabotaged by the fact that time has been found on the last day in the last moments. It could have been brought up earlier....

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is an uncharitable accusation.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It could have been kept at the prime time of Parliament so that whatever we said here could have come in the newspapers and people would have got

to know about it. After all, Parliament is not to function in isolation; it has to function with the rest of the society.

The main theme of the ruling Party has been that this is an event which happens and political advantage should not be taken of it. They have also heaped praises on their leader. I do not object to that. But they pointed out to us that, during the Janata rule...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can also praise your leader.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am praising myself.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But don't criticise.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They have pointed out to us that, when we were in power, the Belchi incident took place and Mrs. Gandhi went there but we did not go there, our Prime Minister did not go there. I might like to tell you that, when Mrs. Gandhi made the statement in Belchi that this was a failure of the Government, at that time many pointed out, including Mr. Morarji Desai, "Don't try to politicise the incident". And what was Mrs. Gandhi's reply ? Her reply was, "It is the job of the opposition to take advantage of the mistakes of the ruling Party and if I am politicising it, that is my birth-right". Words to that effect were said by Mrs. Gandhi at that time. Now, Sir, they want us to adopt a different attitude. They can have one standard for themselves and they want another standard for us. But, despite that, I would say that this is an issue on shich this forum, the National Forum, should be used to project the policy issues as you Mr. Deputy Speaker, rightly said. But the very fact is that it has exposed us to what is happening down below in the villages.

The 'thesis' that great progress has been made by Harijans during the last 34 years, which the first speaker Mr. Arif also referred to, is also being exposed by Deholi incidents. What sort of progress have we made if this kind of thing can happen now? Untouchability in my opinion has gone underground. Now what has come in its place is eviction, forced labour, rape, killing, that kind of thing. It is possible that you may be not able to see the old kind of untouchability in many places. You still see it, but not as much as before. But the fact of the matter is that the other things are equally degrading; and they are coming to the fore. And it is this that we have to look at.

Now, Statistics show that every year, there are 6,000 cases of Atrocities recorded against Harijans. 6,000 is the average. Babu ji just now said, sometimes it may go up a little and sometimes it may come down a little. But the trend is there. The average of 6,000 cases are there. Now, Sir, this cannot be representative of any progress having been made in 34 years. And, U.P. is the worst. Two-third or one-third of these 6,000 cases happen in U.P. In U.P. things re getting worse. It appears from other indications that U.P. is on the brink of an anarchy. There is a political climate of violence in U.P. This is not the only thing, Sir; you can see the kind of robbery that takes place on trains. This happens in U.P. It does not happen in many places. U.P., apparently, happens to be in a very bad state, particularly, because of unlicensed arms. I was recently in Shillong. I was told that Mizos now don't get arms from abroad any more. But, they get this from U. P. I am even told that the people in Afghanistan who are guerillas or fighting for Afghanistan, get their arms from Rampur. I do not know. But this is a fact that U.P.

[Dr. Subramaniam Swamy]

has become a Centre for Unlicensed Arms Manufacture. We may in fact just make some investigation to find out the amount of arms that U.P. produces; probably the unlicensed arms produced there will be more than what the Army produces in its Ordnance Depots. So, we cannot accept the Chief Minister's verdict and the Prime Minister's verdict. We cannot accept them. It is a fact that only one caste has been butchered and nobody else has been affected. It cannot be strong rivalry. It cannot be political vendetta. It is a clear case of atrocity against the Harijan caste. So, the central fact that we have to consider is : "Why is it so ?" Now 'political equality' without commensurate 'socio-economic equality' obviously is going to produce only anomalies. In my mind today there is no doubt that in this country there is now a brewing revolt of the upper caste. We saw some of it in Gujarat. Gujarat has produced a scientific argument about not having reservation for promotions and not having it in medical colleges, in surgery, etc., etc. But, Sir, it is an index of that brewing revlot. Now this revolt has to be nipped in the bud. But, I am afraid, this Government is doing nothing about it. And we have to be specially careful about the kind of 'scientific arguments' that are now being produced by the Upper Castes, in order to see tht the political equality of Harijans does not get translated into socio-economic equality. Therefore, I think, if the Government does not do anything, a big confrontation is ahead. Now, they talk about war. Mr. Ram Vilas Paswan was carried away and he went to the extent saying that they may think in terms of separte country. I am sure that he does not feel like that. But he got carried away. But, there is a big confront ation coming. We are unaware of that. If we had been aware of that, we would not have had this discussion on the last day, after 6·00 P. M. We would have had it somewhere in the middle of the Session.

So, why is this confrontation coming ? It is because, the Harijan community has produced a newelite; young elite; educated elite, who are not putting up with the old indignities any more. You can see in Parliament what a lot of young Harijans are coming up, who cannot put up with these things.

22.00 hrs.

Wheter it is Shri Ram Vilas Paswann or Shri Suraj Bhan or Shri Rakesh, you go anywhere else, you will see it all over the country that the new young elites among Harijans are coming up. However imperfect the educational system is, it has produced the new elite young stars among the Harijans and they are getting impatient. I saw a bit of it in Meenakshipuram

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have had a Calling Attention on this issue some time back.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Calling Attention is not the same. The present discussion is something different from the Calling Attention (*Interruption*). So, the revolt of the young elite amongst the educated Harijans could be seen in Meenakshipuram who converted themselves into Muslims, not the old Harijans who have been there getting used to the ill-treatment. It is the B.D.O., it is the Sub-Inspector of Police, it is the lecturers and doctors who are the people who converted first and others followed suit afterwards. Now, this was done in order to run away from the atrocities. They could not bear it. Of course, some people tried to make it out that there was a foreign money, Arab conspiracy, etc. and Gyaniji went there and made a statement in Madras that there was foreign money. But he came back to Delhi and issued a retraction. He has the right to do it and he did it. But the fact is that even here, this revolt, instead of being sympathetically looked at, was given a twist that the Harijans could be purchased for Rs. 500 or so. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: It has appeared in the press.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, it has appeared in the press and that some people met Mrs. Gandhi. The Arya Samajists and Mrs. Gandhi also said the same thing. It came in the press.

AN HON. MEMBER: The R.S.S. people said it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I do not know who said it, but I know that somebody had said it.

SHRI P. K. VENKATASUBBAIAH: Don't try to put words in her month which she has not said.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But, Sir, it came in the press that Arya Samajists leader met her and later on they said in a press conference but no contradiction came from your side and I am sure others said so. But I did not say. I went to Meenakshipuram and I said that this was the revolt amongst the Harijan elites and this was something which had to be met and this was what we had to come face to face.

AN HON. MEMBER: You went there before Mr. Vajpayee visited that place or after he went there.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, I went after he went. I am always after him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Meenakshipuram is very near to Sholavandan.

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY: That is right. So, the question is: Has the Government got an explanation? How are they going to meet the situation as happened in Deholi? It has come in the paper and it has been discussed in Parliament and all over the country. What is going to be the effect in the new generation of Harijans which is coming up? It is going to lead to confrontation because on the other side the upper class people are also revolting. They also told me that it was too much that this reservation we had had enough and it should be terminated and a new scientific arguments must be brought now. They said that the present system of giving promotions to them must be given up and later on the policies must be given up. In this way whittling process may start and there is going to be a confrontation. It is there that we have to gear up the system. So, what should we do? That is my main question.

AN HON. MEMBER: You can give suggestion to them.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is not my duty. They clear out these seats and let us sit there. I will tell them how to do it. (*Interruptions*). Now, the first most important thing is that the Harijans do not want sympathy. They have had enough of it. What they want is security. Now, how the security is going to be provided? Now, Babuji gave some suggestions. If we look at the country's map, there are about 40 to 50 districts which are prone to this kind of feelings. Now, if you take Tamil Nadu, in districts like Tirunelveli and Ramanathapuram, these troubles are likely to happen. There are three or four districts and no other districts. Similarly in other States there are some pockets. Now, what should the Home Minister do? He has to identify these districts and then set up a separate Harijan intelligence Unit which should study this and monitor this regularly. Now, in Delhi the information was coming that something was going to happen there but they did nothing, absolutely nothing. They took no notice because there was no Cell which was interested in this kind of work, which is supposed to monitor it at the higher level, and ring alarm bells when news of this king comes. The routine police establishment cannot produce any preventive action in these matters. Therefore, the special intelligence unit should look only at

[Dr. Subramaniam Swamy]

these 50 districts and monitor what is going on there on a daily basis.

Finally, we must put the police on notice. There is no doubt that the police too have caste consciousness. We cannot deny it. I went to U.P. some time ago and there is a rumour; I do not know, it can be true or it can be false. The rumour is that only a certain caste is being given preference and they are getting promotions and they have been put in the key positions. Why should this rumour be there? This rumour should immediately be dealt with. And if it is true, then they must take corrective action.

If you take this kind of approach, I am sure, these kinds of things would not happen in future. And if you take the usual approach of saying that this is what happened in your time and this is what happened in our time, I do not think, any solution can be found.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में लगभग 6 बजे से एक जघन्य और घृणित कांड पर चर्चा हो रही हैं और चर्चा में दोनों पक्ष के बड़े बड़े विद्वान् माननीय सदस्यगणों ने भाग लिया और अपने सुझावों को दिया। उन्होंने कहा कि यह मानवीय विषय है, हृदय का विषय है, तर्क का विषय है, व्यावहारिकता समानता का विषय है, धार्मिक समानता का विषय है, राजनीतिक समानता का विषय है, आर्थिक समानता का विषय है, मनोवैज्ञानिक समानता का विषय है और यह विषय अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखता है। इसके सम्बन्ध में आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात भी हमारे माननीय सदस्यों ने कही।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण जो बड़े विद्वान हैं उन्होंने जो सुझाव इस माननीय सदन में दिये उनमें उन्होंने तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया कि वास्तव में देश की जो राष्ट्रीय धारा है, उस राष्ट्रीय धारा को इस भारत के मानचित्र पर अगर सही ढंग से देखना है तो हम को एक मंच पर, मानवीय ढंग से, तर्कसंगत हो कर, सारे राजनीतिक भेदभावों को तिलांजलि दे कर, हरिजनों, गिरिजनों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों के विषय में नीति तय करनी है और हम सब को मिल कर के एक साथ चलना है।

हमारे एक राष्ट्रीय कवि थे---श्री मैथिली-शरण गुप्त। उन्होंने कहा था---

हम कौन थे, क्या हो रहे है और क्या होंगे अभी?
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएं सभी।

यह बहुत ही मानवीय विचार है।

बाबू जी इस माननीय सदन के एक वरिष्ठतम सदस्य है। मैं समझता हूं कि वे हिन्दुस्तान के सब से अधिक शासन करने वालों में हैं और इस देश के शासन की कुर्सी का उन्होंने अधिक से अधिक समय तक प्रयोग किया होगा। वे आज हमारे सामने बैठे हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छे सुझाव दिये। वे तीस वर्षों तक रूलिंग बैंचों पर, गणमान्य बैंचों पर रहे। उस वक्त भी हरिजनों की क्या दशा थी। उसके बाद मार्च 1977 के बाद और 14 जनवरी 1980 तक हरिजनों की क्या दशा थी। पुनः 14 जनवरी से वर्तमान तक हरिजनों की क्या दशा है। मैं आंकड़ों के जंजाल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने जब आंकड़े देखे तो पाया कि कभी कम कभी ज्यादा, इस प्रकार की घटनाएं हिन्दुस्तान के मानचित्र में होती रहीं।

इस विषय को मूव करने वाले माननीय सदस्य श्री सूरजभान जी ने कहा कि सरकार को, गृह मंत्री को या माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हू कि क्या त्याग-पत्र देने से इस प्रकार के कांड रूक जाएंगे। बेलची, कफाल्टा, पिपरा, देवली ऐस कांड क्या त्याग-पत्र दे देने से इन अपराधों को दूर किया जा सकता है?

जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार की बात है, गत 20 दिसंबर को मैं उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में गया था । वहां पर माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री उ०प्र० कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और सारे संत्री सौजूद थें । मैंने इस प्रश्न को वहां उठाया था । जहां तक हरिजनों के कल्याण की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का संबंध है, अभी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने सात करोड़ रुपया हरिजन छात्रवृति के लिए बढ़ाया है । 500 आय को बढ़ाकर 750 किया और जहां 750 आय थी उसे 1000 किया है ।

हमारे माननीय रघुनाथ सिंह जी हरिजनों की बात करते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, लोकदल की सरकार थी, उसने उत्तरप्रदेश में प्रमोशन आन दी बेसिस आफ रिजर्वेशन को बंद कर दिया था । इसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ही शुरु किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इससे बढ़कर हरिजनों की हमदर्दी और क्या हो सकती है । मैं आर्थिक, सामाजिक, सनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विपन्नता की बात करना चाहता हूं । जब हम किसी गिरीजन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक मुद्दे पर विचार होना चाहिए । आर्थिक विपन्नता जब तक दूर नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में कोई कास नहीं हो सकता । इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप यहीं पर देखते हैं । चाहे इस तरफ के बैठने वाले लोग हों या उस तरफ के बैठने वाले लोग हों, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उसके यहां सभी जाते हैं । खाना-पीना पसंद करते हैं, लेकिन जो जीर्ण-शीर्ण झौंपड़ी में रहने वाला हरिजन है, उसके घर हमारे पढ़े-लिखे हरिजन और दूसरे लोग भी जाना पसंद नहीं करते । उसके यहां पानी पीना पसंद नहीं करते । इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब तक इनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, इस समस्या का हल नहीं हो सकता चाहे कोई सरकार हो, हमारी सरकार हो या उधर बैठने वाले लोगों की सरकार हो । जब तक आर्थिक विषन्नताको हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समानता हम नहीं ला सकते हैं । जब सामाजिक सामनता नहीं आएगी तो राजनीतिक समानता भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं ।

मैं कुछ सुझाव करबद्ध आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । देवली कांड में यदि वास्तव में यह सच है कि वहां उनके लिए कुछ विशेष सुविधा की बात नहीं की गई है तो उनको विशेष सुविधायें आप दें । मेरी यही रिपोर्ट है कि वे लोग चाहते हैं कि उनको कहीं अलग बसाया जाए, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए । इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये ।

जो क्षति उनको उठानी पड़ी है उसकी पूरा नहीं किया गया है । पूरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिये ।

भूमि सुधार तेजी के साथ आप लागू करें । जब तक ठीक से आप भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीज को दूर आप नहीं कर सकेंगे ।

देवली कांड हो या वेलची, किसी भी स्थान पर इस प्रकार का कांड होता है तो इस प्रकार के अमानवीय कांड और अपराध जिस स्थान पर हो वहां पर जैसे मैंने पहले भी कहा था सामूहिक दंड देने की प्रक्रिया को आप अपनाएं । सामूहिक दंड वहां आप दें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर जिले में पुलिस सुपरिंटेंडेंट या कलैक्टर, इन दोनों में से एक हरिजन होना चाहिये और एक सवर्ण जाति का । अगर एक हरिजन हो तो दूसरा सवर्ण होना चाहिये और दूसरा हरिजन हो तो पहला सवर्ण होना चाहिये । आई०ए०एस०, आई०पी० एस०, आइ०एफ०एस० की पोस्टिंग्ज आप करते हैं, ये आप के मातहत हैं । इस लिए इस चीज को आपको प्रांतीय सरकार पर नहीं छोड़ना

[श्री महावीर प्रसाद]

चाहिये । आप इस काम को करें । इससे वहां रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी ।

आम्र्ज एक्ट में आप सुधार करें । मैं नहीं कहता आप हमें हथियार दे दें । आपने हमें हथियार दे दिए तो इससे सिविल वार नहीं होगी । आपके पास एजेंसियां हैं इस तरह की चीज की देखभाल करने वाली । आप अपने सूत्रों में जांच पड़ताल करवा लें, और फिर जहां पर जरूरत हो वहां आप हरिजनों को, गिरिजनों को और कमजोर वर्ग के लोगों को हथियार दें ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन : इस जघन्य अपराध की निन्दा करता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER: You will definitely be called to speak. All the members in the opposition will be called. Mr. Rakesh, you said, you are prepared to wait upto 12 O'Clock. So, you will be called only at 12 O'Clock.

AN HON. MEMBER: Second chance.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is no question of second chance. From each party only one member will be allowed to speak; I am sorry. Even if it is a small party like Mr. A. K. Roy, he will be called.

श्री राम स्वरूप राय (गया) : उपाध्यक्ष जी, हरिजनों पर अत्याचार होने वाला जो विषय है इस पर सदन में कई बार विचार विमर्श हुआ है । मुझे तो अब कहने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है कि ज्यों-ज्यों दवा दी जा रही मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है । आखिर कौन सी परिस्थिति है कि इस सदन में हर सत्र में हरिजनों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं की चर्चा होती हैं । दोनों तरफ के सम्मानित सदस्य गृह मंत्री को अपनी नेक राय देते हैं । लेकिन ज्यों-ज्यों सरकार का आश्वासन मिलता हैं त्यों-त्यों हरिजनों पर अत्याचार बढ़ ते जाते हैं । यदि मैं गहराई से जाता हूं तो पता चलता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हरिजनों को जमीन दिलाने की बात की जाती है, चाहे जमीन दिलाने की बात हो, स्वयं इन्दिरा जी ने जो कि प्रधान मंत्री हैं उन्होंने एक रोशनी दी कि तुम्हारे लिये मैं सोशलिस्टिक मेजर्स बहुत तेजी स ला रही हूं तुम उस जमीन पर जा कर इसको अमली जामा पहनाओ । सरकार के निर्देश के बाद गांवों में रहने वाले हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोग सरकार के कार्यक्रम को लागू करने के लिये कृत संकल्प होते हैं तो उससे तरह-तरह की यातनायें सामन्तवादियों और अर्ध-सामन्तवादियों के द्वारा दी जाती हैं । कहीं कोई कत्ल किया जाता है, कहीं किसी के घर में आग लगायी जाती है, कहीं जमीन छीन ली जाती है । ज्यों-ज्यों दवा दे रहे हैं त्यों-त्यों मर्ज बढ़ रहा है ।

अभी बाबू जगजीवन राम बोल रहे थे, हमारे सम्मानित नेता रहे हैं और हर सरकार में उनकी एक श्रेष्ठ कुर्सी रही है अच्छी नेक सलाह देने की । हम तो उन्हीं को दोषी ठहराते हैं । आज हरिजनों का कत्ले आम हो रहा है और आप यहां बैठ कर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । देश के तमाम हरिजन, आदिवासी और कमजोर वर्ग के प्रति उस समय आपका ध्यान कहां गया था जब सरकार की कुर्सी पर बैठ कर हरिजनों की बात करते थे । मैं तो प्रधान मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि हरिजनों पर कहीं भी जुल्म हों, चा हमारी पार्टी सरकार में रहे या न रहे, वह जाती हैं । 1977 में बेलची में कांड हुआ, प्रधान मंत्री उस समय सत्ता में नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां जा कर तमाम हरिजनों के साथ जिनकी गोद सूनी हो गई थी, सुहाग लुट गया था, जा कर बैठी और एट्रोसिटीज आफ हरिजन कुछ दिनों के लिये रूक गयी थी । ऐसे तो जी सामन्ती व्यवस्था है वह इसके लिये दोषी हैं । लेकिन मैं कहता हुं कि 1977 के पहले हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें

होती थीं तो उस समय लम्पड़, थप्पड़ मारे जाते थे । लेकिन 1977 में पहली घटना हुई जब बेलची में जिन्दा 13 हरिजनों को जला दिया गया । हरिजनों को जलाने की आदत सबसे पहले अगर किसी ने डाली तो चौधरी चरण सिंह जैसे जुल्मी मिनिस्टर ने वह आग लगवाई और यहां आकर के पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि मुझे हरिजनों से कोई लड़ाई नहीं है, हरिजन तो मेरे घर में रसोईया है । देश में सबसे पहले आग लगायी तो चौधरी चरण सिंह ने लगायी और तभी से हरिजनों पर कत्लेआम की साजिस होने लगी । इसके लिये जवाबदेह माननीय दंडवते, वाजपेयी जी और बाबू जगजीवन राम भी हैं । जिन्होंने अभी घड़ियाली आंसू बहाकर हरिजनों की हालत पर, दुःख प्रकट किया। वह तमाम देश के हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों के कत्ल करने का आह्वान भी करते हैं ।

मैं बाबू जी से कहना चाहता हूं कि लच्छेदार भाषण से समाजवाद नहीं आता, शब्दों से क्रान्ती नहीं आती । व्यवहार से क्रान्ती आती है । आप में और इंदिरा जी में फर्क यही हैं कि आप शब्दों से क्रांती लाना चाहते है, आप लच्छेदार और मुहावरेदार भाषण देकर बोलते हैं, इससे समाज और हिन्दुस्तान का दर्द दूर नहीं हो सकता ।

प्रधान मंत्री का बहुत पक्का इरादा है कि हम देश में समाजवाद लायेंगे जब कि देश का हरिजन, आदिवासी और देश का अल्पसंख्यक ही ऐसा वर्ग है, जिसको समाजवाद की जरूरत है । जब तक इसको आप सही रूप में ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक आप कभी नहीं कह सकते कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और समाजवादी व्यवस्था पर हमारा मुल्क चल रहा है ।

मैं आंकडे देकर उनके जाल में नहीं फंसना चाहता कि जनता पार्टी के समय में हरिजनों के कितने कत्ल हुए और हमारी पार्टी के वक्त में कितने हुए । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हरिजनों का सवाल राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्रीय नीति बना कर ही इसको तय किया जा सकता है । ज्ञानी जैल सिंह जी अपना बयान देकर चले जायेंगे, इससे तो एट्रोसिटीज टलेंगी नहीं । मेरा कहना है कि इनको और चौकस रहने की आवश्यकता है ।

ऐसी घटनायें देश के किसी भी भाग में चाहे घटती हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर बहुत अत्याचार होता है । अत्याचार का कारण पता नहीं क्या है, मैं सरकार पर छोड़ता हूं कि वह पता लगायें, कि हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में ही क्यों अत्याचार होता है ?

वास्तविकता यह हैं कि बिहार में जिस दिन से हमारी सरकार बनी हैं, पटना जिला को छोड़कर वहां पर कुर्मियों और हरिजनों की खानदानी लड़ाई है, हम बिहार की धरती पर कहीं पर भी इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध पिछले डेढ़ बरस में नहीं हुए हैं । इस पर हम संताप व्यक्त करेंगे ।

पिपरा में घटना घटी, बेलछी में घटना घटी, वहां के न्यायालय ने पिपरा कांड के 98 आदमियों को करावास और 2 को फांसी दी । बेलछी की घटना उनके टाइम में हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ । जहां पर सरकार मुस्तैद रहती है , अपराधियों को आड़े हाथ लेती है, वहां पर तो एट्रोसिटीज नहीं के बराबर होती है । उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहना कि दोष नहीं है, यह मैं नहीं

[श्री राम स्वरूप राम]

कह सकता हूं । वह दोषी क्यों नहीं है । कफलटा, नारायणपुर, आदि घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रशासन को चुस्त क्यों नहीं किया ? वहां के जिला कलैक्टर और अन्य अधिकारियों को तुरन्त मुअत्तिल किया जाना चाहिए था ।

इस प्रकार की घटनाओं से साफ पता चलता है कि कि प्रशासन में कहीं न कहीं कमी जरूर है ।

हरिजनों की आदत के बारे में कहना चाहता हूं :

"आफत थी गुलिस्तां पर, तो
खून मैंने दिया,
अब बहार आई है, तो कहते हो तेरी
दरकार नहीं है ।"

मैं मानता हूं कि देवली में जो घटनायें हुई हैं, उनसे समाजवाद की हत्या हुई है, समाजवाद पर कलंक लगा है । क्या समाजवाद इसी तरह चलेगा ? क्या सारे मुल्क में हरिजनों के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा ?

मैं ज्ञानी जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । हो सकता है कि मेरे सुझाव कारगर हों । जिस ऐरिया में हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म हो, वह तमाम लोगों पर सामूहिक दन्ड और जुर्माना दोनों लगायें जायें। उस एरिया में सामन्तों और सामन्तवादी लोगों के हथियारों के सारे लाइसेंस कैंसल कर दिये जायें । हरिजनों को प्रोटैक्ट करने के लिये यह जरूरी है कि उन्हें लाइसेंस देने के साथ-साथ उन्हें बंदूकें खरीदने के लिये भी पैसा दिया जाये ।

हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले जुल्मों के बारे में मुकदमों को निपटाने के लिये स्पेशल कोर्ट बनाए जायें, ताकि एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद सारी कार्यवाहियों का निष्पादन शीघ्र से शीघ्र हो सके । आज स्थिति यह है कि नार्मल कोर्स में कार्यवाही होने पर सब मुजरिम छूट जाते हैं और इस प्रकार के अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है । इसलिये हर स्टेट में स्पेशल कोर्ट बनाए जायें, जो केवल हरिजन एट्रोसिटीज के मामलों की ही निपटायें ।

यह मेन्डेटरी कर दी जाये कि जिस एरिया में, जिस जिले में इस तरह की घटना हो, वहां के एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से मुअत्तिल कर दिया जाये, ससपेंड कर दिया जाये । तभी वे लोग अपनी जवाबदेही को समझ सकेंगे । वर्ना वे हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की उपेक्षा करेंगे । इसके अलावा विक्टिम के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये ।

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जिन एरियाज में हरिजनों पर एट्रोसिटीज होती हैं, उनके संबंध में वे ज्यादा चौकस रहें, क्योंकि इन घटनाओं से उनकी भी बदनामी होती है और देश में टैन्शन बढ़ता है । हम लोगों की हिफाजत करना उनका पहला काम है ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली कांड पर बोलने से पहले मैं गृह मंत्री ज्ञानी जी को एक दस्तावेज देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वह और उनकी पुलिस हरिजनों के प्रति कितने हमदर्द हैं सीताराम हरिजन, 1 ए डी, सावन पार्क, अशोक बिहार दिल्ली से दो-

तरफ के 41 एम पीज से लिखवा कर उन्हें लेटर भेजा है। उसने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और लोक सभा के स्पीकर को पत्र भेजे हैं, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई उसकी औरत गायब कर दी गई है, उसकी जमीन ले ली गई है। अब उसका और उसके बच्चों का एनकाउन्टर होने जा रहा हैं। श्री सूरजभान ने ज्ञानी जी से कहा है कि वह त्यागपत्र दे दें। मेरा अनुरोध है कि अगर वह हरिजनों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता कि वह त्याग पत्र दे दें। मैंने दोनों तरफ के विचारों को सुना। इन को सुनने के बाद महाभारत का वह दृश्य मुझे याद आता है। कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। इधर द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में खड़े हैं उधर पांडव खड़े हैं। नारद जी ने पूछा .....

MR. DEPUTY SPEAKER: Who are Pandavas and who are Kauravas?

SHRI R. N. RAKESH: We are Pandavas and they are Kauravas.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Majority was of Kauravas.

श्री आर० एन० राकेश: नारद जी ने पूछा द्रोणाचार्य जी से कि आप तो कह रहे हैं कि पाण्डव न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं, फिर भी आप कौरवों की ओर क्यों खड़े हैं? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नारद जी, आप ठीक कह रहे हैं, पाण्डव सत्य बात कह रहे हैं, न्याय की बात कह कर रहे हैं, [illegible] मांग रहे हैं लेकिन मैंने कौर[illegible] [illegible]मक खाया है, इस लिये मैं मजबूरी में यहां खड़ा हूं। तो चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो, मतलब एक ही है। कहीं कहीं मेरे सत्ता पक्ष के साथियों की कुछ मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों के लिये मुझे कोई मलाल नहीं है। क्योंकि वे भी इंदिरा जी का नमक खा रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

इस समय रात के साढ़े दस बज गये हैं। एक बार बारह से ज्यादा रात बीत रही थी। कुछ लोग गांधी जी के पास गये, गांधी जी सो रहे थे। जिन्ना साहब के पास गये, जिना साहब सो रहे थे, फिर लोग बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर के पास गये। डा० अम्बेडकर जाग रहे थे। उन लोगों ने पूछा कि बाबा साहब, गांधी जी सो रहे हैं, जिन्ना साहब सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी इसलिये सो रहे हैं कि उन के आदमी जाग रहे हैं, जिन्ना साहब ईसलिए सो रहे हैं कि उनके आदमी जाग रहे हैं मैं इस लिये जाग रहा हूं कि मेरे आदमी सो रहे हैं। आज टकराव जो बढ़ गया है उस का एक कारण है कि आज भले ही डा० अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन इस धरती पर उनकी कृपा से अनेक डा० अम्बेडकर पैदा हो गए है और बराबरी के लिए संघर्ष में हरिजन सामने आ गये हैं। इस लिये बाबू जी ने जो कहा कि हम जाग गये हैं, हम बराबरी की मांग कर रहे हैं, उन की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, न्याय की भीख नहीं मांग रहा हूं ममता के अधिकार की बात कहता हूं। मैंने इस देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं कराये हैं, मैंने पाकिस्तान की मांग नहीं की है, हरिजनिस्थान की मांग नहीं की मैंने खालिस्तान की मांग नहीं की है। हमने इस देश को हमेशा देश समझा है। पर हमारी आबरू पर लात और हमारे पेट पर डकैती मारी जाती है। हमें हैवानियत की निगाह से देखा जाता है। सारे साथियों ने, देवली के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, चिन्ता व्यक्त की और कहा कि देवली में जो हुआ वह बड़ा दर्दनाक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि

[श्री आर० एन० राकेश]

देवली में 27 लोग स्त्री पुरुष बच्चे मौत के घाट उतार दिये गये इतना बड़ा नरसंहार हुआ, देश के हरिजनों की सुरक्षा के प्रति खतरा रेड सिग्नल है लेकिन प्रधान मंत्री को निगाह में यह इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है, उतना बड़ा कांड नहीं हुआ है जितने बड़े को वह बड़ा कांड समझतो हैं। ...(व्यवधान) यही कारण है कि बनारसीदास जो की सरकार में नारायणपुर कांड हुआ, आरोप था कि तीन हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मुलजिम बनिया नहीं थे, मुख्य मंत्री जरूर बनिया थे बनारसीदास को सरकार बरखास्त करदो गई। देवली में दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 27 लोग मौत के घाट उतार दिये गये लेकिन उत्तर प्रदेश को सरकार अभी तक नहीं बरखास्त को गई आखिर क्यों? प्रधान मंत्री जो बड़ी गरिमा को कुर्सी पर बैठो हैं। क्या मापदन्ड था आप का जब नारायणपुर कांड पर आपने बनारसीदास को सरकार को बरखास्त किया था और आज क्या मापदन्ड है, मैं पूछना चाहता हूं, जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो हरिजनों के कन्धे पर बन्दूक रख कर उल्लू सीधा कर लें, और हरिजनों को जिन्दगी और मौत का सवाल हो तो मुकर जावें?

आज देवली कांड में मुख्य मंत्री ठाकुर, अपराधी ठाकुर, अपराधियों को संरक्षण देने वाला ठाकुर और सारे एवीडेंस खत्म कराने वाला ठाकुर...इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश को सरकार बरखास्त न हो। प्रधान मंत्री भले ही राजनीतिक दुर्भावनाओं भावनाओं से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश को सरकार को बरखास्त न करें, लेकिन मेरा खुला आरोप है कि आप जिस गद्दी पर बैठो हैं, उस गद्दी को गरिमा को कलंकित कर रहो हैं। अपने न्याय के उस मापदण्ड पर, जिस न्याय की तुला पर बनारसीदास को सरकार को बरखास्त किया था, उस मापदण्ड को कलुषित कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री नौटंकी करते हुए पहले यह कहता है कि "इस अपराध का दोषी मैं हूं और मैं त्याग पत्र दे दूंगा"। दूसरे दिन कहता है कि अगर एक महीने के अन्दर अन्दर अपराधियों को गिरफ्तार न कर लूं तो 24 दिसम्बर को त्याग पत्र दे दूंगा। आज 24 दिसम्बर है, अपराधियों को गिरफ्तार करने का मतलब क्या रह गया है, सारे विटनैस खत्म करा दिये। खून से लथ-पथ कपड़े, जो कि एवीडेंस के अन्दर बहुमूल्य साक्ष्य है, उन को मैंने पार्लियामेंट में रखा था। खून से सनी मिट्टी को पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया, वह चारपाई जिस पर खून लगा हुआ था, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया और एक मुलजिमान राधे का जूता लकूरी के घर में पड़ा हुआ था, उस तक को पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया, सारे एवीडेंस को खत्म करने के बाद मुलजिमान हाजिर हो गये तो क्या हुआ। जिस प्रकार कफाल्टा में हुआ, मुलजिम छूट गये, वैसे ही यहां भी छूट जायेंगे। सारे एवीडेंस खत्म होने के बाद मुलजिम हाजिर हो या न हों, उसका मतलब क्या रह गया। है। आप अपने कलंक को धोने के लिये मुलजिम को हाजिर करने को कोशिश कर रहे हैं। आपने कह दिया कि यदि 24 दिसम्बर, को सारे मुलजिम हाजिर नहीं हो जायेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। मैन एक्यूज्ड राधे को गिरफ्तार नहीं कर पायें, फिर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो, क्या चरित्र है आपका, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो। दूसरी तरफ मेरे भाई, ज्ञानी जैल जी, ने यह कह दिया, चूंकि डाकू गिरफ्तार किये जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं इस लिये मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं हैं। आप जिस गद्दी पर बैठे

हुए हैं, उसी गद्दी पर पं० गोविन्द बल्लभ पंत व सरदार पटेल बैठे थे, तो ऐसा लगता था कि भारत के गृह मंत्री बैठे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उसी गरिमा का पालन करें और हल्की फुल्की बातें न करें। आपने यह कह दिया कि मुख्य मंत्री चूंकि मुलजिमान को अब गिरफ्तार कर रहा है, डाकुओं को गिरफ्तार कर रहा है, इसलिये उन को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के बयान और लोगों के भी हुए हैं।

जैसा कि बाबू जी ने कहा, एफ० आई० आर० में है, यह सब लोग कहते हैं, जिन्होंने एफ० आई० आर० लिखी उन्होंने भी कहा था—आज कास्टवार था, क्लासवार नहीं था, लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने क्लासवार कह कर मुलजिमान को संदेह का लाभ देने का अवसर दे दिया और एविडेंस को खत्म कराने में सहयोगी हुई हैं और आपने भी इसी ढंग की बात कही। मैं अगर इन बातों को मान लूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 नवम्बर से 19 दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश में एक डाकू के नाम पर 170 लोग मारे गये। मैं आपको यह उत्तर प्रदेश के एक डी० आई० जी० की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजी गई है, उसकी एक कापी मेरे पास भी चली आई है, बता रहा हूं। मैं जो यह फिगर देने जा रहा हूं, यदि इस को गलत साबित कर दें, तो मैं इस्तीफा दूंगा, अन्यथा प्रधान मंत्री इस्तीफा दें और ज्ञानी जी इस्तीफा दें। 170 में 123 हरिजन मारे गये, जिनमें 70 ऐसे हैं, जिन के नाम एफ० आई० आर० तक नहीं हैं। 14 से 25 साल तक के लड़के स्कूलों से पकड़ कर एनकाउन्टर पर मार दिये गये हैं।

मैं अभी दोपहर में बोल रहा था 12 बजे, मैं अभी इलाहाबाद से आया हूं, जिस भूमि को प्रधान मंत्री जो अपना जन्म स्थान कहती हैं। . . . (व्यवधान) . . मुझे सुबह टेलीग्राम मिला है, ज्ञानी जी, कल निमागांव के चार हरिजनों को पुलिस पकड़ कर थाना थरोई में ले गई। उनमें तीन विद्यार्थी थे। चारों के चारों के खिलाफ एक भी सिगल एफ० आई० आर० नहीं है। उन में से तीन को मार दिया है और एक घायलावस्था में अस्पताल में हैं। आप पता लगा लीजिये, आप के पास सारे साधन हैं। कल से ही इलाहाबाद के डी० एम० का घेराव हरिजन किये हुए हैं। आप नोट कर लीजिये। यह टेलीग्राम मेरे पास आया है, इस को आप ले लीजिये। . . . (व्यवधान) . . .

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): This is very serious. The Home Minister should take note of it. On fake encounters, hundreds of people are being killed every day. It is shameful. (*Interruptions*):

श्री आर० एन० राकेश: और सुनिये। मेरा खुला आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 250 से 300 लोगों को, केवल यादव बिरादरी के लोगों को इटावा और मैनपुरी के बीच में मरवा दिया है। यह जातिवादी भावना नहीं है तो क्या है। लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री जातिवादी नहीं है मैं बताया हूं, कि कैसा जातिवादी है। जब फूलन देवी ने बेहमई कांड किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का आई० जी० महेन्द्र सिंह था, जोकि पिछड़ी जाति का था और फूलन देवी भी पिछड़ी जाति की थी। उसे यह कह कर हटा दिया कि आई० जी० पिछड़ी जाति का है और अपराधी भी पिछड़ी जाति का है, इस लिये उसे हटा दो और जब मलखान सिंह पकड़ा गया, तो उसे यह कह कर छोड़ दिया गया कि जब तक पिछड़ी जाति के डकैत न मार दिये

[श्री आर० एन० राकेश]

जायें, मलखान सिंह को छुओ नहीं। तो वह कितना बड़ा जातिवादी है जो जाति-बिरादरी के लिये डाकुओं स नाता जोड़ने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या डाकुओं का भी रिजर्वेशन है ?

श्री आर० एन० राकेश : मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच क्या है लेकिन मैं कास्ट का आरोप तो नहीं लगाना चाहता, मैं छोटी बातें नहीं करना चाहता फिर भी कुछ ऐसा करने के लिये मजबूर कर दिया जाता है। कुछ साथियों की ओर से बड़ी सफाई दी जाती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बहुत दानी है। उस ने बहुत सारी जमीन बिनोवा जी को भू-दान में दान कर दी है। मैं बताना चाहता हूं कि भूदान की भूमि में जो छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां थीं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाई कोर्ट में मुकदमा लड़कर उन फर्जी पेड़ों के इतने ज्यादा दाम ले लिये, इतना मुआवजा ले लिया है कि भूदानी जमीन से कई गुना ज्यादा उस की कीमत बैठती है। आज भी वह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिग है।

हमारे एक साथी ने यह भी कहा है कि मुख्य मंत्री के पास एक ही बंगला है और वह कितना बड़ा त्यागी है। उस की सुनिये। सिविल लाइन में जो उनका ऐशमहल है, वह 14 एकड़ में है फिर भी उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री त्यागी है। क्योंकि एक ही बंगला है। सिविल लाइन जैसे एरिया इलाहाबाद में मुख्य मंत्री का ऐशमहल 14 एकड में फैला हुआ है और शायद यह एक ही मकान राष्ट्रपति भवन से भी बड़ा होगा। दूसरी तरफ मांडा में मांडा कोठी है। किस की वह कोठी है ? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की वह कोठी है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): He is not talking on the subject.

SHRI R. N. RAKESH: I am talking on the subject. Please try to tolerate.

इलाहबाद को जहां इस बात की गरिमा मिली हुई है कि वह स्वराज्य की लड़ाई का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, वहां इलाहाबाद में राजा डाहया पैदा हुए, राजा मांडा पैदा हुए और ये लोग स्वराज्य के आन्दोलन के जो आन्दोलनकारी होते थे उन को अपने यहां पकड़ कर कोड़ों से पिटवाया करते थे। इसी राजा डैया के लड़के और राजा मांडा के गोद लिये आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जिनकी देश भक्ति का मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश और प्रदेश के हरिजनों का कैसा भला करेगी उस पर भी आप ही विचार करें।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. You are taking much time. It is going to be 11 O'Clock.

(*Interruptions*)

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): Sir, I am on a point of order. We are discussing an unfortunate incident. Every one of us is equally serious about it. In the course of the discussion, to accuse a person, who is not a Member of Parliament, of being unpatriotic, is not in accordance with the well-established precedents and practices of the House. He cannot make such allegations.

SHRI R. N. RAKESH: He can be praised; he can be condemned too.

(*Interruptions*)

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: He is not a Member of the House but he is making this charge. You should give the ruling and expunge his various accusations.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will go through the record; I will see if any allegation is there about Chief Minister of U.P. I will go through the record.

SHRI SURAJ BHAN: It should not be one-sided.

MR. DEPUTY SPEAKER: If any allegation is there which is defamatory or derogatory that will not be allowed. I will go through the record. Mr. Rakesh, come to the subject. You are still in Lucknow. You come to Delhi.

श्री आर० एन० राकेश : मेरे साथी, राम विलास पासवान ने कहा कि हरिजनों की बात पर अछूतिस्तान की मांग हो सकती है। मैं कहता हूं कि हम को तो आज देश के हरिजनों की पीड़ा को कहते हुए इस आवाज को यहां उठा रहे हैं, पर हमें मजबूर न किया जाए कि इस आवाज को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना पड़े।

हम गरीब हैं, काले हैं, भद्दे हैं, बदसूरत हैं लेकिन हमारा एक ईमान है। चम्बल घाटी की फूलन देवी के लिए कहा जाता है कि उसका कोई ईमान नहीं है। लेकिन वह जब भी लूट का बटवारा करती है तो वह भी चाहती है कि ईमानदारी से बटवारा हो। इसके विपरीत इस सरकार में इमानदारी का नामोनिशान नहीं है।

लोग कहते हैं आज हरिजन कभी इस धर्म की ओर भागते हैं, कभी उस धर्म की ओर भागते हैं वे पैसे के लिए बिकाऊ माल हैं, पैसे पर उनका धर्म बदला जा रहा है सच तो यह है कि वे जब मजबूर हो कर धर्म बदलते हैं तो उसके पीछे विदेशी हाथ यह कहा जाता है लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सदन में बहुतों ने धर्म बदले हैं। मेरे पास प्रमाण हैं फिर उनके धर्म परिवर्तन के पीछे कौन सी विदेशी मुद्रा काम कर रही थी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाएंगे, अगर आप हरिजनों की सुरक्षा के लिए हथियार दें तो आपका स्वागत है।

एक मेरा सुझाव है कि बाहमी काण्ड की तरह देउली काण्ड के पीड़ित परिवारों को भी 50 हजार रुपये दिए जाएं। अपराधियों की मूल्यवान चल और अचल सम्पत्ति को छीन कर हरिजन पीड़ित परिवारों को दी जाए।

उत्तर प्रदेश में जितने लोग मारे गए हैं और कहा जाता है कि डकैती की मुठभेड़ में मारे गए हैं, इनके बारे में मैं आप से मांग करता हूं कि अगर आप में सही बात कहने की हिम्मत हो, किसी के आप दबाव में न हों तो मेरा आप से अनुरोध है कि इधर और उधर के माननीय संसद सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिए जो जांच करे कि किस जाति के कितने मारे गए और फर्जी मुठभेड़ में कितने मारे गए हैं। इसकी जांच कराने के लिए मैं कमेटी की मांग करता हूं।

साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में हरिजनों की संख्या 1/5 है, लेकिन अभी गृह राज्य मंत्री श्री मकवाना जी ने बताया था कि हरिजनों के ऊपर अभी तक केवल 5 से 6 प्रतिशत खर्च किया गया है। मैं मांग करता हूं कि छटवीं पंचवर्षीय योजना

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री आर० एन० राकेश]

में पूरे बजट का 1/5 हिस्सा हरिजनों के उद्धार के लिए खर्च किया जाए।

अंत में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तुरन्त बर्खास्तगी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं समय के लिए आपका आभारी हूं।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Sir, the House is in distress. I do not want to commit atrocity on it. Sir, our problem is not that of a few dacoits or criminals or anti-socials. What has now become is that our problem has become a part of the ruling society. Our rulers have become our problem. At Deholi you have heard the details of the atrocities committed. But what is surprising is that in the whole of the village, there were licenced guns. Many respectful residents were there, landed gentries were there. But no protest came from them. No information reached the Police Station and now it is being interpreted that a few dacoits did it. What is most disturbing is: how those criminals got the sanction to do the heinous crimes. That is most important. Without the knowledge of the Police Administration or the political set-up, they cannot work because they do not get the social sanction in their favour.

After 33 years of independence, we have got such a direction in the Indian society that such crimes would be getting social abetment and sanction. I would like to know from the hon. Minister what action has been taken against those persons having gun licences and residing there as also others who witnessed such things. Now, the anti-social elements are the confidantes of the politicians. Not only that. They are confidantes of God also. They took rest in a temple. That is a wonderful thing. Previously the anti-socials used to take shelter in some other place. Now they are taking rest in temples. So, the abode of God has also become a hiding place.

MR. DEPUTY SPEAKER : You accept the existence of God.

SHRI A.K. ROY : I don't and I also don't accept that that thing would happen. Another point I would like to place before this House is—whether the Chief Minister of U.P. is a good man or a bad man, I don't go into that argument—that if he is remaining in the post of Chief Ministership, when such a heinous crime was done to the society in Deholi, he should step down immediately. That is the point. His existence in the Government is a great boosting for the entire landlord and exploiters and to those who committed atrocities on the weaker sections of the society in Deholi. There is a genuine basis for suspicion that once the Chief Minister announces that he would resign, the main culprits would calmly surrender. All this leads to

23.00 hrs.

a strong supicion that those culprits and criminals were very much concerned about keeping the Chief Minister in power. That is the main point. It is a class phenomenon. It is not that he is engineering it; I am not blaming that it is the Chief Minister of U.P.; I have also heard many good words about him. He is not engineering it; or personally directing it.

MR. DEPUTY SPEAKER : Such inventions can be made only by Shri Roy.

SHRI A.K. ROY : I am not concerned with the innocence or the character of a person, I am concerned with the character of the system and the class which is operating. Shri Singh may not have directed, but they are acting automatically, they are all concerned. All the wrong-doers, culprits and criminals are concerned to keep this class ruling the UP State. That is a fact. That is why, when we are demanding the resignation of Mr. Singh, it is not because he is a bad

man, not because he is giving shelter or taking money, not because he is less concerned for the Harijans, but we are demanding his resignation because his remaining in power is helping to boost up the morale of these criminals. That is the point.

I would like to ask one question to Shri Zail Singh and his colleague. Are they in a position to save the Harijans anywhere? This is a plain question. Is this House competent and capable to save Harijans anywhere in the country? Could you save Harijans in Gujarat, could you save Harijans in Pipra, could you save Harijans in Tamil Nadu or anywhere? A very few cases are reported and we debate them. The answer is that you are not in a position to save them.

Now, there are two ways left for the Harijans in this country. One is the Gujarat way. Some newspaper commented—let not the bank of Sabarmati become the graveyard of Gandhism in India. There, the Harijans were butchered, tortured and also many of the rights acquired by them were snatched. That is one way. We know what happned to the Harijans there. Today, all the rights or facilities given to the Harijans have been taken back by them.

The other way left to the Harijans is the Bhojpurway, or the Patna way. In Patna and Bhojpuri districts of Bihar, we were having the biggest concentration of those so-called Thakurs, the Rajputs, muselemen and the landlords. The Harijans used to be tortured and all the forces of the Governmet were not able to protect the Harijans. Now, for whom are the Government forces going to provide protection? They are going to protect the landlords, to protect the Thakurs and others. Why? The Harijans there have now stood up. They have stood up and thrown a chellange, they have got to the real philosophy, the philosophy of confrontation the politics of resistance has gone to them. No force or police is required to protect those Harijans. Now, the police and courts are required to protect the landlords.

In the name of encounters, the Harijans are being killed. As I said, the Harijans have got two ways to live. They have to be killed by the police or the State machinery. Or, they would be killed or attacked by the landlords. Only one option is left for them—*i.e* .to fight

During the Janata period, there were atrocities in some part of Beguserai district—I think in Wajidpur—and Harijans were killed. I was with Mr. Karpoori Thakur who was at that time the Chief Minister there. And I was with the Chief Secretary there. Then I found that this theory of giving arms to Harijans was taken up. The *modus operandi* of doing it was considered. There are ways of doing it. You can constitute a Harijan Home Guard *i.e.* a special type of Home Guards, specially of Harijans. And to those Home Guards you can give arms. They can be made a task force to protect Harijans.

I know these people, this House and the Establishment do not hesitate to show sympathy to the Haripans. But they become very much alarmed at the idea of giving strength to Harijans. When Mr. Jagjivan Ram was in power, they accused him—I also accused him, though mildly—on one occasion. When he was the Defence Minister. He asked then: 'If there can be a Rajput Regiment and a Jat Brigade, why can there not be a Chamar Brigade?' It created a furore. If the Home Minister has got any guts and if he really wants to do it, he should do what Janata could not do.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now Mr. Parmar will speak, and then Mr. Chhangur Ram. They will take five minutes each. Then the Minister will reply.

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली के हत्याकांड के बारे में बात याद करने पर दिल भर जाता है और हर इन्सान को देश में उस पर दर्द होना चाहिए। मैं 19-12-81 के दिन देवली गया था जहां हत्याकांड हुआ था। दलितों की बस्ती में जो आदमी हत्यारों से छुपे हुए दीवार कूद कर भागे और 6 आदमी जो बस्ती के बाहर थे उन सब के मिलने के बाद यह घटना इस ढंग से हुई है कि एक बात जरूर कहनी पड़ेगी हमारा शासन कांग्रेस का है और हमारी प्रधान मंत्री की हरिजनों के लिए दिलचस्पी है सहानुभूति है लेकिन नीचे का जो तन्त्र है वह क्या करता है वह बात प्रधान मंत्री तक पहुंचती है कि नहीं वह सोचने की बात है। 18-11-81 को शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक यह तांडव हुआ। 3 इन्सान को बाहर मारा, बाद में 21 प्राणियों को उन के घर में कमरा तोड़ कर ढूंढ ढूंढ कर गोली से मारा गया। इस घटना के बाद रात के 4 बजे तक हत्यारों ने सारी बस्ती का घेराव किया जैसे किसी को जिन्दा नहीं छोड़ना है। इस तरह से लोग सारे बस्ती में बैठे रहे। छुपे हुए आदमियों में से एक आदमी सुबह 6 बजे पड़ोस के गांव में पुलिस को बताने गया। 19 तारीख को रात के 12 बजे तक; यानी 28 घंटे तक जो जहां मारा गया था उसकी लाश वहीं पड़ी रही। 28 घटे तक जहां लाशें थीं, वहीं पड़ी रहीं और 20 तारीख को पुलिस थाने ले गई। 20 तारीख को रात 12 बजे तक 15 लाशें थीं, और चौथे दिन 9 लाशें थीं। इस तरह से मरे हुओं की लाशें भी सड़ने दी गईं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तंत्र क्या कर रहा है? यह बात हमारे होम मिनिस्टर जानते हैं या नहीं?

जिस समय दलितों पर हमला हुआ, वह तीन टुकड़ियों में हुआ। एक टुकड़ी पुलिस की थी, पुलिस की ड्रेस में वह राइफलों के साथ टुकड़ी आई। दूसरी टुकड़ी गांव में ठाकुरों के मौहल्लों की तरफ से आई और तीसरी नाईयों के मुहल्लों की तरफ से आई। इस तरह से इस मौहल्ले को घेर लिया गया। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि इन लोगों को मारने के बाद जो माल लूटा और लूटने के बाद वह पुलिस कहां रही?

3 दलितों के खेत, जिस में सरसों बोया हुआ था, वह काट कर डेरे लगाये, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का हैलीकोप्टर ले गए। प्राइम मिनिस्टर निर्दोष हैं उनको पता नहीं कि क्या होता है। यह नीचे का तंत्र है जो यह काम करता है। 8 बीघे जमीन जिसके घर के 6 आदमी मरे हैं और 2 बच्चे मरे हैं, जिसकी लड़की बच्चे को खाना खिलाने के लिए आई, जिसके खेत में हैलीकोप्टर उतरा, क्या आप यह जानते हैं या नहीं?

इस से आगे मैं कहना चाहता हूं कि दो बहिनें जो मर गई हस्पताल में, उनके पेट में दो बच्चे भी मरे गए इस तरह टोटल 28 मारे गए है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं जिसके परिवार में अकेले बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? कोई बोलने वाला नहीं हैं। उन्हें सरकार को गोद लेना चाहिए।

हम सब देहुली-देहुली करते चिल्लाते हैं, मैं सदन में उपस्थित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि बच्चा मां को भी

सच कहता है तो मां को बुरा लगता है। यह सब दलों के नेता बैठे हैं, कहते हैं। सारे देश की जिम्मेदारी हम लीडरों पर है, क्या कभी सोचा है कि दलितों का क्या होता है? कोई नहीं कह सकता है कि हम हरिजनों के लिए कुछ कर रहे हैं। सब ऊपर की बात है।

मैं देश के दलितों के लिए कहता हूं कि एक कास्ट हिन्दू बाप के 4 लड़के हैं। उन में एक तो शासन चलाता है, दूसरा हरिजनों को मारता है, तीसरा इस बात की जांच करता है और चौथा इसका जजमेंट करता है। हमारा कौन है?

पिछले 33 साल में दलितों को बचाने के लिए, कई सदस्यों ने कहा कि क्या नहीं हुआ? दलित एस० पी० हुए, डी० एस० पी० हुए, कलक्टर हुए, मिनिस्टर हुए, एम० पी०, एम० एल० ए० वगैरह सब कुछ हुए हैं, फिर क्या नहीं हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि जिसके चार पैर, और एक पूंछ, जिसको कहा जाता है कुत्ता, वह किसी के कमरे में या किसी के किचन में जा सकता है, लेकिन 33 साल के बाद भी हम किसी हिन्दू की खिड़की पर नहीं जा सकते हैं। क्या हुआ है? यह हुआ है।

यह बड़ा गंभीर सवाल है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसके लिए जरूर नहीं सोचेंगे, क्योंकि चुनाव आता है, वोट मांगे जाते हैं, अगर मैजोरिटी को खुश नहीं करेंगे तो चुने नहीं जायेंगे। यह सवाल सब के लिए है। अब हरिजन भी समझ गया है कि मगर और घड़ियाल के आंसु बहाने से कुछ नहीं होता है।

मैं जानता हूं कि मेरी क्या परिस्थिति है। गुजरात में मेरी सारी मिल्कियत जला दी गई 2 लाख का नुकसान हो गया और आज तक कोर्ट केस भी नहीं हुआ। कुछ करने वाली बात तो ठीक है

कोई 20, 25 साल पहले रोड पर एक लड़का किसी फिल्म का गीत गाता था —

दुनिया में हम आये हैं तो जीना ही पड़ेगा;
जीवन है अगर जहर, तो पीना ही पड़ेगा।

आज 25 साल के बाद फिर दूसरी याद आती है —

गरीबों का पसीना बह रहा है,
वह पानी बहते-बहते कह रहा है।
कभी यह दिन भी आयेगा,
कभी यह दिन भी आयेगा,
यह पानी रंग लायेगा,
वह पानी रंग लायेगा।

समझ जाओ तो अच्छी बात है। देहली के पीछे क्या हो रहा है? समझो नहीं तो हरिजन मुसलमान क्यों होता है? हरिजन क्रिश्चियन हो, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। वह बुद्धिस्ट या सिख होता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वह मुस्लिम होता है, तो सब चिल्लाते हैं। जब हमारा देश असाम्प्रदायिक है, तो धर्म के बारे में चिन्ता क्यों करते हैं? असाम्प्रदायिक देश में कोई आदमी किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन अगर हरिजन मुस्लिम हो जाए, तो देश के लीडरों को चिन्ता होती है। मगर यह तो सोचना चाहिए कि ये लोग मुस्लिम क्यों होते हैं। इस पर विचार करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है।

मैं गरीब हरिजनों के बारे में कुछ सुझाव देना हूं। देहली में जाने के बाद होम

[श्री हीरालाल आर० परमार]

मिनिस्टर साहब ने कुछ लोगों को लाइसेंस दिए हैं। लाइसेंस से तो गोली नहीं निकलेगी, और बंदूक लेने के लिए उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। मैं उन 11 लाइसेंस वालों के फ़ोटो देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों को बन्दूकें दे दें।

देवली जैसे जो गांव हैं, जिनमें पच्चीस घरों से ज्यादा हरिजनों की बस्ती है, और जहां ऐसे काण्ड होते हैं, वहां पुलिस थाना कायम किया जाए। मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रुपये दिए जाएं। इससे काम से क्या होगा? उन्हें पचास हजार रुपये से काम नहीं देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि एक गांव में हरिजन सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए। यह क्या बात करते हैं? अगर दस गांवों के हरिजनों को वहां ला कर बसाया जाए, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। मैं ज्ञानी जैल सिंह साहब से नहीं, गृहमंत्री साहब से प्रार्थना करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों में बांटने के लिए कम्बल, रजाइयां और स्वेटर भेजें, मगर वे किन को बांटें? —जिन परिवारों के लोगों को मारा गया है, उन्हें तो बांटें, मगर क्या मारने वाले परिवारों को भी बांटें? वह इस बारे में जांच करें। उनकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन नीचे वाले क्या कर रहे हैं? नीचे वाले सारे खिलाफ़ हैं।

आज जातिवाद तो है। उससे दलितों की रक्षा करने वाला— सब चिल्ला कर बोलते हैं—शायद कोई है या नहीं? मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। आशा करता हूं कि इस गंभीर सवाल पर सब सोचेंगे।

श्री आर० एन० राकेश : 27 हरिजन मारे गए हैं। सदन में 27 सदस्य भी नहीं हैं। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री छांगुर राम (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े पांच घण्टे की बहस में देवली के नर-संहार के सम्बन्ध में सारे तथ्य सामने आ गए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह बात अपने आप में सत्य है कि देवली नर-संहार उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक कलंक है। मैं कहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश के लिए यह एक कलंक है। इस घटना ने देश के गरीबों के दिलों को दहला दिया है और आज उनमें आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों से, चाहे जनता पार्टी के राज्य में और चाहे आज की सरकार के शासन-काल में, ये जो घटनाएं हो रही हैं, बेलछी से ले कर पिपरा, कफल्टा और अब देवली तक, जिस प्रकार हरिजनों की सामूहिक हत्या की जा रही है और सरकार उसको रोक नहीं पा रही है, ये सब बातें इस देश को और देश के गरीबों को मजबूर कर रही हैं कि वे अपनी बुनियादी समस्याओं पर सोच-विचार करें। बुनियादी समस्या सत्ता-परिवर्तन नहीं है। सत्ता परिवर्तन तो हो गया है। जनता पार्टी के बाद यह सरकार बैठ गई। लेकिन उन की सुरक्षा आज भी नहीं हो पा रही है। घटनाएं और ये सामूहिक हत्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जब तक देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा और राज सत्ता पर गरीबों का, गरीब वर्गों का अधिकार नहीं होगा तब तक ऐसी घट-

नाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और आज है क्या? आज देश के अंदर जितने सामन्तवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, सामन्तवादी प्रवृत्तियों को और समाज-विरोधी तत्वों को इस देश में सरकार का समर्थन प्राप्त है। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इस प्रकार का चरित्र रखने वाले बहुत से लोग हैं जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी सहायता से कफल्टा के अपराधी सबके सब साफ बच गए और आज यह देवली का नर-संहार उसी का परिणाम है। मैं कहता हूं मुख्य मंत्री को इस पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसी में उनकी गरिमा थी। अगर वह त्यागपत्र देने में नाटक करते हैं, हीला हवाला करते हैं तो प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि उनसे त्यागपत्र मांग लें। इसमें उनकी गरिमा होगी। अगर यह नहीं करती हैं तो उनकी सफाई लेक्चरबाजी से और दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से नहीं हो सकती। मैं अपनी जनवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि इतनी बड़ी घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए और वह त्यागपत्र वह दें।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से देवली गांव में गया था। मौके पर मैंने देखा था कि किस प्रकार से वहां घटाएं घटी हैं और कितने इत्मीनान से लोगों को गोली का शिकार बनाया गया है। इससे यह साफ लगता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं से साजिश है। मैं तो कहूंगा कि सरकार में बैठे ऐसे गलत लोग हैं जिनकी साजिश है जो अपराधी इस ढंग से और इतनी देर तक नरसंहार करते रहे। आप ने सुना है कि शाम को चार बजे यह शुरू हुआ। चार बजे दिन होता है, सूरज डूबने का समय होता है, चार बजे शुरू होता है और एक तरफ यह नरसंहार हो रहा है, दूसरी तरफ उसी गांव में कुछ लोगों के दरवाजे पर खाना पक रहा है, उन अपराधियों को खिलाने के लिए बकरे काट कर खाना पकाया जा रहा है इस खुशी में कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने यह काम शुरू किया है तो जो लोग पहले मिल गए सामने उनको तो मारा ही, जब उन गरीबों ने देखा कि ये सब के साथ यही करेंगे तो घरों में छिप गए। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। अन्दर से लोग दरवाजे को बन्द करके छिप गए। जब दरवाजा नहीं खोल सके तो कुल्हाड़ा मंगा कर हर घर के दरवाजे को चीरा गया। अब आप इस पर सोचिए कि बड़े मोटे-मोटे किवाड़ थे, बड़े नक्काशीदार नहीं थे, भद्दे किस्म के थे लेकिन बहुत मोटे-मोटे लकड़ी के किवाड़ और दरवाजे थे, उनको कुल्हाड़े से मार कर चीरा गया। फिर अंदर जाकर जो वहां मिले हैं वहां उनको मारा गया है। आप यकीन करिए किस सहूलियत से किस विश्वास से वह इस ढंग से काम कर रहे थे। 24 लोगों को गोली से मौत के घाट उतारने के बाद और आठ लोगों को घासल करने, उनको अपंग करने के बाद ये अपराधी उसी गांव में आराम से खाना खाए हैं, तीन साढ़े तीन बजे सुबह तक वहीं बैठे रहे हैं। उसके बाद वे वहां से गायब हुए हैं। क्या यह नहीं जाहिर करता है कि इन लोगों की कहीं न कहीं कोई साजिश है, जिसकी वजह से वे इतनी हिम्मत से काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, पिछले उत्तर प्रदेश के विधान सभा इलैक्शन में ज्यादातर जिलों में, मैं नहीं कह सकता हूं कि इन की क्या स्कीम थी, हरिजन कलैक्टर और एस० पी० रहे। केवल एक ही

[श्री रामगुर राम]

लालच था कि हरिजनों का वोट लिया जाए, लेकिन चुनाव होने के बाद वहां से सबको एक तरफ से हटा दिया गया। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि 10 हरिजन कलैक्टर और आठ हरिजन एस० पी० को अभी छः महीने के पहले हटा कर बाहर कर दिया गया और ऐसी जगहों पर रखा गया है, जहां पर से गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का कदम हरिजन विरोधी साबित नहीं करता है? सरकार के ऐसे कामों से देश के समाज विरोधी तत्वों का क्या मान नहीं बढ़ेगा, म कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं बढ़ेगा। बहुत से माननीय सदस्य आंकड़े देकर कह रहे थे कि आज भी नौ कलैक्टर हैं, कोई कह रहा था कि बारह कलैक्टर हैं, लेकिन जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 54–56 जिलों में केवल तीन हरिजन कलैक्टर रखे गए है और एस० पी० कोई है या नहीं है, यह तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर यह बात सत्य है तो किस योजना के तहत इतने बड़े पैमाने पर हरिजनों को हटाया गया है या सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम थी?

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात कहना चाहता हूं। सत्ताधारी पार्टी के एक माननीय सदस्य म नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूर होकर नाम लेना पड़ रहा है, श्री आरिफ साहब, उन्होंने कुछ बात कहीं। म उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके दिल में उनके प्रति कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बिल्कुल नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब ये जनता पार्टी में थे, तो केवल शिया-सुन्नी के झगड़े पर सरकार से अलग हो गए थे, इसलिए की वह सरकार शिया-सुन्नी के झगड़े को नहीं रोक सकी और आज इतने बड़े नरसंहार के ऊपर उनका इस तरह का बयान था।...(व्यवधान)...,

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अलग इसलिए हुआ था कि सरकार ने दंगा कराया था, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे।

...(व्यवधान)...

श्री रामगुर राम : मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवली कांड कोई छोटी घटना नहीं है। यह राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय घटना है। इस घटना की जांच पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी से भी नहीं होनी चाहिए। इस घटना की जांच सुप्रीम-कोर्ट के किसी जज के द्वारा होनी चाहिए। उसको यह निर्देश देना चाहिए कि तीन महीने के अन्दर जांच की सारी कार्यवाही पूरी करके और इन अपराधियों को मौत की सजा देने की व्यवस्था करायें।

साथ ही साथ यह जो एन्काउन्टर की बात कही जा रही है, यह बहुत बड़े पैमाने पर है। इस के बारे में भी मैं चाहूंगा माननीय मंत्री अपने ऊपर सारा बोझा न लें और पुलिस के अधिकारियों पर जिम्मेदारी न ठहरायें। इस घटना की भी जांच किसी जज को दे दें, जिस से साफ जाहिर हो जाएगा कि एन्काउन्टर में सही आदमी मारा जा रहा है या गलत आदमी मारा जा रहा है। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

गरीबों के अपलिफ्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए कानून बने हैं, यह बात सही है लकिन आज सवाल यह है कि इन कानूनों के मुताबिक जब तक उन को जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, उन को अपने जीवन

यापन का कोई ठोस साधन नहीं मिलेगा, तब तक उन के लिए कुछ नहीं हो सकता। आज उन की कोई सुरक्षा भी नहीं हो रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को, इस शासन को उन गरीबों के प्रति कोई हमदर्दी है, तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है, उसको फिर से पुनर्गठित करें और उसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जब तक देश के कमजोर वर्ग समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में नहीं आ जाते हैं, तब तक योजनाओं में उन के अपलिफ्ट के लिए प्रायरटी दी जाती रहेगी। अगर आप यह कर देंगे और गरीब समाज दूसरों के मुकाबले में बराबरी पर आ जाएगा, तो वह अपनी रक्षा खुद कर लेगा और फिर सरकार को उस को बचाने की जरूरत नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री ज़ैल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, छः बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक साढ़े पांच घण्टे की बहस पर चाहता तो मैं था कि हर प्वाइंट पर जो कुछ आनरेबिल मेम्बर साहबान ने कहा है, उसके बारे में कुछ कहूं लेकिन मजबूरी है क्योंकि इतनी लम्बी बहस का उत्तर रात के 12 बजे से पहले पूरा तो होगा नहीं। मैं नहीं कह सकता कि अपका जो शेड्यूल्ड टाइम है, वह 24 तारीख को हाऊस को एजार्न करना है और अगर मैं हर प्वाइण्ट पर बोला तो फिर 25 तारीख में हम चले जाएंगे और आप को फिर ब्रेकफास्ट का इन्तजाम करना पड़ेगा।

ऐसी दुःखदाई घटना है, निन्दनीय घटना है और इस पर हर मेम्बर के जजबात का आना भी जरूरी था, नहीं तो मैं समझता हूं कि यह भी एक एट्रोसिटी है मेम्बर पर कि उन को बैठाए रखा और न कुछ खिलाना और न कुछ पिलाना मगर यह एक ऐसी दुःखदायी घटना थी, जिस के लिए एक दिन भूखा रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह मामूली कष्ट है जो हम उठा रहे हैं उस के मुकाबले में जो हमारी सोसाइटी को कष्ट हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे समाज और सरकार के लिए यह एक शर्म की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना इस तरीके से हुई जैसे कोई है ही नहीं और जो चाहा उन्होंने किया ये सारी बातें मेम्बर साहबान ने बता दी हैं और मैं उन को दोहराना नहीं चाहता।

श्री सूरज भान ने इस बहस को शुरू किया और उन्होंने मुख्य मंत्री के प्रति बहुत कुछ कहा। मैं यह समझता हूं कि क्योंकि वे मुख्य मंत्री हैं और उनके जमाने में यह दुर्घटना हुई, तो पहली जिम्मेवारी उन पर आती है मगर यह आरोप कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों को प्रोटेक्शन दी, यह सही नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी का सवाल है, जो अभी-अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इत्तिला दी कि यह जो बेहमई गांव में, जहां राजपूत मारे गये थे, ऐसे लोगों को रुपया दिया गया है, उसमें उन्होंने 5 हजार रुपया सिर्फ उस आदमी को दिया है, जो मर गया था लेकिन यहां पर होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश के होम डिपार्टमेंट की तरफ से 5 हजार रुपये, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 5 हजार रुपये और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में से 5 हजार रुपये उनको दिये गये यानी 15 हजार रुपये उनको मिले। कोई गलतफहमी न रहे, इसलिए मैंने यह कहा है वरना इन्सानी जिन्दगी के लिए जितना भी दिया जाए, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइस करेंगे कि सिर्फ यह गिन्ती नहीं चाहिए बल्कि जरूरत के मुताबिक उन के हालात को देख

[श्री जैल सिंह]

कर, हर इन्डिविजुअल के हालात को देख कर उन को सहायता करनी चाहिए। और उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम सरकार को अपने जिम्मे लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइस करूंगा ताकि वे भी इस पर अमल कर सकें।

उन्होंने यह कहा कि मैंने कहा था कि उनमें तेली, नाई और एक मुसलमान था तो उसकी जरूरत नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि वे कितने आदमी थे ? सारे जो हम को बताये गये, वे कुल आठ आदमी थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने उस स्टेटमेंट में यह कहा था कि इसमें कास्ट-वार की बात भी हो सकती है, क्लास की भी हो सकती है और उनके गांव की लड़ाई भी हो सकती है। क्योंकि इसमें मिला-जुला सम्बन्ध है। वहां पर हरिजन दूसरी किस्म के भी हैं। जो वाल्मीकि हैं उनको कुछ नहीं कहा गया। जो जाटव थे, चमार जाति के थे उन पर ही प्रहार किया गया। हमें यह भी कहा गया कि एक-दो जाटव भी इस राजपूत टोली के साथ थे जब कि डाका डाला गया और उसके बाद उसके बटवारे का सवाल था।

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाटव के पास माल भी है, दौलत भी है, वे जमीन के मालिक भी हैं, सरकारी नौकरियों में भी हैं, अदालतों में भी खूब बैठे हैं और पोलिटिकल पार्टियों को भी वे प्रभावित करते हैं। यह जो तबका था वह उनको बर्दाश्त नहीं करता था। इसका कारण यह भी है कि हरिजन 35 साल में उस गुलामी से निजात पाने का सामर्थ्य रखते हैं और अब वे यह जानते हैं कि उनकी जबान में कोई असर है। वे बोलते भी हैं, अपना हक भी मांगते हैं और पहले की तरह गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। जो उन्हें गुलामों की तरह रखना चाहते हैं वे इस बात को सहन नहीं करते।

पहले के जमाने में जब कि उनकी बहू-बेटी की बेइज्जती हो जाती थी तो भी वे पुकार नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ गन्दे लफ्ज बोल दिए जाते थे तो भी वे नहीं बोल सकते थे। उन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था। उनके वर्तन भी अलहिदा होते थे। उनकी जिन्दगी बिकी हुई थी। जितना कोई दे देता था उसी में उनको गुजारा करना होता था। यह जो गुलामी की जिन्दगी वे बिताते थे उसको अब वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उनमें हिम्मत आई है, दिलेरी आयी है। लेकिन सोसायटी में परिवर्तन नहीं आया। सोसायटी में सोशल, सामाजिक, राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं, इनमें बेशक बातें की जाती हैं लेकिन इस बात पर अमल नहीं हुआ। उनको इन्सानियत का हक देने के लिए हमारा समाज तैयार नहीं हुआ। यह तैयारी न होने की वजह से ही, जैसा कि आपने बताया कि एक एस० पी० ने एक हरिजन मेम्बर आफ पार्लियामेंट को कहा कि तुम हरिजन मेम्बर आफ पार्लियामेंट हो गये हो, कोई देवता तो नहीं बन गये हो। (व्यवधान) अपनी हैसियत को भूल गये हो।

ऐसी बातें मैंने भी बहुत सुनी हैं। किसी पंचायत में अगर कोई हरिजन सरपंच बन जाय तो उसको सरपंच नहीं समझा जाता है। पुलिस वाले भी उसके पास नहीं जाते हैं। मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूं कि जब मैं किसी गांव या शहर में जाता हूं तो वहां हरिजनों की बात करता हूं और उनको सुझाव देता हूं कि मैं हरिजनों में जाऊंगा। मुझ से कहा जाता है कि वहां जाने की क्या जरूरत है, और लोग यहां आगये हैं, वे भी आ जाएंगे।

मैंने उनको कहा कि और लोग तो आ जाएंगे । आप में से कई तो ऐसे होंगे जो हर होम मिनिस्टर के लिए आए होंगे और आ कर के कार का दरवाजा भी खोला होगा । रिसेप्शन देने के लिए जनता पार्टी के वक्त में भी आये होंगे । ऐसे लोग भी आज जिन्दा होंगे जो अंग्रेजों के वक्त में भी ऐसी करते रहे होंगे । बहुत से ऐसे एलीमेंट भी होंगे आप में । लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं हरिजनों में जाऊंगा । हमने हिदायतें कीं तमाम रियासतों को और दूसरे लोगों को कि हमारा कोई भी अफसर टूर पर जाए तो हरिजनों की बस्ती विजिट करे । काम हो या न हो और उनसे बात करे ।

मेरा तजुरबा है कि किसी भी पार्टी के बड़े लोग जो हैं, उनके सामने हरिजन बात करने तक की हिम्मत नहीं रखता । इसलिए कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं होता तो ये लोग थानेदार से मुझे पिटवा देंगे । इस पिटाई के डर से वह सोचता है कि यह क्यों न कहूं कि वे लोग मुझे अच्छी तरह से रखते हैं, मुझ से प्यार करते हैं । तो अपर-क्लास का दिमाग इससे बिगड़ा हुआ है । सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इरादे से, नीयत से, सच्चाई से इस बात को माना है कि यह परिवर्तन जो इन्सान को इन्सान समझ कर चलने का है, इसको मानना है । जिन सरकारी अफसरों, पोलिटिकल लीडरों और समाज के तबकों में, उनके दिमाग में अभी तक यह बात है, उसको बदलना होगा ।

मैं उन मेम्बरों के साथ सहमत हूं, जिनका मत है कि कोई न कोई पीछे ताकत होती है, फिर ये हरिजनों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं ।

यह इतनी दुःखदायी घटना है कि जिसके लिए मैं समझता हूं कि इन्सान की जुबान और कलम काम नहीं कर सकती कि इसको बयान किया जा सके । दो जगहों पर यह चीज होती है, या तो अति मोहब्बत, प्यार और खुशी हो, इसे बयान नहीं किया जा सकता, और दूसरा जहां अति दुःखदायी घटना हो, उसको बयान नहीं किया जा सकता । तो यह अति दुखःदायी घटना होने की वजह से इस पर जितना भी कहलें, यह बयान पूरा नहीं किया जा सकता ।

कहा गया कि हरिजनों का मामला है, इसमें सेंटर की जिम्मेदारी है । तो इस बात को मानता हूं कि हरिजनों का, माइनारिटीज का और कुछ जगहों पर बैक-वर्ड क्लास के मामले में भी सेंटर को दखल देना चाहिए । हमारे देश का समाज जो बंटा हुआ है, सबसे पहले जब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इसमें बांट दिया और वह बीमारी हमारे साथ आज तक चली आ रही है । अभी तक क्षत्रिय और ब्राह्मण चले आ रहे हैं और बहुत से लोगों से मैंने अपने कानों से सुना है जो मजहब के तौर पर बड़े ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं, वे कहते हैं कि ये शंकरवर्ण प्रजा कर दी गई है । आप लोग गुनहगार हो । वे मंदिरों में हरिजनों का जाना रोकना चाहते हैं । ऐसे नेता भी देखे हैं जो हरिजनों के बारे में जोरदार तकरीरें करते हैं और अगर हरिजनों की बस्ती में उनसे कहा जाए कि चाय पी लीजिए तो वे यह कोशिश करेंगे कि यहां व पी जाए । आगे चल कर पी जाए, टाइम नहीं है । वे चाहते हैं कि यहां का पानी न पिया जाए ।

मेरे ऊपर कटाक्ष किए गए, गृह मंत्री होने के नाते यह आवश्यकता भी था ।

[श्री जैल सिंह]

मेरे ऊपर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको भरोसे के साथ बताना चाहता हूं। हमारा संविधान नहीं बना था, मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ था और मैं छोटी उम्र का था। 1938 में जब मैं अभी जेल नहीं गया था, उस वक्त मैंने हरिजनों के यहां खाना खाया, साथ में रहा हूं, और इसके लिए दो गांवों की पंचायत जुड़ी और उस पंचायत ने मुझे सजा दी कि तुमको 10 दिन के लिए गुरुद्वारे के सामने बैठ कर लोगों के जूते साफ करने होंगे और दातुन ला कर उनको देनी होगी। प्रायश्चित करना होगा। एक साधु उन्होंने यह फैसला सुनाया। दो गांवों की पंचायतें थी, दो गांवों की इसलिए हो गई कि एक हमारे गांव का हरिजन, बल्मीकि था, वह मेरे साथ कहीं गया था, कपड़े सफेद पहने हुए था, मैंने बताया नहीं। एक साहब के यहां हमने खाना खा लिया। उस वक्त हरिजनों को बर्तन नहीं दिए जाते थे, अगर दिए भी जाते थे तो पीतल के बर्तन दिए जते थे,बाद में उन्हें जला कर पवित्र किया जाता था। इस तरह से खाना खा कर वे उठ खड़े हुए। कोई कहने लगा कि हरिद्वार जाओ, कोई कुछ कहने लगा। मैंने कहा मैं जूते साफ करने के लिए तैयार हूं, दातुन ला कर दे दूंगा, पंखा चला दूंगा लेकिन सजा के तौर पर मैं आपकी बात नहीं मानता। उस वक्त मुझे बहुत समझाया गया; रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, राजा हिन्दू है, आपका नुक्सान हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं इंसान की इंसान समझत हूं, कुत्ता नहीं समझ सकता। मेरे विचार में जिस चोके पर कुत्ता जा सकता है, चूहा जा सकता है, गंदे से गंदा जानवर जा सकता है, वहां इंसान को नहीं जाने देना चाहिए? मेरे मन में आदर था, सरकार या इस वास्ते मैंने उनकी बात को नहीं माना और न मानता हूं। मैं इस नीति से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। आपकी भी मैं कोआपरेशन चाहता हूं। कोआपरेशन इस बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों को साथ लेना निहायत जरूरी है। अगर लोगों का मिलवर्तन नहीं होगा, तमाम पोलिटिकल पार्टीज का, सरकार का समाज का और हमारे जो लोग हैं, उनके दिल को जब तक हम बदल नहीं देते हैं, परिवर्तन उनमें ला नहीं देते हैं तब तक यह बीमारी रुकेगी नहीं। कोई चाहे इस तरह से इनको मारता रहे तो वह अपने मन से निकाल दे और मैं कहना चाहता हूं कि इन बेगुनाहों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई इस इन्कलाब को रोक नहीं सकता है। यह इन्कलाब है।

मुझे आपका भी धन्यवाद करना है। आज की बहस में कटाक्ष बहुत कम हुए हैं। विरोधी मैम्बर्ज ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी बहुत अच्छी सजैशंज दी हैं। थोड़ी सी दुर्घटना होने लगी थी लेकिन बच गई, मामला बढ़ा नहीं। न किसी पार्टी की बात यहां रखी गई और न किसी व्यक्ति की। मेरी दरखास्त है कि आज की बहस को, इसमें दिए गए एक सुझाव को हम अपने नोटिस में लाएं, उस पर विचार करें। जब हम उनको देखेंगे, इन पर विचार करेंगे तो मेरी राय यह है कि जब आदमी बहुत बड़े हाउस में बोलता है तो एक बात को लम्बी भी कर देता है और दूसरे कुछ न कुछ अपनी पार्टी की तरफ भी देखता है, यह देखता है कि पीछे वाले यह कहेंगे कि अच्छा बोला है, ऊपर भी देखता है और कभी समझता है कि अब तो मौका था सरकार को लताड़ने का। इन बातों को छोड़ कर अगर आप अपने अपने सुझाव माइन्यूटली विचार करके और कम्प्रिहैंसिव

तरीके से लिख कर भेज दे तो उसके बाद मैं इस मामले में एक और मीटिंग बुलाने के लिए भी तैयार हूं ताकि हम ऐसा रास्ता अपनाएं कि इस बीमारी को हम मिटा सकें। यह हिन्दुस्तान के माथे पर एक कलंक है। मेरा विश्वास है कि इन झगड़ों से किसी पार्टी को फायदा नहीं होगा। हम सभी में कमी जरूर है। कभी कभी हम कौम की मुसीबतों से पार्टी के लिए फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। लेकिन यह एक कमजोरी है जिस को हम को भूलना है। एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सियासी न कहो। लेकिन मैं कहता हूं सियासी तो कहो लेकिन इसको पार्टी की सियासत में न लाओ। पार्टी पालिटिक्स से ऊपर रख कर आप इस पर विचार करें। फिर यह मामला ठीक आप कर सकते हैं।

महात्मा गांधी की मेहरबानी से, पंडित जी ने उनकी रहनुमाई में जब भारत का कांस्टीट्यूशन बना तो उस में इन लोगों को इंसानियत का दर्जा दिया। दर्जा देने से उनका हौसला बढ़ा। कानून ने मदद की उनकी। लेकिन असली बीमारी यह है कि सामाजिक तौर पर उनको छूआ नहीं जाता है। साथ ही आर्थिक तौर पर भी वे बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत नीचे हैं। आर्थिक तौर पर कोई ऊपर नहीं उठता है तो उसको कितना भी समाज के लोग और सरकार कहे, उनको कोई उठाता नहीं है। आज की दुनिया में मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने बहुत बुरे बुरे काम करके दौलत बना ली है वे दौलत के बल पर सरकारें भी जाते हैं, इलैक्शन में जीत भी जाते हैं लेकिन गरीब नहीं जीत सकता है। यह हमारा ढांचा है। कोई जानकारी करने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लुटेरे हैं हर विभाग में, हर समाज में, हर पार्टी में। लेकिन समाज नफरत भी नहीं करता है। नफरत करता है या गरीब पर, या जब कोई फंसा हुआ हो, तब कर लेता है। नहीं तो उसी को कहे जायेंगे। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, बड़े कंगाल थे। राजनीति में आ कर अमीर हो गए और जब मर जाते हैं तो तकरीर करते हैं लोग कि इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मैंने एक आदमी को देखा और उसने अच्छी दौलत बनाई थी। और कहा गया क्या बात है, बड़ा काम किया, परिवार का सब कुछ कर गया। इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हमको प्रण करना चाहिए। मैंने कहा बेड़ा गरक हो जायगा। ऐसे समाज में जब तत्व हैं तो आम सोच लीजिए गुरुद्वारे का भाई, कोई मस्जिद का मुल्ला, मंदिर का महन्त, जिसको चढ़ावा चढ़ा दो चाहे आप चोरी करके लाये हों या रिश्वत का पैसा हो, वह आपका यश गाना शुरू कर देगा भगवान इन्हें धर्म की कमाई दे, इनको बेटा दे। और हम जब इलेक्शन में फंसे होते हैं तो ब्लैक मनी वाले ज्यादा पैसा देते हैं। तो अपने हृदय को हमें टटोलना चाहिए। इन लोगों की गरीबी को दूर करना भी जरूरी है। एक तो कारण यह है कि इनमें हौसला आना शुरू हुआ। दूसरे जो यह समझते हैं कि यह जो रिजर्वेशन है यह हमारी पौकिट से गिर गया। वह बर्दाश्त नहीं करते। हरिजनों में कोई मिनिस्टर बन गया, एम० एल० ए० या आई० ए० एस०, या कमिश्नर हो गया तो वह भी अपने को अलग समझने लगते हैं। आज जो दोस्त यह कहते हैं कि हरिजनों को रक्षा करने के लिए हरिजन अफ़सर चाहिए, मैं इस बात के हक में हूं। लेकिन यह एक ही बात नहीं है जिससे आप हरिजनों को बचा सकते हैं। मैंने ऐसे हरिजन भी देखे जो अफ़सर बनने के बाद गरीब आदमी के साथ बात करने के लिए

[श्री जैल सिंह]

तैयार नहीं हैं। अपने पिता का इंट्रोडक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि वह अनपढ़ है। ऐसे दूसरे लोगों में भी हैं। मैंने कई मिनिस्टर देखे, पिता उसका गरीब था जेलों में जाता रहा देशभक्ति की वजह से इसलिए उसके बेटे को पार्टी ने टिकट दे दिया और वह बेटा ऊंचे ओहदे पर चला गया। लेकिन मैले कुचैले कपड़े पहने जो उसका गरीब पिता है उसको यह बताने के लिए तैयार नहीं कि यह मेरा पिता है। जब समाज में ऐसी बात है, अपने पिता और भाई को गिरा सकते हैं, तो उनमें कुछ गिरावट आयी और उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि अपने भाइयों के साथ में मिलें।

बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने हरिजनों के घरों में शादी करना छोड़ दिया। हमारे जो दो मिनिस्टर बैठे हैं यह तो बेचारे भले हैं। अपर क्लास वाले भी सोचते हैं कि अगर कोई हरिजन आई० ए० एस० बन जाय तो उसकी जाति माड़ी नहीं रह जाती है। अपर क्लास में शादियां बड़े अफसरों ने कितनी करवाई हैं इसका सर्वे करवा लीजिए। अब हरिजन मिनिस्टर हो जाय तो उसके यहां ब्राह्मण भी खाना खा कर खुश होगा और कहेगा कि मिनिस्टर के यहां खाना खाना है। लेकिन भंगी के यहां पानी नहीं कोई पीयेगा। जब तक यह भावना नहीं मिटती उनकी गिरावट को कैसे ऊंचा उठाया जाय? अपर क्लास के लोग जब किसी एस० पी० को, डी० सी० को इनको छोड़िए, पार्लियामेंट के मेम्बरान को कह सकते हैं कि तुम फरिश्ते नहीं बन गये, तो अफसरों को भी कह सकते हैं कि फरिश्ते नहीं बन गये। उनकी वजह से जलसी और पैदा हो गई।

यह बात बड़े जोरों से चली कि लैण्ड रिफार्म, इकोनामिक डिस्पैरिटी इसका कारण है। नहीं यह कारण नहीं है। लैण्ड रिफार्म करने के बाद क्या हुआ? लैण्ड रिफार्म बहुत से प्रान्तों में हो तो गया, लेकिन लैण्ड रिफार्म किसके लिए हुआ? जो पहले ही मालिक था उसने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन लिख दी। और नतीजा क्या हुआ कि जमीन तकसीम हो गई और सीलिंग हो गई। और किसी ने जानवर के नाम पर, तोता सिंह कह कर तोते के नाम पर अपनी जमीन लगा ली, और बची हुई हरिजनों को मिल गई। हरिजनों में नुक्स था कि वह गरीबी की वजह से 4, 5 एकड़ को नहीं सम्हाल सके। बड़े आदमियों ने वह भी ले ली जमीन और इससे नफरत और बढ़ गई कि अगर यह लैंडलैस नहीं होते तो हमको जमीन नहीं मिलती। 20 पौइण्ट प्रोग्राम में एक बात यह थी कि लैंडलैस एग्रीकल्चर लेबर को घर के लिए 4 मरले जमीन दी जाय। तो देश में चार मरले का बटवारा किया जाय। मुझे मालूम है बहुत से गांवों में पट्टा दे दिया गया ...

मुझे मालूम है कि बहुत से गांवों में पट्टे दे दिए गये, जगह बांट दी गई, निशानी लगा दी गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी हुआ कि अच्छी तरीके से इम्प्लीमैंटेशन हुआ। जिस आदमी का गांव में अपना घर न हो, जिस बेचारे की जमीन न हो, उस आदमी की हमारे हिन्दुस्तान में और समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह बेचारा पढ़ कर शहर में आये और यहां आ कर भीख मांगना अच्छा समझता है। आज भी गांव में बेजमीना इसान बेशक उसकी आमदनी कुछ भी हो, वह शहर के पान बेचने

वाली दुकान की जो मालिक है, उससे नीची जिन्दगी गुजारता है।

एक माननीय सदस्य : आप करेंगे क्या ।?

श्री जैल सिंह : मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए । मेरे मन में भी है, मैं भी बताऊंगा ; मैं सोच रहा हूं ।

पिपरा कांड के बाद मैं तो इस बात को सोच रहा था कि हिन्दुस्तान के 4, 5 आदमी भी इस बात का फैसला कर लें कि हमारी तमाम जिन्दगी इस काम के लिए लगेगी तो इसको ला सकते हैं । वगैर इरादे के होता नहीं । जब वाका होता है तो आंसु बहाते हैं, उसके बाद आंसु नहीं बहाते । लेकिन यह हमारी ड्यूटी है, मेरे पास यह महकमा है, गृह-मंत्री के नाते भी ड्यूटी है, मैं किसी पर जोर नहीं देता । मैं मनता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मिलवतन से हम इन बातों को देख लें ।

रिजर्वेशन से इनके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया और उनके हौसले बढ़े और हौसले की वजह से वह अपना हक मांगने लगे । मिनिमम वेजेज एक्ट कहीं गांव में लागू नहीं हो सका । जहां 2, 4 बच्चे हरिजनों क पढ़ लिख गये, वह कहते हैं कि हमारी मेहनत क्यों नहीं देते ? पिपरा में जो कुछ हुआ, जहां 12 मरे या 14 मरे, उसमें कारण यही था कि उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत मांगी थी । उन्होंने कहा कि तुम मांगने वाले कौन हो ? उनको दूसरे लोगों ने मार दिया । कहीं कुछ, कहीं कुछ, कफाल्टा में क्यों हुआ ? क्योंकि हरिजन के बेटे की शादी थी, वह घोड़े पर जा रहा था, उसको कहा कि तुम को कैसे हक हो गया घोड़े पर जाने का ? पहले वह घोड़े पर चढ़ते ही नही थे ; बाजा नहीं बजाते थे । लेकिन अब हरिजनों की हिम्मत है । उसका मुकाबला दूसरे लोग हर जगह करते हैं । यह एक कारण बेबसी का है । इन बेवसों को, मजदूरों को हम किस तरीके से उनको बचा नहीं सके । बेवसी कितने हरिजनों में है, वह बेचारे किस काम में हैं, इसके लिए हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे बजट का हिस्सा, कितना भी उन पर खर्च आये, उनकी बेबसी को हम देखें । मेरा अपना विचार है कि मुल्क अपने देश की रक्षा के लिए, अपने बार्डर को देख ने के लिए जो जरूरी बातें हैं, उन पर बिल गुरेज खर्च करना चाहता है, सैंकिड जो गरीब हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए ।

आज भी समाज में, अकेले हरिजनों की बात नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के गरीबों को फिरकेदारी ने मार रखा है । क्या होता है, सोचता ठीक है, समझ जाता है लेकिन एक ऊंची जाति वाला भूखा मरता हो, खाने के लिए चाहिए, तो वह भी गरीबों के साथ बठने को तैयार है हरिजनों के साथ नहीं क्योंकि गरीबों की गिनती हरिजनों से ज्यादा है, वह उनके साथ बैठने को तैयार है । मजहब हमको बांट देता है, जांत-पांत बाट देती है । हिन्दुस्तान का गरीब एक जगह पर नहीं ।

हमारे चन्द्रजीत यादव भी वही तकरीर करेंगे, जो हम करेंगे । हमारे श्री दंडवते जी बहुत देर से बैठे हैं, फ्रंट रो में लीडरों में सिर्फ वही बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, यह पता नहीं, उनकी मेहरबानी है, हम तो मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि बैठना है, लेकिन हमारे भी लोग चले गये, उनके भी चले गये । इतनी भी तकलीफ हम सहने के लिए तैयार नहीं

[श्री जैल सिंह]

है । मतलब यह है कि गरब को बांट दिया हमने । क्योंकि आपने कहा कि हम ज्यादा मदद करते हैं, हमने कहा कि हम ज्यादा गरीब की मदद करेंगे लेकिन क्या हम करते हैं ? सारी पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़े लोग आ जायेंगे, गरीबों की नजर में पता लग जायेगा कि यह सिर्फ वोट लेते हैं, हमारे पालिसी मेकर नहीं । शायद यह भी क्लीयर हो जाये, मगर इसका इलाज भी करेंगे, हमें कोड आफ कंडक्ट भी बनाना पड़ेगा ।

24.00

एक माननीय सदस्य : 12 बजे गये हैं ?

श्री जैल सिंह : 12 बज गए है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can complete your reply.

एक माननीय सदस्य : यह गैर-कानूनी कार्यवाही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कोई गैर-कानूनी नहीं है । आप अपनी बात कहिए ।

श्री जैल सिंह : श्री भीष्म नारायण सिंह यह न कहें कि 24 तारीख को एजर्न नहीं किया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are in session. You can complete your reply.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It is not illegal.

श्री राम विलास पासवान : जुडिशल एनक्वायरी हो रही है या नहीं, यह बताएं ।

श्री जैल सिंह : मैं पर्सनली इसके हक में हूं, लेकिन मेरे मन में एक शुबहा है कि यहां हुए हैं कत्ल और कत्ल कर वालों का भी पता चला है, जुडिशल एनक्वायरी एक बहुत लम्बा प्रोसेस होगा; उसमें ऐसा न हो कि कलाप्रिट्स को मौका मिले कि वे अपनी जोरावरी और हिम्मत से शहादतों को बर्बाद कर दें और कहीं निकल जाएं । हम इस पर गौर करेंगे और रियासत की हुकूमत के साथ भी बात करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : : आप स्टेट पुलिस को छोड़ कर सी बी आई से जांच करवा सकते हैं । आप स्पेशल ट्रिब्यूनल बना सकते हैं ।

श्री जैल सिंह : स्पेशल कोर्ट का तो फ़ैसला हो गया है । जुडिशल एनक्वारी के बारे में सोचने की जरूरत है । हम फिर भी आपकी राय लेंगे, भले ही सेशन न हो । हमने इस बारे में स्टेट की सरकार से बात की है । जुडिशल एनक्वायरी गवर्नमेंट के लिए नुक्सानदेह नहीं हुआ करती है । इस बात का डर नहीं है । इससे हमारे सामने सब तथ्य आ जाएंगे कि इस घटना के क्या कारण थे, यह कैसे हुआ, आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए । अगर हम बीमारी को समझ लें, तो सका इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है । लेकिन एक बात का शक है । अगर हम जुडिशल एनक्वायरी में पड़ गए, तो इसका फ़ायदा कलप्रिट्स उठायेंगे । स्पेशल कोर्ट का तो फ़ैसला हो गया है । आप भी सोच लीजिए । हम भी सोच सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अगर गफल्टा जैसी बात फिर हुई, तो हरिजनों का विश्वास आप पर और किसी पर भी नहीं रहेगा । कफल्टा में जो हुआ है उसका सारे देश पर बड़ा इमपैक्ट हुआ है ; जज ने कहा है कि मुझे अभियुक्त

को साक्ष्य के अभाव ई बरी करना पड़ रहा है। देश के लिए इससे ज्यादा कलंक की बात कोई नहीं हो सकती।

श्री जैल सिंह : मैं आपसे एग्री करता हूं।

श्री राम विलास पासवान : अगर इस केस में भी अभियुक्त छूट गये, तो हरिजनों और गरीबों के सामने दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा।

श्री जैल सिंह : सरकार मशीनरी में अभी तक पूरी तरह से न तो समाजवादी भावनाएं पैदा हुई हैं, हम समाज में एकता लाना चाहते हैं और असमानता को खत्म करना चाहते हैं, न ही उनमें इसके लिए भावना पैदा हुई है और न ही पोलीटिकल पार्टियां इस बारे में कुछ कर सकी हैं। नियम भी बना लिए, फ़ार्म पर दस्तख़त भी कर दिए, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे अंश बैठे हुए हैं, जो इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।

श्री जैल सिंह : क्या हरिजनों को हथियार दे रहे हैं या नहीं ?

श्री जैल सिंह : इस बारे में मेरी पहली तकरीर का ग़लत मतलब निकाला गया। मैंने कहा था कि जहां ऐसे हालात हों वहां पर उन लोगों को ; गरीबों को हथियार देने के लिए पुलिस को खुद कोशिश करनी चाहिए और सरकारी कीमत पर देने चाहिए। मैंने यह कहा था। उनको हथियार दे दिए जाएं, जितने हथियार अपर कास्ट के पास हों, उतने दे दिए जाएं, यह भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि उनका भी होसला बुलन्द रहे। मगर यह भी सोचना चाहिए कि सब के हथियार के ले लिए जाएं, कोई हथियार किसी के पास न रहे। इन दो बातों में हम उलझे हुए हैं कि क्या किया जाए। एक बिल हम लाए थे। वह राज्य सभा में आया और उसको हमने लोक सभा में रखना था। लेकिन जब यह देवली की घटना हुई, तो हमने सोचा कि इस पर और गौर कर लें और सब की राय लेकर एक काम्प्रेहेंसिव कानून बनाया जाय, ताकि यह मामला दुरुस्त हो सके।

इस वक्त नाजायज असला रखने वालों के लिए बहुत कम सजा है। उसको देखना भी जरुरी है। लेकिन कहीं कहीं हथियारों की वजह से भी झगड़ा हो जाता है। जत्थेदार संतोखसिंह के पास भी राइफ़ल थी और दूसरे के पास भी पिस्तौल था। अगर उन दोने के पास कुछ न होता, तो ज्यादा से ज्यादा मुक्की - धक्पा हो जाता, लाठी चल जाती और लोग उनको छुड़ा देते। लेकिन मिनटों में उन दोनों की जान चली गई।

क्या रास्ता अख्यार किया जाए, इसके लिए आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं। हमने दो मीटिंग इस बारे में की हैं। इस हाउस में हम यह बिल लाना चाहते थे, लेकिन इस वजह से नहीं ला सके कि हम किसी नतीजे पर नही पहुंचे थे।

श्री राम विलास पासवान : बजट सेशन में लाइए।

श्री जैल सिंह : हां, उसमें लाएंगे निश्चित तौर पर। इस के लिए मैं आप को भरोसा दिलाना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान: एनकाउन्टर वाला भी बता दीजिए।

श्री आर० एन० राकेश : उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउन्टर हुए हैं उसकी आप जांच करवाएंगे या नहीं ?

श्री जैल सिंह : एनकाउन्टर के लिए मेरे पास कोई डीटेल नहीं है। आज की अपनी तकरीर में आप ने कुछ दोष लगाए हैं। स्टेट

गवर्नमेंट का यह सबजेक्ट है । स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी होगी । उनसे बात करने के बाद ही मैं कोई डफिनिट जवाब आप को दे सकता हूं ।

श्री आर० एन० राकेश : उस गवर्नमेंट और उस पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है, इस लिए आप से अनुरोध किया जा रहा है कि जो फर्जी एनकाउन्टर हो रहे हैं उसकी आप जांच करवा लीजिए । संसद सदस्यों की एक कमेटी बना कर उसकी आप एनक्वायरी करा लीजिए ।

श्री जैल सिंह : अपनी एजेंसी से तो हम एनक्वायरी करवा लेंगे । लेकिन उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मशविरा करना होगा ।

श्री ए० के० राय : आप एक स्पेशल होमगार्ड तो हरिजनों का बना सकते हैं टास्क फोर्स के माफिक जो कम्यूनल रायट्स का मुकाबिला करे, इस में आप को कौन रोकता है ? आप सी आर पी एफ बनाते हैं, बी एस एफ बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, एक ऐसी फोर्स भी बनाइये ।

श्री राम विलास पासवान : देवली का जो आफिसर इंचार्ज है उसको वहां से हटाइए, वह सब घटना के एविडेंस को खत्म कर रहा है ।

श्री जैल सिंह : बाबू जगजीवन राम जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उसको चर्चा तो करता लेकिन वह चले गए । आज के हाउस में मैंने यह जरूर देखा कि मेम्बरों में जजबा तो बहुत है, सलाह मशविरा भी बहुत अच्छा दिया लेकिन मेम्बरों की इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि खुद बोल गए और उसके बाद छुट्टी कर गए । आप जब बोले हैं तो जिन को और बोलना है उनको भी सुन कर जाना चाहिए । तो अब मेरा खयाल है कि मैं कोई हाउस का वक्त जाया न करूं और ज्यादा वक्त उसका अब न लूं क्योंकि जिन को सुनना था वह तो चले गए ।

श्री राम विलास पासवान : कुछ लोगों को छोड़ कर केवल हरिजन लोग हैं ।

श्री जैल सिंह : बस, मैंने समाप्त कर दिया ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I wish you a merry Christmas.

MR. DEPUTY SPEAKER: There have been precedents. We can continue it. There is no harm.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now it is completed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Before you conclude, we have to convey to you and to the House a merry Christmas.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is an announcement to be made.

(Interruptions)

00.07 hrs. (25-12-81)

ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

MR. DEPUTY SPEAKER : I have to inform the House that the Speaker has received the following communications dated 24 December, 1982, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, today :—

(i)

"I have the honour to inform you that I have found it may duty in the exercise of my powers that Sarvashri T.S. Negi, Ram Lal